



वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24



सूचना का
अधिकार

उत्तराखण्ड सूचना आयोग



सूचना का अधिकार

वार्षिक प्रतिवेदन

2023–24

200 प्रतियां



वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24



सूचना का
अधिकार

उत्तराखण्ड सूचना आयोग



अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	01
2	सूचना का अधिकार आंकड़ों में	03
3	सूचना का अधिकार अधिनियम	04
4	उत्तराखण्ड सूचना आयोग	10
5	आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही	19
6	सूचना आवेदन पत्रों, द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों का संख्यात्मक विवरण	21
7	आयोग की संस्तुतियां	36
8	आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	37
9	जनसामान्य के उपयोगार्थ प्रारम्भ की गयी ऑनलाईन सुविधायें	40
10	लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों की समीक्षा बैठकें/प्रशिक्षण कार्यक्रम	42
11	आयोग द्वारा द्वितीय अपीलों / शिकायतों में आरोपित शास्तियां	43
12	आयोग को प्राप्त बजट	86

प्रस्तावना

उत्तराखण्ड सूचना आयोग का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुये मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है।

सूचना का अधिकार हमें उपलब्ध एक ऐसा महत्वपूर्ण अधिकार है जो नागरिकों को सरकार से जुड़ी विविध जानकारियों को प्राप्त करने का सुगम अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार न केवल संविधान द्वारा अनुमोदित है, बल्कि यह नागरिकों को सक्षम भी बनाता है कि वे एक प्रकार से सरकार की कार्यवाहियों की निगरानी करें और सार्वजनिक हित में जरूरी जानकारी प्राप्त करें।

सूचना का अधिकार लोकतांत्रिक समाज की पीढ़ियों को शक्ति देता है और सार्वजनिक प्रशासन को जवाबदेह बनाता है। यह न केवल सरकार को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार बनाता है बल्कि समाज को भी सशक्त करता है। सूचना प्राप्ति के इस अधिकार का सही उपयोग करने से लोकतंत्र की मजबूती बढ़ती है और राजनीतिक प्रक्रिया में पारदर्शिता आती है।

इसलिए, सूचना का अधिकार हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जो सरकारी तंत्र को संवेदनशीलता और पारदर्शिता के माध्यम से सशक्त बनाता है। यह नागरिकों को उनके अधिकारों की रक्षा करने और समाज के हित में उनकी सक्रिय भागीदारी को बनाने में भी मदद करता है।

अभी तक के अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अपने अस्तित्व के इन 18 वर्षों में सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक जनोपयोगी अधिनियम साबित हुआ है। इस अधिनियम का प्रयोग कर भारत के सामान्य नागरिकों द्वारा शासन-प्रशासन से संबंधित अपनी व्यक्तिगत तथा सामुदायिक कठिनाईयों का निरन्तर निराकरण किया जा रहा है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उपधारा 1 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सूचना आयोग के वर्ष 2023-24 का वार्षिक प्रतिवेदन यहां प्रस्तुत किया गया है। इसमें मुख्य रूप से प्रदेश के विभिन्न लोक प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम के प्राविधानों के अनुपालन से जुड़े विभिन्न आंकड़ों का विश्लेषण तथा उनसे संबंधित जानकारी को दिया गया है।

इस वार्षिक प्रतिवेदन में सूचना आवेदन पत्र एवं अपीलों से सम्बन्धित विभिन्न जानकारी जैसे लोक सूचना अधिकारियों को प्राप्त सूचना आवेदन पत्र, प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्राप्त विभागीय अपीलें, आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि, धारा 19(3) के अन्तर्गत आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों एवं धारा 18 के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों का विश्लेषण, तथा आयोग द्वारा आरोपित शास्तियों आदि को आंकड़ों तथा ग्राफ के माध्यम से दर्शाते हुये प्रदर्शित किया गया है। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा आयोग को वर्ष 2023-24 हेतु निर्गत बजट की जानकारी भी दी गयी है।

नागरिकों में सूचना अधिकार को और अधिक सुलभ बनाये जाने के उद्देश्य से आयोग द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से एक ऑनलाईन आर.टी.आई. पोर्टल भी इस वर्ष जनसामान्य के उपयोगार्थ उपलब्ध कराया गया है। इस पोर्टल का उपयोग जनसामान्य द्वारा अपने सूचना आवेदन पत्रों तथा प्रथम अपीलों को ऑनलाईन रूप से संबंधित लोक सूचना अधिकारी / प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रेषित किया जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त मा0 सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा देश के सभी सूचना आयोगों को दिये गये निर्देशों के क्रम में

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा ऑनलाईन द्वितीय अपील/शिकायत प्रेषण की सुविधा जनसामान्य को प्रदान की गयी है। साथ ही, अपीलों/शिकायतों की सुनवायी में सभी पक्षों को हाईब्रिड रूप से प्रतिभाग किये जाने की सुविधा भी आयोग द्वारा इस वर्ष से प्रारम्भ की गयी है।

- माह अप्रैल 2023 से माह मार्च 2024 तक की अवधि में अयोग द्वारा 3811 सुनवायी की गयी, जिसमें से कुल 3960 वादों को निस्तारित किया गया।
- इस अवधि में दोषी लोक सूचना अधिकारियों को दण्डित करते हुये प्रकरणों में 14,64,750 लाख रुपये की शास्ति/क्षतिपूर्ति भी आयोग द्वारा आरोपित की गयी।
- दिनांक 31.03.2024 को आयोग में कुल 902 प्रकरण सुनवायी हेतु लम्बित हैं।
- विभागों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सूचना अनुरोध पत्रों के सापेक्ष मात्र 10-12 प्रतिशत प्रथम अपील की गयी है।
- इसी प्रकार सूचना अनुरोध पत्रों के सापेक्ष आयोग में मात्र लगभग 4 प्रतिशत द्वितीय अपील ही प्राप्त की गयी हैं।

प्राप्त द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण को सुनिश्चित करने के लिए मैं अपने सभी सहयोगी राज्य सूचना आयुक्तों का धन्यवाद देता हूँ।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग को समय-समय पर प्रदत्त सहायता एवं सहयोग के लिए मैं उत्तराखण्ड शासन के मुख्य सचिव तथा सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का आभार भी प्रकट करता हूँ।

ऑनलाईन आर.टी.आई. पोर्टल को तैयार करने तथा उसे चलाने में दिये गये सहयोग के लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र, उत्तराखण्ड तथा आई.टी.डी.ए. उत्तराखण्ड के अधिकारी भी धन्यवाद के पात्र हैं।

इस वार्षिक प्रतिवेदन को समय से तैयार करने में आयोग के अधिकारियों द्वारा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभायी गयी है, उसके लिये मैं उन सभी को भी धन्यवाद देता हूँ।

विवेक शर्मा
प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त

सूचना का अधिकार आंकड़ों में
वर्ष 2023-24

1	प्रदेश के समस्त लोक सूचना अधिकारियों को प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों की संख्या*				89,333
2	प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष निस्तारित आवेदनों की संख्या*				81,737
3	प्रदेश के समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्राप्त प्रथम / विभागीय अपीलों की संख्या*				10,849
4	प्राप्त प्रथम अपीलों के सापेक्ष निस्तारित अपीलों की संख्या*				10,030
5	प्रथम पांच विभाग जिन्हें सबसे अधिक सूचना आवेदन पत्र प्राप्त हुये*				
	राजस्व	गृह	विद्यालयी शिक्षा	लोक निर्माण विभाग	शहरी विकास
	15,888	14,103	8,856	5,708	4,702
6	द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19 (3)				
	कुल सुनवाई			कुल वाद निस्तारण	
	3,078			3,231	
7	शिकायत अन्तर्गत धारा 18				
	कुल सुनवाई			कुल वाद निस्तारण	
	733			729	
8	आलोच्य वर्ष में आयोग द्वारा आरोपित शास्तियों / क्षतिपूर्तियों / विभागीय कार्यवाही की संख्या				168
9	आरोपित शास्तियों की धनराशि (रु.)				14,64,750
10	आरोपित क्षतिपूर्तियों की धनराशि (रु.)				57,000
11	आयोग द्वारा संस्तुत विभागीय कार्यवाही की संख्या				04

* (प्रदेश के लोक प्राधिकारियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर)



सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम के द्वारा भारत में एक ऐसे युग का सूत्रपात किया गया है जिसमें किसी भी सरकारी सूचना तक जनसामान्य की पहुंच अत्यन्त सरल रूप में सम्भव हो पाती है। इसके साथ ही, सूचना का अधिकार अधिनियम के कारण ही सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली में व्यापक पारदर्शिता तथा जवाबदेही भी सुनिश्चित हो सकी है।

इस अधिनियम को अंगीकृत कर भारत विश्व के उन राष्ट्रों की श्रेणी में सम्मिलित हुआ जहाँ सूचना के अधिकार को विधिक मान्यता प्रदान की गयी है। ऐसे राष्ट्रों में से अधिकांश पाश्चात्य और आर्थिक दृष्टि से विकसित राष्ट्र हैं। भारत उन कुछ विकासशील राष्ट्रों में से एक है जहाँ ऐसा अधिनियम बनाया गया है।

सूचना का अधिकार विधेयक, 2004 लोक सभा में दिनांक 23 दिसम्बर, 2004 को प्रस्तुत किया गया एवं उक्त विधेयक कतिपय संशोधनों के उपरान्त दिनांक 11 मई, 2005 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया। राज्य सभा द्वारा उक्त विधेयक दिनांक 12 मई, 2005 को पारित किया गया। महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा इस अधिनियम को 15 जून, 2005 को अपनी स्वीकृति प्रदान की गयी, तत्पश्चात महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति के दिनांक से 120वें दिन, अर्थात् 12 अक्टूबर, 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभाव में है।

“लोक प्राधिकारी” की परिभाषा में सभी संवैधानिक संस्थाओं, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय, निगम, स्थानीय निकाय, पंचायतें, तथा ऐसे गैर सरकारी संगठन सम्मिलित हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियों से किसी न किसी रूप में वित्त-पोषित हैं।

सूचना का अधिकार, नागरिकों को लोक प्राधिकारियों से सूचना प्राप्त करने हेतु अधिकार सम्पन्न करता है तथा कतिपय अपवादों को छोड़ कर लोक प्राधिकारी के द्वारा नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने का प्राविधान करता है। नागरिकों को जो सूचना देय है उससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार यह अधिनियम लोकतंत्र में नागरिकों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सशक्त अधिकार प्रदान करता है ताकि सरकारों की नागरिकों के प्रति जवाबदेही बनी रहे।

इतनी अवधि में सूचना का अधिकार अधिनियम को अब विभिन्न सरकारी विभागों (जिनके द्वारा समस्त सूचनायें धारित एवं नियंत्रित की जाती हैं) तथा जनसामान्य (जो प्रजातंत्र के रचयिता तथा लाभार्थी हैं) के बीच में अधिकारों के सन्तुलन को स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

सूचना का अधिकार कानून क्या है ?

अधिनियम में सूचना का अधिकार की निम्नलिखित प्रस्तावना (Preamble) दी गयी है :

“प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे सम्बन्धित या उनसे आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम”.

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत :

- सूचना का अधिकार अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अन्तर्गत नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अन्तर्गत प्रदत्त एक मौलिक अधिकार है। यह अधिनियम दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 से प्रभावी है।
- भारत के नागरिक को किसी भी लोक प्राधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-6(1) के अन्तर्गत सूचना मांगने का अधिकार प्राप्त है।
- किसी भी सरकारी कार्यालय द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने तथा निर्माण सामग्री के नमूने प्राप्त करने का अधिकार भी यह अधिनियम नागरिकों को प्रदान करता है।
- सूचना प्राप्त करने हेतु दस रुपये का आवेदन शुल्क निर्धारित है जो नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/पोस्टल ऑर्डर/नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प के माध्यम से जमा किया जा सकता है। गरीबी रेखा से नीचे के आवेदकों हेतु कोई आवेदन शुल्क देय नहीं है, परन्तु ऐसे आवेदकों को अपने सूचना आवेदन के साथ अपने बी.पी.एल. कार्ड की प्रति संलग्न करनी अनिवार्य है।
- राज्य के लोक प्राधिकारियों से सम्बन्धित सूचना प्राप्त किये जाने हेतु <https://rtionline.uk.gov.in> पोर्टल पर ऑनलाईन अनुरोध पत्र और प्रथम अपील प्रेषण की सुविधा प्रदान की गयी है। सूचना प्राप्ति हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान भी पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाईन किया जा सकता है।

- अभिलेखों/पत्रावलियों का निरीक्षण, आवेदन शुल्क देने के बाद एक घण्टा निःशुल्क किया जा सकता है। इसके उपरान्त प्रत्येक 60 मिनट या उसके किसी भाग के लिए पांच रुपया अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया जाना होगा।
- अभिलेख की ए-3 या ए-4 आकार की छायाप्रति हेतु दो रुपया प्रति पृष्ठ फीस निर्धारित है, इससे बड़े आकार के अभिलेख की प्रति प्राप्त करने हेतु वास्तविक लागत देनी होगी। सी.डी./डी.वी.डी. में सूचना प्राप्त करने के लिए बीस रुपये का शुल्क देय है।
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आवेदक को स्वयं अथवा उसके परिवार से सम्बन्धित सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। इससे भिन्न सूचना के लिए 50 पृष्ठों अथवा रु. 100 की सूचना निःशुल्क दी जायेगी, तथा इससे अधिक सूचना नियत शुल्क का भुगतान करने के उपरान्त प्रदान की जाती है।
- वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा विलम्बतम तीस दिन के अन्दर उपलब्ध करायी जानी होती है।
- निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध न होने पर या गलत अथवा भ्रामक अथवा अधूरी सूचना देने पर उसकी अपील विभाग के अपीलीय अधिकारी को अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत की जाती है।
- विभागीय अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील का निस्तारण तीस – पैंतालीस दिन के भीतर करना होता है।
- विभागीय अपीलीय अधिकारी के निर्णय से क्षुब्ध होने पर द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग को अधिनियम की धारा 19(3) के अन्तर्गत 90 दिन की समयावधि के भीतर की जा सकती है।
- यदि किसी नागरिक को सूचना पाने में कोई कठिनाई होती है अथवा किसी लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी से अपूर्ण, असत्य अथवा भ्रामक सूचना प्राप्त होती है, तो वह अधिनियम की धारा 18(1) के अन्तर्गत आयोग में शिकायत भी दर्ज कर सकता है, आयोग ऐसे प्रकरणों की आवश्यकतानुसार जांच भी करा सकता है।

लोक प्राधिकारी

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2 (परिभाषायें) के अन्तर्गत अधिनियम में 'लोक प्राधिकारी' से (क) संविधान द्वारा या उसके अधीन; (ख) संसद द्वारा बनाई गयी किसी अन्य

विधि द्वारा; (ग) राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गयी किसी अन्य विधि द्वारा; (घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना या किये गये आदेश द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकरण या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है; और इसके अन्तर्गत (i) कोई ऐसा निकाय जो केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करायी गयी निधियों द्वारा वित्त पोषित है; (ii) कोई ऐसा गैर सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करायी गयी निधियों द्वारा वित्त पोषित है, सम्मिलित है।

उपरोक्त परिभाषा के अन्तर्गत ही उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी 29 जुलाई 2005 के शासनादेश द्वारा

- (i) सचिवालय में शासन के समस्त विभागों,
- (ii) समस्त निदेशालयों,
- (iii) समस्त मुख्यालयों,
- (iv) मण्डल स्तरीय सभी कार्यालयों,
- (v) जनपद स्तरीय सभी कार्यालयों,
- (vi) सब डिविजन स्तरीय सभी कार्यालयों,
- (vii) विकास खण्ड स्तरीय सभी कार्यालयों,
- (viii) सभी सार्वजनिक निगमों, परिषदों, प्राधिकरणों, संस्थाओं, स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा अन्य निकायों,
- (ix) शहरी क्षेत्रों की समस्त नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों तथा नगर निगम,
- (x) प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों, तथा
- (xi) ऐसी सभी गैर सरकारी संस्थाओं को, जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार से बड़ी मात्रा में वित्त पोषित हैं, लोक प्राधिकारी घोषित किया गया है (शासनादेश संख्या 177/XXII/2005 दिनांक 29/07/05)।

इसके अतिरिक्त राज्य विधान सभा द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा गठित विश्वविद्यालय भी लोक प्राधिकारी की परिभाषा से आच्छादित होते हैं।

शासनादेश संख्या 177/XXII/2005; 29/07/05 को उत्तराखण्ड कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2003 के नियम 4 के

साथ पढ़े जाने पर यह स्पष्ट होगा कि सभी प्रमुख सचिव या सचिव, जिस विभाग / जिन विभागों के वे प्रशासनिक मुखिया हैं, वे इन लोक प्राधिकारियों को प्रख्यापित करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी हैं। उत्तराखण्ड कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2003 के नियम 4 तथा शासनादेश दिनांक 29 जुलाई 2005 के अनुसार विभागीय प्रमुख सचिव / सचिव का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने प्रशासनिक विभाग के अन्तर्गत सभी लोक प्राधिकारियों को प्रख्यापित कर उनसे अपेक्षा करें कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जो लोक प्राधिकारियों के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व हैं, उनका अनुपालन करें। लोक प्राधिकारियों को प्रख्यापित करने में किये गये विलम्ब से सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों का क्रियान्वयन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम में एक महत्वपूर्ण 'स्टेक होल्डर' वे विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष भी हैं जिनको राज्य सरकार द्वारा मुख्य रूप से बतौर लोक प्राधिकारी चिह्नित किया गया है तथा जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी माना गया है।

लोक सूचना अधिकारी तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी

प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(1) के अनुपालन में लोक सूचना अधिकारियों का नामांकन किया जायेगा। यह लोक सूचना अधिकारी प्रत्येक लोक प्राधिकारी के समस्त प्रशासनिक इकाईयों तथा कार्यालयों के लिए अलग-अलग नामित किये जाने हैं। लोक सूचना अधिकारी ऐसा अधिकारी होगा जिसे लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा में रखी गयी सूचना उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो।

लोक सूचना अधिकारियों तथा सहायक लोक सूचना अधिकारियों की संख्या तथा उन्हें किस स्तर तक नामित किया जाये, इसका निर्धारण करते समय जन सामान्य की सुविधा का भी ध्यान रखा जायेगा।

ऐसी गैर सरकारी संस्थाएँ, जिन्हें लोक प्राधिकारी के रूप में चिह्नित किया गया है, वे भी लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी नामित करेंगे।

अधिनियम की धारा 5(2) के अनुसार प्रत्येक लोक

प्राधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारियों के स्तर पर इतनी संख्या में सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किये जायेंगे जिससे प्रार्थना पत्र / अपीलों को प्रस्तुत करने में जन सामान्य को कोई कठिनाई न हो।

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के द्वारा प्रथम अपील के लिए विभागीय अपीलीय अधिकारी को भी नामित किया जायेगा जो नामित लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ स्तर का कोई अधिकारी होगा।

लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलीय अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों, संदर्भों, शिकायतों तथा अपीलों को सामान्य पत्राचार के रूप में व्यवहृत न कर इनके लिए निर्धारित अलग पंजिका में इस प्रकार से रखे जायेंगे जिससे सूचना का अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित किसी भी पत्राचार की प्राप्ति अथवा उसके निस्तारण सम्बन्धी सूचना तात्कालिक रूप से उपलब्ध हो सके तथा अन्य श्रोतों से मांगे जाने पर सम्बन्धित सूचना तत्काल उपलब्ध करायी जा सके।

अधिनियम की महत्वपूर्ण धारायें

धारा 4

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत समस्त लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना को स्वैच्छिक रूप से प्रकट (Pro-Active Disclosures) करने का प्राविधान है। अधिनियम की धारा 1(3) के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 4(1) के अन्तर्गत इंगित अभिलेखों को अधिनियम के गजट नोटिफिकेशन के 120 दिन के अन्दर अर्थात् 12/10/2005 तक पूर्ण कर लेना अपेक्षित था, जिससे लोक प्राधिकारी से सम्बन्धित सूचना इस अधिनियम के अन्तर्गत विभागीय मैनुअल के रूप में जन-सामान्य को आसानी से सुलभ हो सके। प्रत्येक मैनुअल के अन्त में, मैनुअल के नैरेटिव के सापेक्ष, मूल शासनादेशों की प्रतियां भी क्रमबद्ध रूप से संलग्न किये जाने होते हैं जिससे ऐसे सभी सुसंगत तथ्य इन मैनुअलों में उपलब्ध हों जो जनता को प्रभावित करते हैं।

लोक प्राधिकारियों द्वारा तैयार मैनुअलों तक जनसामान्य की पहुंच को सहज बनाने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 4(2), 4(3) तथा 4(4) के अन्तर्गत मैनुअलों को प्रकाशित करने तथा इंटरनेट के माध्यम से प्रसारित करना सुनिश्चित करना होता है।

लोक प्राधिकारियों द्वारा तैयार मैनुअलों को उनके द्वारा प्रतिवर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार माह जून के अंत तक अद्यावधिक भी किया जाना है।

/kkjk 6

किसी भी लोक प्राधिकारी से सूचना प्राप्त करने के लिए अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी को निर्धारित फीस के साथ आवेदन किया जाना होता है। इस अनुरोध पत्र में आवेदक को अपने डाक पते के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं देनी होती है।

यदि लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त आवेदन पत्र में मांगी गयी सूचना उसके कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है, अथवा उसके कार्यालय द्वारा धारित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वह लोक सूचना अधिकारी अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत अनुरोध पत्र को सही/सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को 5 दिन की अवधि में अन्तरित करना सुनिश्चित करेगा, तथा इस अन्तरण के सम्बन्ध में आवेदक को भी लिखित रूप में सूचित करेगा।

/kkjk 7

प्राप्त अनुरोध पत्र पर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी द्वारा (i) मांगी गयी सूचना के सापेक्ष अतिरिक्त शुल्क (यदि हो तो यथशीघ्र आवेदन प्राप्त होने के 07 दिन के भीतर) की गणना कर आवेदक को अवगत कराया जायेगा, तथा अतिरिक्त शुल्क की धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध करायी जायेगी; अथवा (ii) आवेदन प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध करायी जायेगी। जीवन एवं स्वतंत्रता से सम्बन्धित सूचना 48 घण्टे के अन्दर दिया जाना प्राविधानित है।

/kkjk 8

अधिनियम की इस धारा के अन्तर्गत ऐसी सूचना को प्रकट किये जाने से छूट दी गयी है –

- (i) जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से सम्बन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो,
- (ii) जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अभिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया हो, या जिसके प्रकटन से न्यायालय की अवमानना होती हो,
- (iii) जिसके प्रकटन से संसद् या किसी राज्य के विधान-मण्डल का विशेषाधिकार भंग होता हो,
- (iv) वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक सम्पदा से सम्बन्धित सूचना, अथवा किसी व्यक्ति को

उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता हो,

- (v) जिसके प्रकटन से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो सके या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करे,
- (vi) जिसके प्रकटन से अपराधियों के पकड़े जाने, अपराध की विवेचना या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी,
- (vii) किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना,
- (viii) मंत्रिमंडल के कागजपत्र जिसके प्रकटन से मंत्रिपरिषद्, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श में अड़चन पड़ेगी,
- (ix) सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित है। (डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षक अधिनियम, 2023 की धारा 44(3) के द्वारा संशोधित)

उपरोक्त में से (iv) एवं (v) से सम्बन्धित सूचनाओं के सम्बन्ध में यदि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी सूचनाओं का प्रकटन व्यापक लोक हित में है, तब ऐसी सूचनाओं को भी आवेदनकर्ताओं को उपलब्ध कराया जायेगा। मंत्रिपरिषद् के विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किये गये थे, को विनिश्चय किये जाने तथा विषय के पूरा या समाप्त होने के बाद आवेदनकर्ताओं को उपलब्ध कराये जायेंगे।

धारा 18

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18(1) के अन्तर्गत आयोग द्वारा ऐसे प्रकरणों में जनसामान्य से प्राप्त शिकायतों की जांच की जा सकती है जहां किसी भी नागरिक को

- सूचना देने से इंकार किया गया हो,
- मिथ्या अथवा भ्रामक सूचना उपलब्ध करायी गयी हो,
- अनुचित फीस की मांग की गयी हो,
- अभिलेख उपलब्ध न कराये गये हों, अथवा
- समय से सूचना उपलब्ध न करायी गयी हो।

आयोग द्वारा लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध ऐसी प्राप्त शिकायत को दर्ज कर उसकी जांच अधिनियम की धारा 18(2) में की जा सकती है। ऐसी जांचों के

सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 18(3) में आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सम्मन प्रेषित करने, शपथ पत्र पर लिखित/मौखिक साक्ष्य लेने आदि जैसी सिविल न्यायालय की शक्तियां भी प्रदान की गयी हैं।

/kkjk 19

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत आवेदकों को विभागीय स्तर पर प्रथम अपील करने का अधिकार प्रदान किया गया है जिसका प्रयोग उनके द्वारा सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी से अस्पष्ट सूचना प्राप्त होने/सूचना न प्राप्त होने अथवा प्राप्त सूचना से संतुष्ट न होने की स्थिति में किया जाता है। प्रथम अपील की नियमानुसार सुनवाई ऐसे नामित विभागीय अधिकारियों द्वारा किये जाने का प्राविधान अधिनियम में दिया गया है जो लोक सूचना अधिकारी से उच्च स्तर के हों। प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा प्राप्त प्रथम अपीलों का 30 दिन की समयावधि के भीतर निस्तारण करना होता है। प्रथम अपील पर दिये गये निर्णय लिखित में जारी करने में यदि निर्धारित 30 दिन की अवधि से अधिक समय लगता है तो इस अतिरिक्त अवधि के लिए लिखित में आवश्यक रूप से कारण अभिलिखित करना चाहिए तथा यह अतिरिक्त अवधि निर्धारित 30 दिन की अवधि सहित किसी भी दशा में कुल 45 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए।

प्रथम अपील की नियमानुसार सुनवायी व निस्तारण न होने, अथवा प्रथम अपील के निस्तारण से क्षुब्ध होने की स्थिति में अपीलकर्ता द्वारा आयोग में अधिनियम की धारा 19(3) के अन्तर्गत द्वितीय अपील की जा सकती है। इस द्वितीय अपील में अपीलकर्ता को अपने सूचना अनुरोध पत्र, लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त सूचना (यदि दी गयी हो), प्रेषित प्रथम अपील तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा किये गये निस्तारण (यदि किया गया हो) की स्वःप्रमाणित प्रतियां लगायी जानी आवश्यक हैं। द्वितीय अपील को आयोग में तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना होता है।

उक्त धारा 18 एवं धारा 19 के अन्तर्गत ऑनलाईन शिकायत एवं द्वितीय अपील प्रेषण की सुविधा भी नागरिकों को उपलब्ध करायी गई है, जिसका उपयोग आयोग की वेबसाइट <https://uic.uk.gov.in> में दिये गये लिंक के माध्यम से किया जा सकता है।

/kkjk 20 ¼'kkfLr½

(1) जहाँ किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि लोक सूचना अधिकारी ने, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिये, कोई आवेदन प्राप्त करने से इंकार किया

है या धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असदभावपूर्वक सूचना के लिये अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है, दो सौ पचास रुपए प्रतिदिन की शास्ति अधिरोपित करेगा, तथापि ऐसी शास्ति की कुल रकम पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।

(2) जहाँ किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि लोक सूचना अधिकारी किसी युक्तियुक्त कारण के बिना और लगातार सूचना के लिये कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है या उसने धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असदभावपूर्वक सूचना के लिये अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या ऐसी सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है वहाँ वह ऐसे लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिये सिफारिश करेगा।

vk;kx }kjk vf/kjkfir 'kkfLr rFkk {kfrifr! dh o!yh

(उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रख्यापित सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 में दी गयी व्यवस्था):

11—(क) लोक सूचना अधिकारी पर अधिरोपित शास्ति अथवा लोक प्राधिकारी पर अधिरोपित क्षतिपूर्ति द्वितीय अपील अथवा शिकायत, यथास्थिति, में पारित आयोग के आदेश के तीन माह की अवधि समाप्त होने पर वसूल की जा सकेगी।

(ख) आयोग आरोपित शास्ति वसूलने के लिए उसे 3 से अनधिक किश्तों में वसूलने के लिए आदेश दे सकेगा। आयोग लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित करने पर शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश की प्रति शास्ति वसूलने के प्रयोजनार्थ लोक सूचना अधिकारी के लोक प्राधिकारी को उपलब्ध करायेगा, जो आदेश प्राप्त होने पर उसकी पावती आयोग को इस आशय से प्रेषित करेंगे कि वसूली के प्रयोजनार्थ शास्ति को नोट कर लिया गया है।

द्वारा स्वयं लोक प्राधिकारी को वसूली के लिए उपलब्ध कराएगा जो आदेश की पावती यह सूचित करते हुए कि अपीलकर्ता अथवा शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति की राशि के भुगतान तथा ऐसे सम्बन्धित अधिकारियों से, जिन्हें लोक प्राधिकारी उचित समझे, उक्त राशि वसूल करने लिए नोट कर ली गई है, आयोग की पावती भेजेगा।

(घ) खण्ड (ख) व (ग) के अन्तर्गत आयोग से आदेश प्राप्त होने व लोक प्राधिकारी द्वारा उसकी पावती आयोग को प्रेषित करने पर खण्ड (क) के अधीन शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति वसूलने का उत्तरदायित्व लोक प्राधिकारी का होगा।

(ङ) शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति वसूलने के प्रयोजनार्थ आयोग द्वारा शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के आदेश की प्रति सम्बन्धित लोक प्राधिकारी को उपलब्ध कराना ही पर्याप्त होगा। लोक प्राधिकारी शास्ति की राशि अथवा क्षतिपूर्ति शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति अभिरोपण के तीन माह बाद परन्तु छः माह से अनधिक अवधि में वसूलेगा। उक्त राशि

वसूलने पर लोक प्राधिकारी प्रमुख आयोग को राशि वसूल होने का विवरण सूचित करेगा। आयोग द्वारा उक्त सूचना सम्बन्धित द्वितीय अपील पत्रावली में रखी जायेगी।

(च) लोक प्राधिकारी द्वारा शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति को वसूल किये जाने, उसे राजकोष में जमा करने अथवा आवेदनकर्ता को भुगतान करने की कार्यवाही, यथास्थिति, ऐसी रीति, जिसे राज्य सरकार समय-समय पर आदेश जारी कर विहित करे, के अनुसार की जायेगी।



सूचना का अधिकार



उत्तराखण्ड सूचना आयोग

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

उत्तराखण्ड सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (1) के अन्तर्गत, उत्तरांचल शासन, सूचना अनुभाग की अधिसूचना संख्या 253/XXII/2005-1(20)2005 दिनांक 03 अक्टूबर 2005 के द्वारा किया गया था जिसके क्रम में राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में डा. आर. एस. टोलिया की नियुक्ति उत्तरांचल शासन, सूचना अनुभाग की अधिसूचना संख्या 252/XXII/2005-1(20)2005 दिनांक 03 अक्टूबर 2005 के द्वारा की गयी थी। इसके उपरान्त राज्य सरकार द्वारा माह नवम्बर, 2009 में अधिसूचना संख्या 780/XXX(13)G/2009 दिनांक 11 नवम्बर, 2009 के द्वारा श्री विनोद नौटियाल को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। राज्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री विनोद नौटियाल का पाँच वर्ष का कार्यकाल दिनांक 15/12/2014 को पूर्ण हुआ।

आयोग एवं प्रदेश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त डा. आर. एस. टोलिया दिनांक 17/10/2010 को सेवानिवृत्त हुये जिसके उपरांत दिनांक 19/10/2010 को राज्य सरकार द्वारा श्री एन. एस. नपलच्याल को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया (अधिसूचना संख्या 933/XXX(13)G/2009-52(5)207). दिनांक 19/10/2010 को ही राज्य सरकार द्वारा श्री अनिल कुमार शर्मा तथा श्री प्रभात डबराल को भी राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की गयी. (अधिसूचना संख्या 934/XXX(13)G/2009-52(5)207 तथा अधिसूचना संख्या 935/XXX(13)G/2009-52(5)207)।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10/05/2013 को श्री राजेन्द्र कोटियाल को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की गयी. (अधिसूचना संख्या : 1594/XXXI(13)G/2013-41 सा./2013)।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15/01/2014 को श्री सुरेन्द्र सिंह रावत को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की गयी। (अधिसूचना संख्या : 81/XXXI(13)G/2014-41 सा./2013)।

श्री एन.एस. नपलच्याल के दिनांक 01/04/2015 को सेवानिवृत्त होने पर शासनादेश संख्या 330/XXXI(13)G/15-2

के द्वारा राज्य सरकार द्वारा नये मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किये जाने तक श्री प्रभात डबराल, राज्य सूचना आयुक्त को उत्तराखण्ड सूचना आयोग के सामान्य अधीक्षण एवं प्रबंधन करने के लिए नामित किया गया।

दिनांक 18/10/2015 को श्री अनिल कुमार शर्मा तथा श्री प्रभात डबराल के सेवानिवृत्त होने पर शासनादेश संख्या 2562/XXXI(13)G/15-2 के द्वारा राज्य सरकार द्वारा नये मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किये जाने तक श्री राजेन्द्र कोटियाल, राज्य सूचना आयुक्त को उत्तराखण्ड सूचना आयोग के सामान्य अधीक्षण एवं प्रबंधन करने के लिए नामित किया गया।

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या : 1342(i)/XXXI(15)G-02/2016 दिनांक 08/11/2016 के द्वारा राज्य सरकार द्वारा श्री शत्रुघ्न सिंह को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। श्री शत्रुघ्न सिंह द्वारा दिनांक 19/11/2016 को मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यभार ग्रहण किया गया।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01/08/2018 को श्री जे.पी. ममगाई (अधिसूचना सं 635/XXXI(15)G-09/ (रा०मु० सू०आ०)/2015-18) तथा श्री चन्द्र सिंह नपलच्याल (अधिसूचना सं 640/XXXI(15)G-09 रा० मु० सू० आ०)/2015-18) को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की गयी।

दिनांक 19/05/2021 को श्री शत्रुघ्न सिंह, मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा पद से त्याग पत्र दिये जाने पर राज्य सरकार द्वारा नये मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किये जाने तक श्री जे.पी. ममगाई, राज्य सूचना आयुक्त को उत्तराखण्ड सूचना आयोग के सामान्य अधीक्षण एवं प्रबंधन करने के लिए नामित किया गया।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 31/12/2021 को श्री अनिल चन्द्र पुनेठा, आई.ए.एस. (से.नि.) को राज्य मुख्य सूचना के रूप में (अधिसूचना संख्या 996/XXXI(15)G21-02/ रा.सू. आ./2015) तथा श्री विवेक शर्मा को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में (अधिसूचना संख्या 996/XXXI(15)G21-02/ रा.सू.आ.

/2015) नियुक्ति प्रदान की गयी। श्री अनिल चन्द्र पुनेठा, आई.ए.एस. (से.नि.) तथा श्री विवेक शर्मा द्वारा दिनांक 05/01/2022 को पदभार ग्रहण किया गया।

श्री विपिन चन्द्र, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा दिनांक 31/12/2021 को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था (अधिसूचना सं 996/XXXI(15)/G21/-02/ दिनांक 31/12/2021) के द्वारा दिनांक 03/03/2022 को पदभार ग्रहण किया गया।

श्री अर्जुन सिंह, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा दिनांक 11/04/2022 को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था (अधिसूचना सं 457/XXXI(15)/G22/-02/ दिनांक 11/04/2022) के द्वारा दिनांक 21/04/2022 को पदभार ग्रहण किया गया।

श्री योगेश भट्ट, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25/11/2022 को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था (अधिसूचना सं 1346/XXXI(15)/G22/-02/ दिनांक 25/11/2022) के द्वारा दिनांक 21/12/2022 को पदभार ग्रहण किया गया।

इस प्रकार वर्ष 2023-24 की अवधि में उत्तराखण्ड सूचना आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलें तथा शिकायतों पर सुनवाई मुख्य सूचना आयुक्त श्री अनिल चन्द्र पुनेठा, राज्य सूचना आयुक्त, श्री विवेक शर्मा, राज्य सूचना आयुक्त, श्री विपिन चन्द्र, राज्य सूचना आयुक्त, श्री अर्जुन सिंह, एवं राज्य सूचना आयुक्त श्री योगेश भट्ट, द्वारा की गयी।

राज्य सूचना आयोग के लिए अधिनियम में दी गयी व्यवस्थायें

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 के अनुसार राज्य सरकार गजट में अधिसूचना जारी करके एक राज्य सूचना आयोग का गठन करेगी। राज्य सूचना आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा यथा आवश्यक अधिकतम दस राज्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं। इन आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा की जायेगी। इस समिति के अध्यक्ष मा. मुख्यमंत्री होंगे तथा विधानसभा में विपक्ष के नेता तथा मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होंगे।
- अधिनियम की धारा 15(5) के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त वही व्यक्ति नियुक्त किये जा सकेंगे जो सार्वजनिक जीवन में जानेमाने

व्यक्ति हों तथा उन्हें कानून, विज्ञान व टेक्नॉलाजी, समाज सेवा, प्रबन्धन, पत्रकारिता, मास मीडिया या प्रशासन क्षेत्र का विस्तृत ज्ञान व अनुभव हो। इन्हें न तो सांसद होना चाहिए और न ही किसी राज्य की विधानसभा या विधान मंडल का सदस्य होना चाहिये। उन्हें किसी राजनैतिक दल का पदाधिकारी भी नहीं होना चाहिये। इन्हें किसी व्यापार या व्यवसाय में भी नहीं लिप्त होना चाहिये।

- मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्तों को महामहिम श्री राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी।
- मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्त श्री राज्यपाल को सम्बोधित इस्तीफा देकर किसी भी समय अपना पद त्याग सकते हैं।
- राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की सेवा शर्तें व भत्ते सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के अनुसार होंगे।
- मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य राज्य सूचना आयुक्तों को अपने कार्य करने के लिये आवश्यकतानुसार स्टाफ आदि की उपलब्धता राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- उत्तराखण्ड सूचना आयोग का कार्यालय सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून से संचालित हो रहा है।

आयोग की शक्तियां और कृत्य, अपील तथा शास्तियां

शिकायतों पर कार्यवाही

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18(1) के अधीन आयोग किसी भी नागरिक को सूचना न मिलने, मिथ्या अथवा भ्रामक सूचना उपलब्ध कराने, अनुचित फीस मांगने, अभिलेख उपलब्ध न कराने अथवा समय से सूचना उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में किसी लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त शिकायत को दर्ज कर उसकी जांच अधिनियम की धारा 18(2) में कर

सकता है। ऐसी जांचों के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 18(3) में आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की गयी है :

- किन्हीं व्यक्तियों को सम्मन करना, और उन्हें उपस्थित कराना, शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना।
- दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना।
- किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मांगना।
- साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए सम्मन जारी करना।
- कोई अन्य विषय जो विहित किया जाये।

आयोग स्तर पर द्वितीय अपील का निस्तारण

लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय के विरुद्ध प्रथम अपील, लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी, जिसे अपीलीय अधिकारी नामित किया गया है, को विनिश्चय के 30 दिन के भीतर की जा सकती है। प्रथम अपील के विभागीय अपीलीय अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में 90 दिन के भीतर की जा सकेगी। द्वितीय अपील में अपने विनिश्चय के सम्बन्ध में राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं :

- लोक प्राधिकारियों से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना जो अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों।
- सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना, यदि विशिष्ट प्रारूप में ऐसा अनुरोध किया गया है।
- लोक प्राधिकारियों में यथास्थिति लोक सूचना अधिकारी / अपीलीय अधिकारी को नियुक्त करना।
- लोक प्राधिकारी के यहां अभिलेखों के अनुरक्षण, प्रबंध और विनिष्ठीकरण से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना।
- अधिकारियों के लिए सूचना का अधिकार के सम्बन्ध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ाना।
- लोक प्राधिकारी से शिकायकर्ता को, उसके द्वारा वहन की

गयी किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करने की अपेक्षा करना।

- अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करना।

द्वितीय अपील में राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय बाध्यकारी होगा।

शास्ति एवं विभागीय कार्यवाही

अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत आयोग यदि किसी शिकायत या अपील के विनिश्चय करते समय यह पाता है कि किसी लोक सूचना अधिकारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिये आवेदन प्राप्त करने से इंकार किया है या विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है, या असदभावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट किया है जो अनुरोध का विषय थी या सूचना देने में बाधा डाली है तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब तक सूचना दी जाती है, दो सौ पचास रुपये की शास्ति अधिरोपित कर सकता है, तथापि ऐसी शास्ति की कुल रकम पच्चीस हजार रुपये से अधिक नहीं होगी। परन्तु शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व संबंधित लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा। अधिनियम की धारा 20(2) के अधीन आयोग ऐसे प्रकरणों में लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध विभागीय सेवा नियमावली के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की सिफारिश भी कर सकता है।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

अधिनियम की धारा 25 में सूचना आयोग को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सम्बन्ध में लोक प्राधिकारी के कार्यों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के अधिकार प्रदान किये गये हैं। इनमें मुख्यतः :

- प्रत्येक विभाग / लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचनाओं को एकत्रित कराना जो इस अधिनियम के अन्तर्गत वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित है।
- प्रत्येक विभाग / लोक प्राधिकारी इस धारा के प्रयोजनों के लिए उस सूचना को आयोग को देने तथा अभिलेख रखने से सम्बन्धित अपेक्षाओं का पालन करेगा।

● सूचना आयोग ऐसे सुधार के लिए सिफारिशें राज्य सरकार को प्रेषित करेगा जिनके अंतर्गत इस अधिनियम या विधान या सामान्य विधि के विकास, समुन्नति, आधुनिकीकरण, सुधार या संशोधन के लिए विशिष्ट लोक प्राधिकारियों के संबंध में सिफारिशें या सूचना तक पहुंच के अधिकार को प्रवर्तनशील बनाने के सुसंगत कोई अन्य विषय भी हैं।

● यदि सूचना आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में किसी लोक प्राधिकारी की पद्धति इस अधिनियम के उपबंधों या भावना के अनुरूप नहीं हैं तो वह लोक प्राधिकारी को ऐसे उपाय विनिर्दिष्ट करते हुये, जो ऐसी अनुरूपता बढ़ाने के लिए किये जाने चाहिए, सिफारिश कर सकेगा।

वार्षिक प्रतिवेदन

आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25(1) के प्राविधान के क्रम में प्रत्येक वर्ष अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में एक वार्षिक रिपोर्ट / प्रतिवेदन तैयार किया जाता है तथा उसकी प्रतियां राज्य सरकार को प्रेषित की जाती हैं. अधिनियम की धारा 25(4) के अनुसार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को राज्य सरकार द्वारा विधान मण्डल के पटल पर रखा जाता है।

उक्त वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार करने के लिए राज्य सरकार के समस्त विभागों द्वारा अपने – अपने लोक प्राधिकारियों के सम्बन्ध में आयोग द्वारा अपेक्षित सूचना को अधिनियम की धारा 25(2) के क्रम में आयोग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करना होता है।

io e[; lpuk vk;Dr

क्र.सं.	नाम	कार्यकाल		अधिसूचना संख्या एवं दिनांक
1	डा. आर. एस. टोलिया	18.10.2005	17.10.2010	252/XXII/2005-1(20)2005 03.10.2005
2	श्री एन. एस. नपलच्याल	19.10.2010	01.04.2015	933/XXX/13(G)/2009-52(5)207 19.10.2010
3	श्री शत्रुघ्न सिंह	19.11.2016	18.05.2021	1342(i)/XXXI/15(G)-02/2016 08.11.2016
4	श्री अनिल चन्द्र पुनेठा	05.01.2022	09.05.2024	996/XXXI/15(G)-21/-02 31.12.2021

io jkT; lpuk vk;Dr

क्र.सं.	नाम	कार्यकाल		अधिसूचना संख्या एवं दिनांक
1	श्री विनोद नौटियाल	16.12.2009	15.12.2014	780/XXX/13(G)2009 11.11.2009
2	श्री प्रभात डबराल	19.10.2010	18.10.2015	935/XXX/13(G)/2009-52(5)207 19.10.2010
3	श्री अनिल कुमार शर्मा	19.10.2010	18.10.2015	934/XXX/13(G)/2009-52(5)207 19.10.2010
4	श्री राजेन्द्र कोटियाल	13.05.2013	12.05.2018	1594/XXXI/13(G)/2013-41/2013 10.05.2013
5	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत	17.01.2014	07.06.2018	81/XXXI/13(G)/15-2/ 01.04.2015
6	श्री जे. पी. ममगाई	03.08.2017	18.10.2021	635/XXXI/(15)G-09/2015-18 01.08.2018
7	श्री चन्द्र सिंह नपलच्याल	03.08.2017	17.04.2022	640/XXXI/(15)G-09/2015-18 01.08.2018
8	श्री अर्जुन सिंह	21.04.2022	14.04.2024	457/XXXI(15)/G22/-02/ 11.04.2022

उत्तराखण्ड शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

संख्या- ११६/xxxi(15)/G/21-02(रा०सू०आ०)/2015

देहरादून दिनांक: 31 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन श्री राज्यपाल, श्री अनिल चन्द्र पुनेठा, आई०ए०एस० (से०नि०), निवासी-प्लॉट नं०-200, रोड नं०-14, प्रशासन नगर, जुबिली हिल्स, हैदराबाद, (तेलंगाना), 500110 को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2- यह नियुक्ति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (6) के अधीन श्री अनिल चन्द्र पुनेठा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

3- यह नियुक्ति उपरोक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) एवं कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की यथा संशोधित अधिसूचना संख्या- 635, दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के अनुरूप श्री अनिल चन्द्र पुनेठा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी।

4- राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते एवं सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तें कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के अधीन होगी।

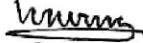
राज्यपाल की आज्ञा से,

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव (प्रभारी)

संख्या-११६ /xxxi(15)/G/21-02(रा०सू०आ०)/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, विधान सभा, विधान सभा भवन, देहरादून।
6. महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल।
7. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
8. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
11. श्री अनिल चन्द्र पुनेठा, आई०ए०एस० (से०नि०), निवासी-प्लॉट नं०-200, रोड नं०-14, प्रशासन नगर, जुबिली हिल्स, हैदराबाद, (तेलंगाना), 500110।
12. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
13. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून।
14. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को राजकीय गजट असाधारण के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड-ख में आगामी तिथि में प्रकाशित कर 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
16. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर।
17. गार्ड फाईल।


31/12/21
(विनोद कुमार सुमन)
सचिव (प्रभारी)

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या- ११८/xxxi(15)/G/21-02(रा०सू०आ०)/2015
देहरादून दिनांक: 3 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन श्री राज्यपाल, श्री विवेक शर्मा, एडवोकेट, निवासी-5, तेग बहादुर रोड, लेन नं०-3, डालनवाला, देहरादून को राज्य सूचना आयुक्त के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2- यह नियुक्ति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (6) के अधीन श्री विवेक शर्मा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

3- यह नियुक्ति उपरोक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) एवं कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की यथा संशोधित अधिसूचना संख्या- 635, दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के अनुरूप श्री विवेक शर्मा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी।

4- राज्य सूचना आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते एवं सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तें कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के अधीन होगी।

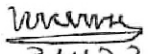
राज्यपाल की आज्ञा से,

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव (प्रभारी)

संख्या- ११८/xxxi(15)/G/21-02(रा०सू०आ०)/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, विधान सभा, विधान सभा भवन, देहरादून।
6. महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल।
7. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
8. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
11. श्री विवेक शर्मा, एडवोकेट, निवासी-5, तेग बहादुर रोड, लेन नं०-3, डालनवाला, देहरादून।
12. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
13. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून।
14. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को राजकीय गजट असाधारण के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड-ख में आगामी तिथि में प्रकाशित कर 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
16. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर।
17. गार्ड फाईल।


31/12/21
(विनोद कुमार सुमन)
सचिव (प्रभारी)

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या-११७ / xxxi(15)/G/21-02(रा0सू0आ0)/2015
देहरादून दिनांक: 31 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन श्री राज्यपाल, श्री विपिन चन्द्र, निवासी-डी-2/338, पण्डारा रोड, नई दिल्ली-03 को राज्य सूचना आयुक्त के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2- यह नियुक्ति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (6) के अधीन श्री विपिन चन्द्र द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

3- यह नियुक्ति उपरोक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) एवं कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की यथा संशोधित अधिसूचना संख्या- 635, दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के अनुरूप श्री विपिन चन्द्र द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि के लिए या पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी।

4- राज्य सूचना आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते एवं सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तें कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के अधीन होगी।

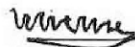
राज्यपाल की आज्ञा से,

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव (प्रभारी)

संख्या-११७ / xxxi(15)/G/21-02(रा0सू0आ0)/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, विधान सभा, विधान सभा भवन, देहरादून।
6. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल।
7. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
8. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
11. श्री विपिन चन्द्र, निवासी-डी-2/338, पण्डारा रोड, नई दिल्ली-03।
12. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
13. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून।
14. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को राजकीय गजट असाधारण के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड-ख में आगामी तिथि में प्रकाशित कर 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
16. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर।
17. गार्ड फाईल।


31/12/21
(विनोद कुमार सुमन)
सचिव (प्रभारी)

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या- /xxxi(15)/G/22-02(रा0सू0आ0)/2015
देहरादून दिनांक: ११ अप्रैल, 2022

अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन श्री राज्यपाल, श्री अर्जुन सिंह, निवासी-ग्राम जौहड़ी, (शान्ति कुंज कॉलोनी), पो0आ0-सिनौला, जाखन-जौहड़ी रोड़, देहरादून को राज्य सूचना आयुक्त के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2- यह नियुक्ति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (6) के अधीन श्री अर्जुन सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

3- यह नियुक्ति उपरोक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) एवं कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के अनुरूप श्री अर्जुन सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतः हो, के लिए होगी।

4- राज्य सूचना आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते एवं सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तें कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के अधीन होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव (प्रभारी)

संख्या- ५५७ /xxxi(15)/G/22-02(रा0सू0आ0)/2015 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, विधान सभा, विधान सभा भवन, देहरादून।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल।
5. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
12. श्री अर्जुन सिंह, निवासी-ग्राम जौहड़ी, (शान्ति कुंज कॉलोनी), पो0आ0-सिनौला, जाखन-जौहड़ी रोड़, देहरादून।
13. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, लाडपुर रिंग रोड़, देहरादून।
14. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को राजकीय गजट असाधारण के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड-ख में आगामी तिथि में प्रकाशित कर 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
16. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर।
17. गार्ड फाईल।

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव (प्रभारी)

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या- 134-6 /xxxi(15)/G/22-02(रा0सू0आ0)/2015
देहरादून दिनांक: १५, नवम्बर, 2022

अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन श्री राज्यपाल, श्री योगेश भट्ट, निवासी-112, बैंक कालोनी, अजबपुर कलां, देहरादून को राज्य सूचना आयुक्त के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2- यह नियुक्ति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (6) के अधीन श्री योगेश भट्ट द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

3- यह नियुक्ति उपरोक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) एवं कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के अनुरूप श्री योगेश भट्ट द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि के लिए या पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वोक्त हो, के लिए होगी।

4- राज्य सूचना आयुक्त को संदेय वेतन और भत्ते एवं सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तें कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के अधीन होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)

संख्या- /xxxi(15)/G/22-02(रा0सू0आ0)/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, विधान सभा, विधान सभा भवन, देहरादून।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
5. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
8. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
11. श्री योगेश भट्ट, निवासी-112, बैंक कालोनी, अजबपुर कलां, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून।
13. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
14. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को राजकीय गजट असाधारण के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड-ख में आगामी तिथि में प्रकाशित कर 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
16. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर।
17. गार्ड फाईल।

(सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)



सूचना का
अधिकार

**आयोग की संस्तुतियों पर
राज्य सरकार द्वारा
की गयी कार्यवाही**



सूचना का
अधिकार

आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा अपने वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 के माध्यम से निम्नलिखित 05 संस्तुतियाँ राज्य सरकार के विचारार्थ प्रेषित की गई थीं, जिनपर राज्य सरकार के स्तर पर की गई कार्यवाही की स्थिति निम्नवत् है :

आयोग की संस्तुति	कृत कार्यवाही
1. पक्षकारों की सुविधा तथा उनके श्रम, समय व धन की बचत हेतु आयोग की संस्तुति है कि प्रदेश के समस्त जनपदों के विकास भवनों में द्वितीय अपीलों और शिकायतों की सुनवाई हेतु वी0सी0 सुविधा कक्ष की स्थापना कर ली जाए जिससे संबंधित जनपदों के पक्षकार वी0सी0 के माध्यम से अपना पक्ष आयोग के समक्ष रख सकें।	मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट पिटीशन संख्या (सिविल) 360 / 2021 किशन चन्द्र जैन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समस्त राज्यों को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपील/शिकायत की सुनवाई हाईब्रिड मोड के माध्यम से किये जाने के आदेश दिनांक 09.10.2023 को दिए गए। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में हाईब्रिड मोड के माध्यम से द्वितीय अपील/शिकायत की सुनवाई प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है।
2. आयोग की संस्तुति है कि केन्द्रीय सूचना आयोग और गुजरात सूचना आयोग की भांति उत्तराखण्ड सूचना आयोग में भी प्रत्येक पीठ हेतु एक-एक विधि स्नातक अनुबन्ध के आधार पर उक्तानुसार कार्य हेतु अनुमन्य कराया जाए। ऐसा किये जाने से आयोग में प्रतिदिन अधिक संख्या में वादों की सुनवाई की जा सकेगी।	सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 1447 /XXXI(15)G/2023-E-34547/30 दिनांक 14.09.2023 के द्वारा विधिक परामर्शी कार्य हेतु 02 विधि परामर्शी आउटसोर्स के माध्यम से एक वर्ष के लिए रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
3. आयोग की संस्तुति है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी पर आरोपित की जानी वाली शास्ति, अधिकारियों के विरुद्ध की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही या लोक प्राधिकारी पर आरोपित क्षतिपूर्ति के अनुपालन हेतु प्रक्रिया प्रख्यापित कर ली जाए जिससे आयोग के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा सके तथा आरोपित शास्तियों की धनराशि समय से शत प्रतिशत राजकोष में जमा हो सके एवं नागरिकों को अनुमन्य करायी गई क्षतिपूर्ति भी उन्हें समय से प्राप्त हो सके।	शासन स्तर पर इस संदर्भ में कार्यवाही गतिमान है।
4. आयोग की संस्तुति है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी को निर्देशित किया जाए कि प्रतिवर्ष विभागीय मैनुअल को अद्यतन करना सुनिश्चित किया जाए तथा इंटरनेट के माध्यम से व्यापक रूप से उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आयोग को भी उपलब्ध कराया जाए।	शासनादेश संख्या 582/XXXI(15)G/22-49 (सा0)/2020 दिनांक 17 मई, 2022 के द्वारा समस्त अपर सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी) उत्तराखण्ड शासन, समस्त मण्डलायुक्त, समस्त जिलाधिकारी, एवं समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष को निर्देश जारी किये गये।

संस्तुति	कृत कार्यवाही
5. आयोग की संस्तुति है कि समस्त लोक सूचना अधिकारियों और विभागीय अपीलीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किये जाएं कि उनके स्तर से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किये जाने वाले समस्त पत्राचारों में अपने पते के साथ-साथ संबंधित डाकघर का पिनकोड, कार्यालय का दूरभाष नम्बर, मो0न0, ई-मेल का भी अवश्य उल्लेख किया जाए। जिससे सभी सम्बन्धित को समय से पत्राचार प्राप्त हो सके।	आयोग की उक्त संस्तुति पर शासनादेश संख्या 1239/XXI(15)G/22-06 (सा0)/2016 दिनांक 25. 10.2022 के द्वारा समस्त अपर सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी) उत्तराखण्ड शासन, समस्त मण्डलायुक्त, समस्त जिलाधिकारी, एवं समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को निर्देश जारी किये गये।

वर्ष	लोक सूचना अधिनियम के तहत	कार्यवाही
2005 — 06	03	03
2006 — 07	20	12
2007 — 08	08	04
2008 — 09	09	04
2009 — 10	04	04
2010 — 11	05	05
2011 — 12	03	02
2012 — 13	03	02
2013 — 14	05	02
2014 — 15	05	05
2015 — 16	13	13
2016 — 17 एवं 2017 — 18	02	02
2018 — 19 एवं 2019 — 20	02	—
2020 — 21 एवं 2021 — 22	01	01
2022 — 23	05	04



सूचना का
अधिकार

**सूचना आवेदन पत्रों,
द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों का
संख्यात्मक विवरण**



सूचना का
अधिकार

सूचना आवेदन पत्रों, द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों का संख्यात्मक विवरण

विभिन्न लोक प्राधिकारियों के स्तर से आयोग को मासिक प्रगति विवरणों तथा आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों के संख्यात्मक विवरण को निम्नलिखित ग्राफ / संख्यात्मक विवरण के माध्यम से इस अध्याय में प्रदर्शित किया गया है :

- 4.1 लोक प्राधिकारीवार / विभागवार प्रगति विवरण
- 4.2 लोक प्राधिकारीवार प्राप्त सूचना आवेदन पत्र
- 4.3 विगत 10 वर्षों में लोक प्राधिकारियों को प्राप्त एवं उनके द्वारा निस्तारित सूचना आवेदन पत्रों का तुलनात्मक विवरण
- 4.4 लोक प्राधिकारीवार आयोग में पंजीकृत द्वितीय अपीलों की संख्या
- 4.5 आयोग में पंजीकृत, निस्तारित और अवशेष द्वितीय अपीलों का विवरण
- 4.6 जनपदवार पंजीकृत द्वितीय अपीलों की संख्या
- 4.7 पंजीकृत द्वितीय अपीलों का महिला – पुरुष अनुपात
- 4.8 पंजीकृत द्वितीय अपीलों का ग्रामीण – शहरी क्षेत्र का अनुपात
- 4.9 लोक प्राधिकारीवार आयोग में पंजीकृत शिकायतों की संख्या
- 4.10 जनपदवार पंजीकृत शिकायतें
- 4.11 पंजीकृत शिकायतों में महिला – पुरुष अनुपात
- 4.12 पंजीकृत शिकायतों का ग्रामीण – शहरी क्षेत्र अनुपात

4.1 लोक प्रधिकारी वार / विभागवार प्रगति विवरण

वर्ष : 2023 - 24

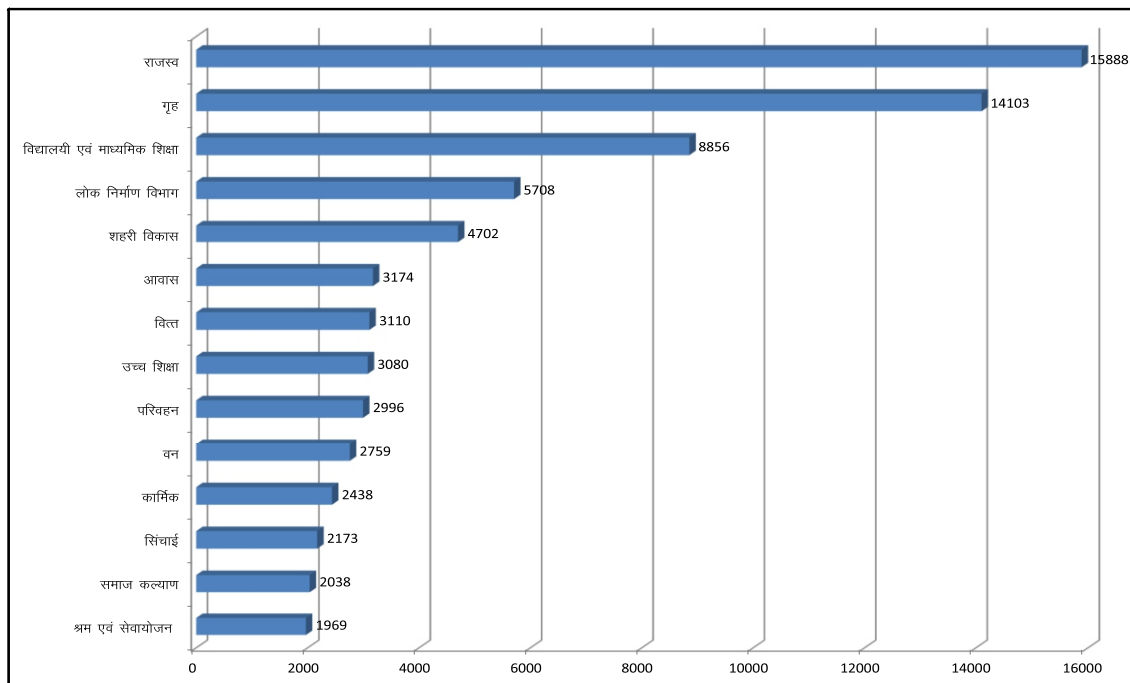
क्र.सं.	लोक प्राधिकारी / विभाग का नाम	सूचना अनुरोध पत्र				प्रथम अपील				प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष एकत्रित कुल धनराशि (रु.)	सूचना का अधिकार अधिनियम की संगत धारायें										
		प्राप्त अनुरोधों की कुल संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	प्राप्त प्रथम अपीलों की कुल संख्या	निस्तारित प्रथम अपीलों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत प्रथम अपीलों की संख्या	धारा 8 (1)													
								(क)	(ख)		(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)	धारा 9 धारा 11 24	धारा 24	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	कृषि	870	849	13	171	166	0	37417													
2	पशुपालन एवं मत्स्य	435	380	7	39	38	0	27244	7												
3	मुख्यमंत्री कार्यालय	670	669	1	25	24	1	7923													
4	नागरिक उद्बुधन	26	26	0	6	6	0	1436													
5	गोपन	34	34	6	7	7	0	1118								6					
6	सहकारिता	701	701	2	301	244	3	11470													
7	संस्कृति एवं अभिलेखागार	63	47	0	11	6	0	490													
8	डेयरी विकास	92	89	3	27	26	0	3072													
9	आपदा प्रबंधन	18	18	0	0	0	0	190													
10	पेयजल	776	577	10	121	58	2	6170													
11	उच्च शिक्षा	3080	2973	2	159	165	1	85106												1	
12	विद्यालयी एवं माध्यमिक शिक्षा	8856	8754	11	1218	1177	2	130490													
13	प्राविधिक शिक्षा	384	381	1	74	72	0	8860													
14	निर्वाचन	504	504	1	15	16	0	18421													
15	ऊर्जा	973	938	6	125	120	2	28084													
16	राज्य सम्पत्ति	38	38	0	4	4	0	1070													

क्र.सं.	लोक प्राधिकारी / विभाग का नाम	सूचना अनुरोध पत्र				प्रथम अपील			प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष एकीकृत कुल धनराशि (रु.)	सूचना का अधिकार अधिनियम की संगत धारायें												धारा 9 धारा 11 धारा 24
		सूचना अनुरोध पत्र		निस्तारित में से अस्वीकृत आवेदनों की संख्या		निस्तारित में से अस्वीकृत प्रथम अपीलों की संख्या		प्राप्त प्रथम अपीलों की कुल संख्या		निस्तारित में से अस्वीकृत प्रथम अपीलों की संख्या												
		प्राप्त अनुरोधों की कुल संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	निस्तारित प्रथम अपीलों की कुल संख्या	निस्तारित प्रथम अपीलों की संख्या	प्राप्त प्रथम अपीलों की कुल संख्या	निस्तारित प्रथम अपीलों की संख्या														
		(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)		(ज)	(झ)	(ञ)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
17	सैनिक कल्याण	331	330	4	17	17	0	4426		1												
18	आवकारी	197	196	0	18	18	0	13336										4				
19	वित्त	3110	3090	5	248	245	11	62532														
20	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	69	67	0	10	9	0	2948														
21	वन	2759	2715	15	330	330	5	62079					9							1		
22	सामान्य प्रशासन	220	220	23	20	5	0	9052														
23	चिकि. स्वा. एवं परिवार कल्याण	1783	1690	48	300	268	1	23499														
24	गृह	14103	14056	100	1454	1454	30	148742	1		1		1	1	2	22	10	54	2	63	30	
25	उद्यान खाद्य प्रस. एवं रेशम	548	537	1	25	22	0	23848														
26	आवास	3174	2979	0	268	268	0	30354														
27	उद्योग	268	248	0	47	40	0	12720														
28	सूचना प्रौद्योगिकी	56	56	1	5	4	0	1025									1					
29	सूचना	475	465	0	62	60	3	21784														
30	सिंचाई	2173	1680	8	205	186	79	128953														
31	न्याय	37	37	0	8	6	0	2680														
32	श्रम एवं सेवायोजन	1969	1662	8	330	303	0	36921														
33	चिकित्सा शिक्षा	1116	1105	3	99	99	0	41416					21					2		5		
34	लघु सिंचाई	159	152	0	34	34	0	10698														
35	पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियंत्रण	831	831	0	78	78	0	12496														
36	विधायी, संसदीय कार्य एवं भाषा	6	6	0	1	1	0	20														

क्र.सं.	लोक प्राधिकारी / विभाग का नाम	सूचना अनुरोध पत्र				प्रथम अपील			प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष एकीकृत कुल धनराशि (रु.)	सूचना का अधिकार अधिनियम की संगत धारायें											धारा 9 धारा 11 धारा 24
		प्राप्त अनुरोधों की कुल संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	निस्तारित अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	प्राप्त प्रथम अपीलों की कुल संख्या	निस्तारित प्रथम अपीलों की संख्या	निस्तारित अस्वीकृत प्रथम अपीलों की संख्या	धारा 8 (1)													
								(क)		(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)	(ड)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
37	कार्मिक	2438	2358	1	178	158	0	97058			2		2				4				
38	नियोजन	61	38	0	4	3	0	2671													
39	प्रोटोकाल	4	4	0	0	0	0	40													
40	लोक निर्माण विभाग	5708	3345	9	534	370	0	128500													
41	धर्मस्व	12	12	0	3	3	0	150													
42	राजस्व	15888	13515	107	2260	2032	109	214940													
43	ग्राम्य विकास	1382	1373	19	323	302	0	22739													
44	सचिवालय प्रशासन	204	204	0	22	22	0	5996													
45	समाज कल्याण	2038	1580	0	145	116	0	30701													
46	खेल	22	22	0	3	3	0	150													
47	राज्य पुनर्गठन	12	12	0	1	1	0	690													
48	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	900	900	2	25	11	0	800													
49	पर्यटन	626	616	26	65	63	0	12266													
50	परिवहन	2996	2930	0	248	240	0	36879	10												
51	शहरी विकास	4702	4345	4	895	861	0	106250													
52	सतर्कता	59	59	20	4	4	1	680								4					
53	जलागम प्रबंधन	75	32	0	10	10	6	974													
54	महिला सशक्तिकरण एवं बाल वि.	593	589	33	110	109	0	8750											1		
55	युवा कल्या. एवं प्रांतीय स्क्व दल	14	14	0	11	11	0	475													
56	राजभवन	189	189	0	16	16	0	3784													

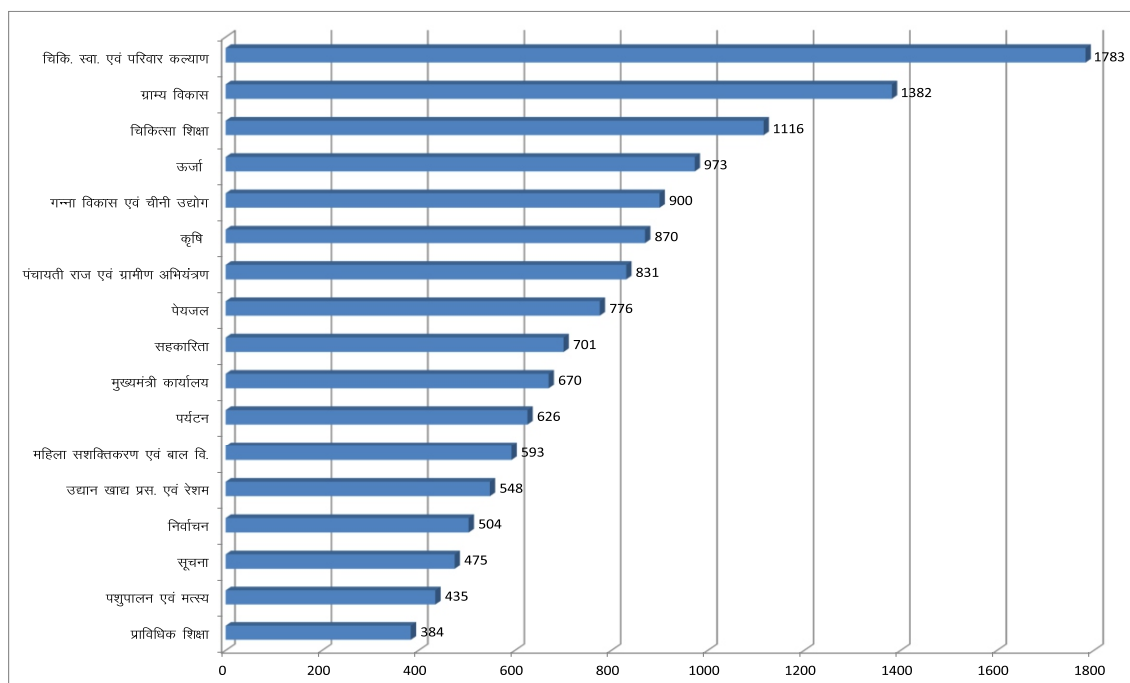
क्र.सं.	लोक प्राधिकारी / विभाग का नाम	सूचना अनुरोध पत्र				प्रथम अपील			प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष एकात्रित कुल धनराशि (रु.)			सूचना का अधिकार अधिनियम की संगत धारायें												
		प्राप्त अनुरोधों की कुल संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	निस्तारित अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	प्राप्त प्रथम अपीलों की कुल संख्या	निस्तारित प्रथम अपीलों की संख्या	निस्तारित अस्वीकृत प्रथम अपीलों की संख्या	धारा 8 (1)																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	धारा 11	धारा 24	
57	विधान सभा	240	231	0	95	85	0	7887																
58	उच्च न्यायालय	242	246	3	33	32	31	6827					3						3					
59	विज्ञान प्रौद्योगिकी	2	1	0	1	1	0	150																
60	अन्य	22	22	0	1	1	0	340																
	कुल योग	89333	81737	503	10849	10030	287	1707787	18	1	2	1	35	1	2	27	20	64	2	70	30			

4.2. लोक प्राधिकारीवार प्राप्त सूचना आवेदन पा (2023-24)
श्रेणी-क (ऐसे विभाग जहाँ 1900 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुये)

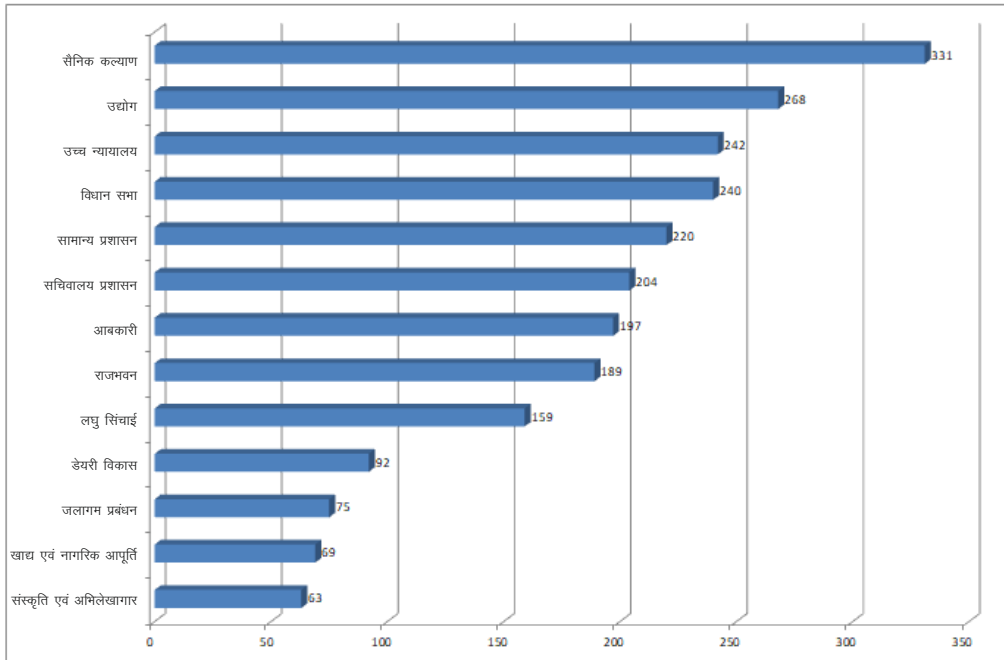


प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या

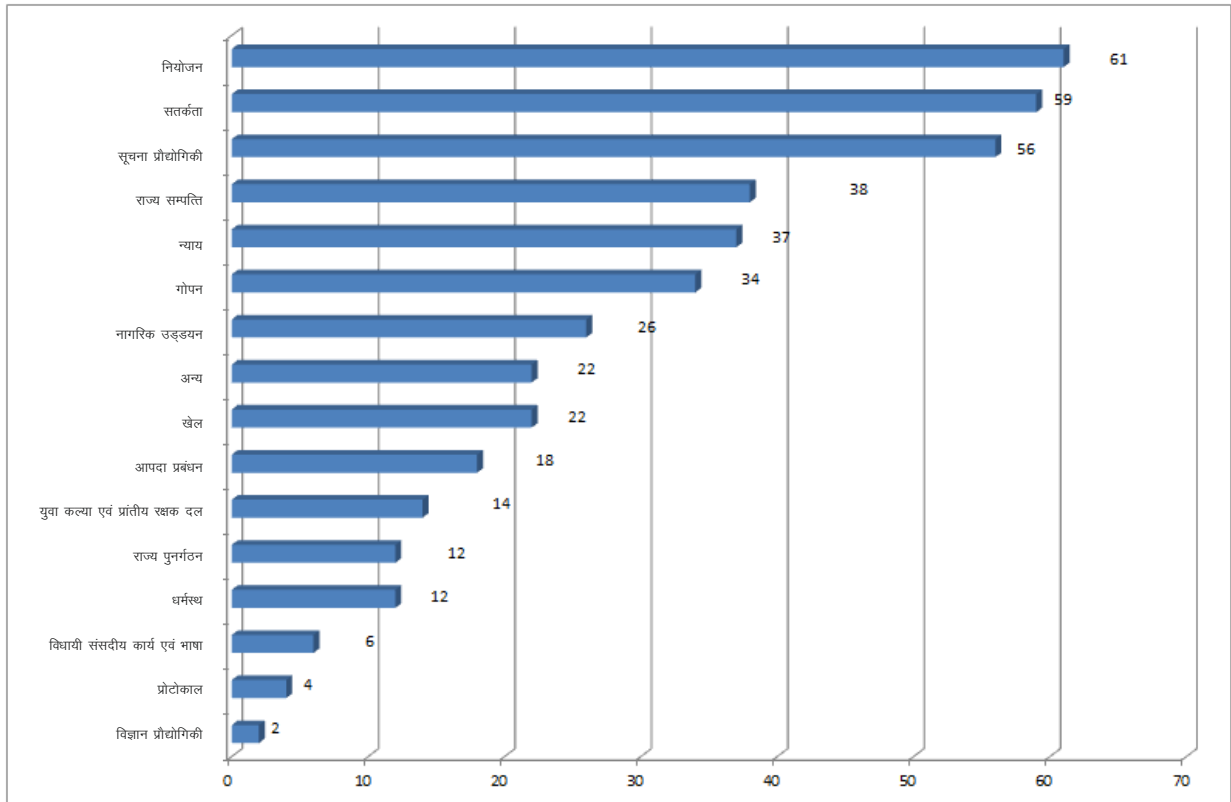
श्रेणी-ख (ऐसे विभाग जहाँ 380 से 1800 के मध्य आवेदन पत्र प्राप्त हुये)



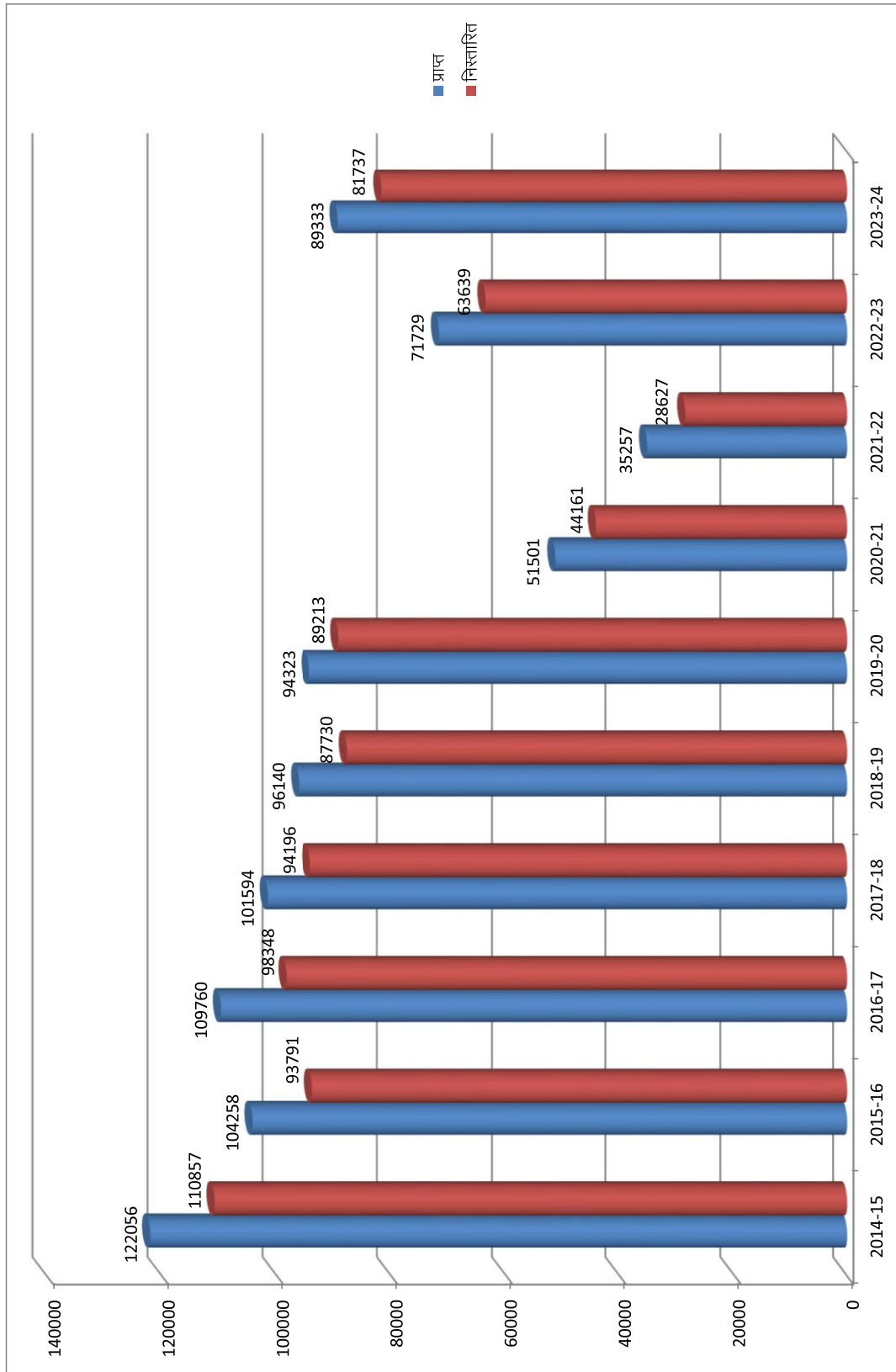
श्रेणी-ग (ऐसे विभाग जहाँ 60 से 350 के मध्य आवेदन पत्र प्राप्त हुये)



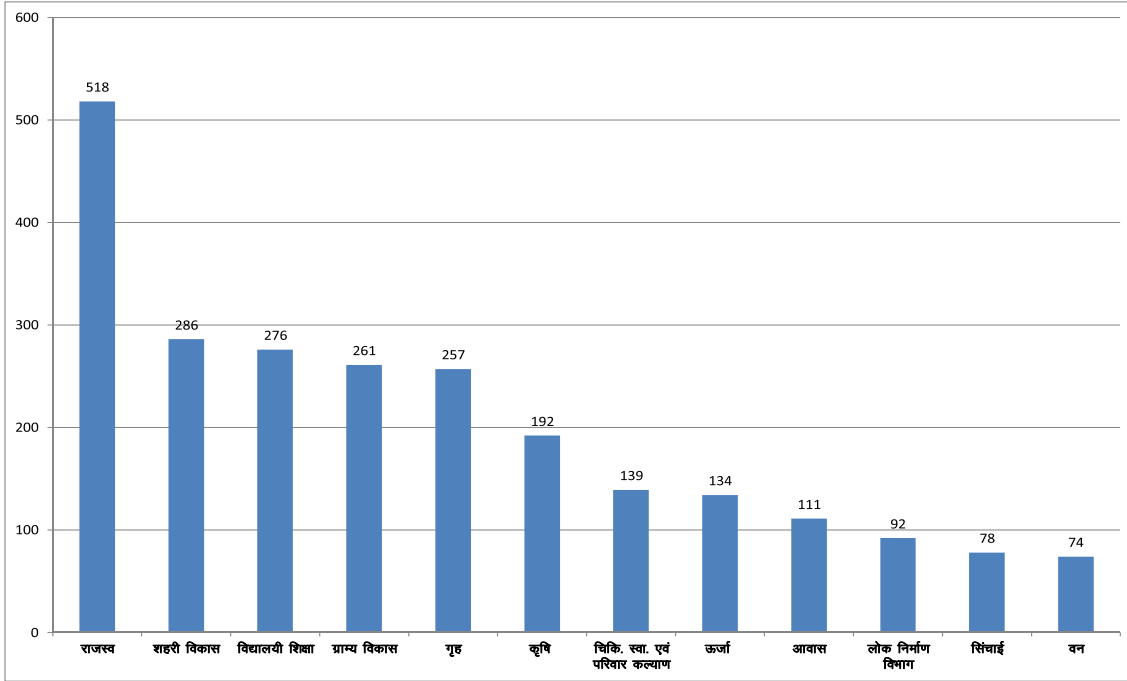
श्रेणी-घ (ऐसे विभाग जहाँ 70 से कम आवेदन पत्र प्राप्त हुये)



4.3 विगत 10 वर्षों में लोक प्राधिकारियों को प्राप्त एवं उनके द्वारा निस्तारित सूचना आवेदन पत्रों का तुलनात्मक विवरण

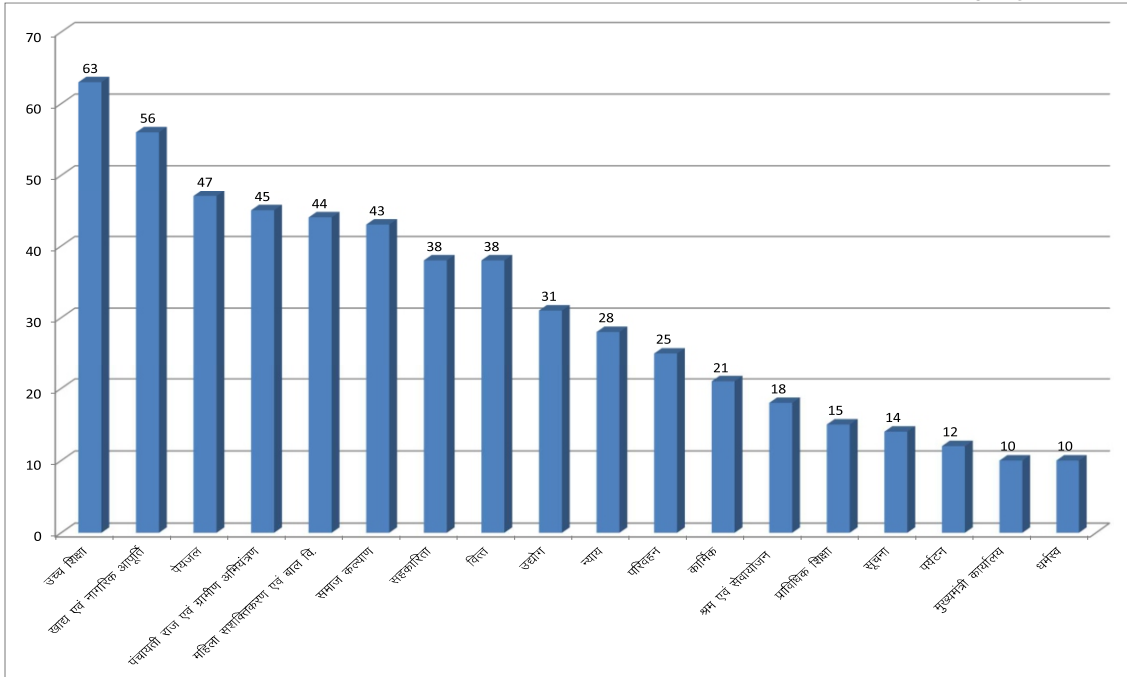


4.4. लोक प्राधिकारीवार आयोग में पंजीकृत द्वितीय अपीलों की संख्या (2023-24)
श्रेणी-क (ऐसे विभाग जिनके सम्बन्ध में 70 से अधिक संख्या में द्वितीय अपील पंजीकृत हुयी)

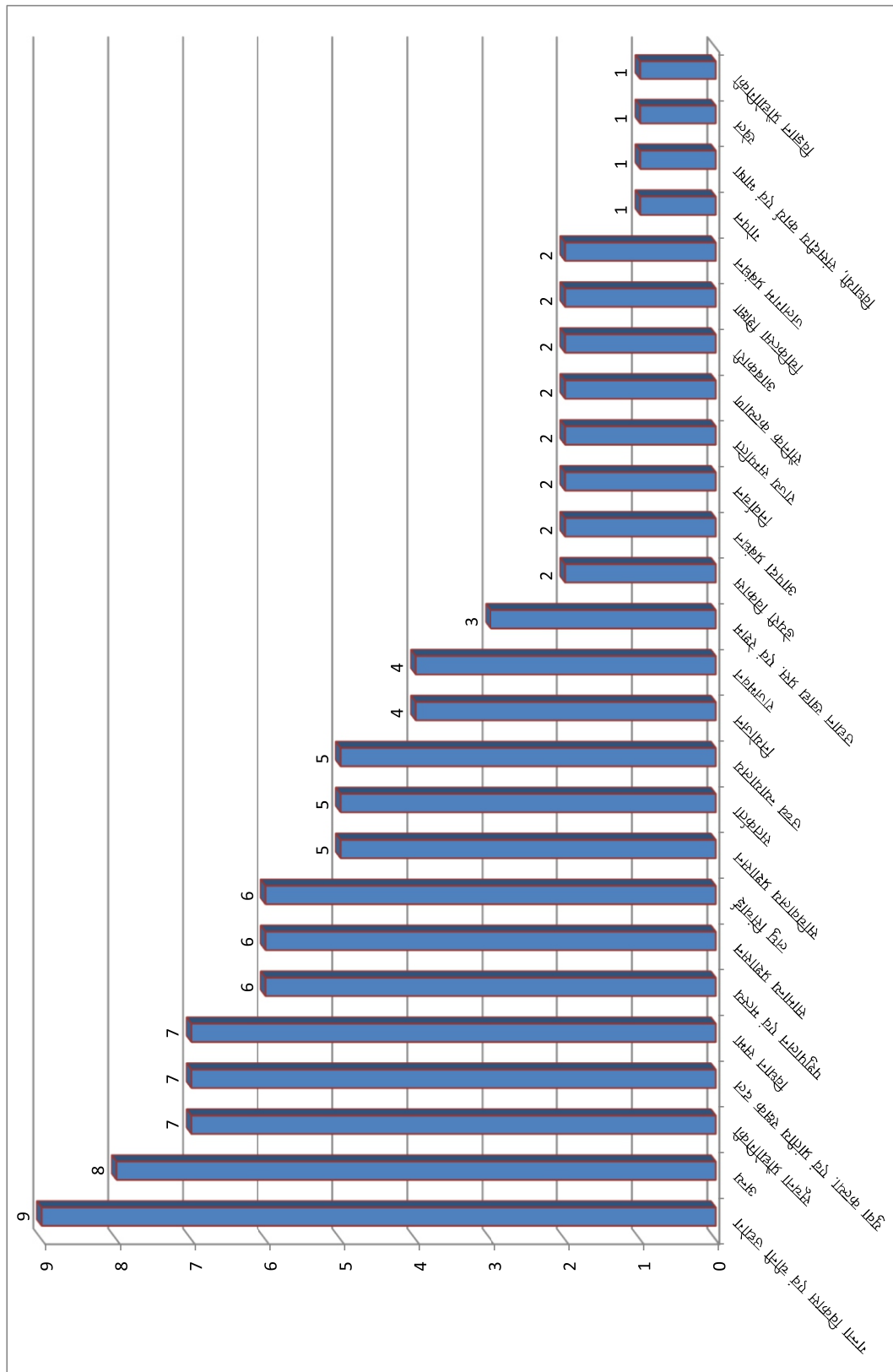


विभाग

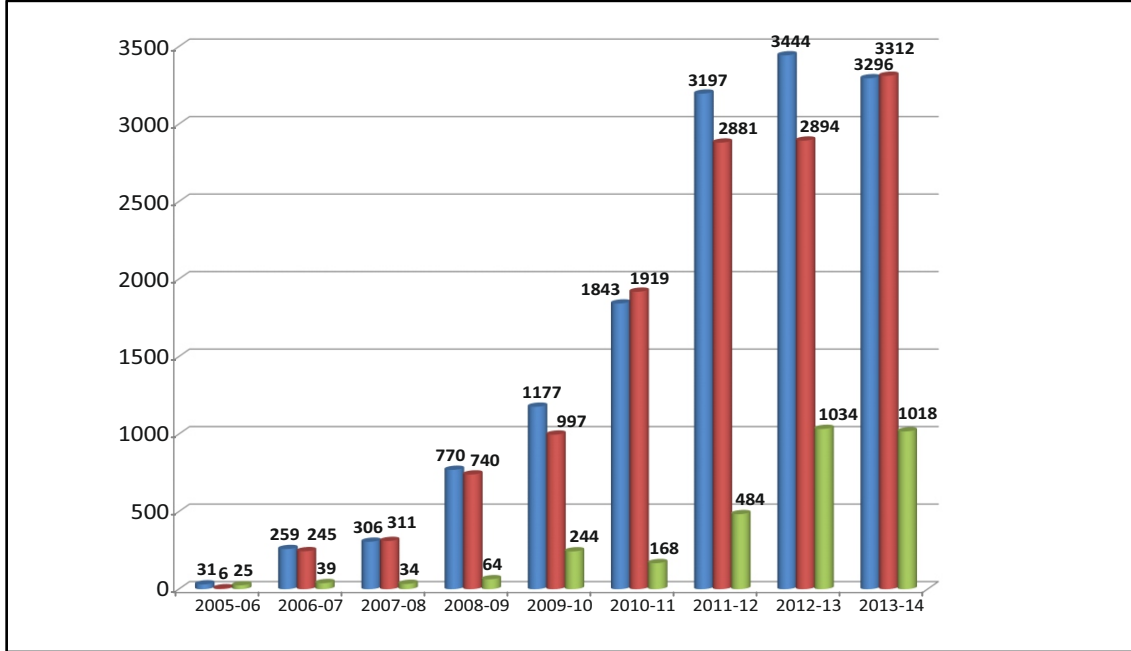
श्रेणी-ख (ऐसे विभाग जिनके सम्बन्ध में 10 से 70 के मध्य द्वितीय अपील पंजीकृत हुयीं)



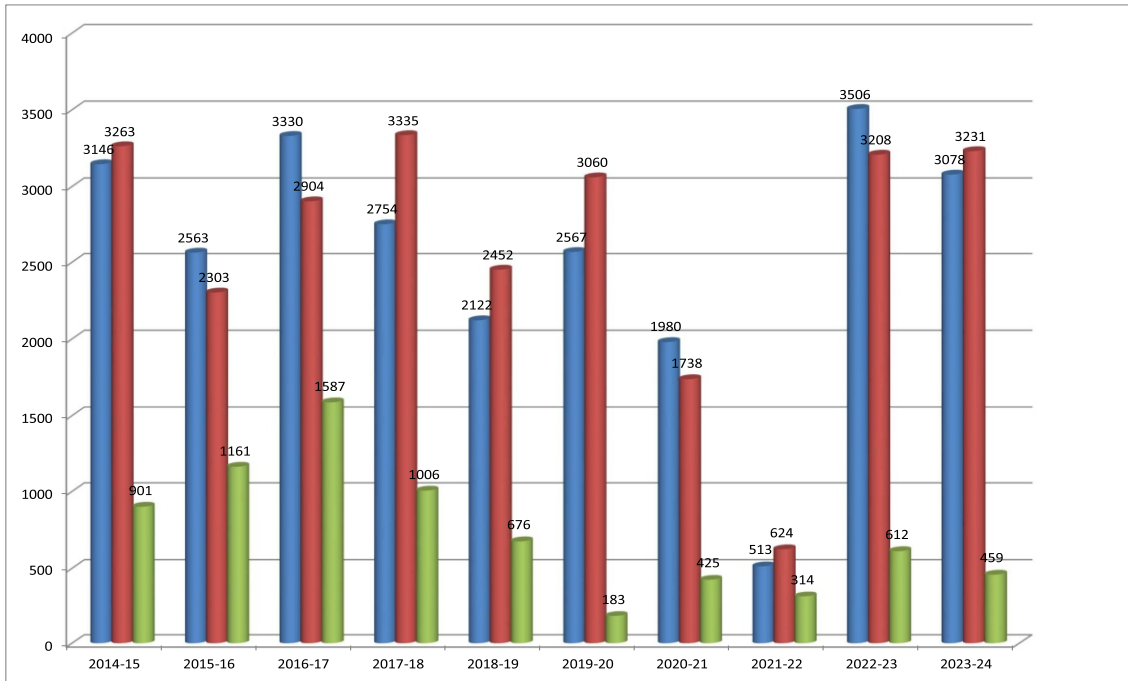
श्रेणी-ग (ऐसे विभाग जिनके सम्बन्ध में 10 से कम द्वितीय अपील पंजीकृत हूँ)



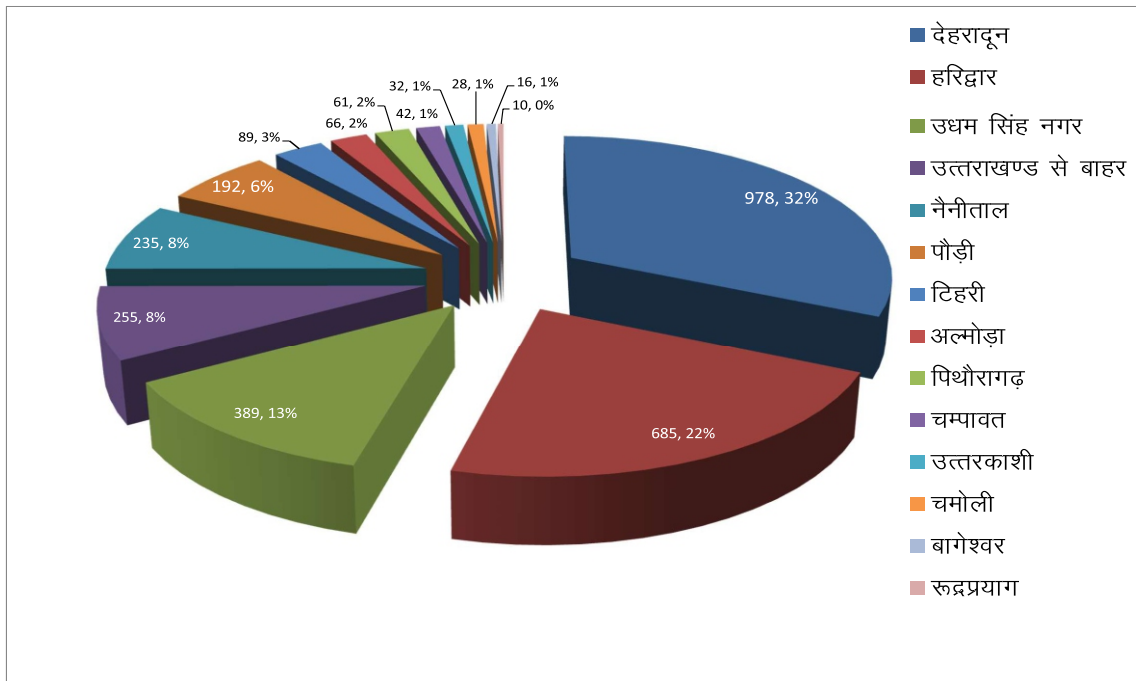
4.5 आयोग में पंजीकृत, निस्तारित और अवशेष द्वितीय अपीलों का विवरण



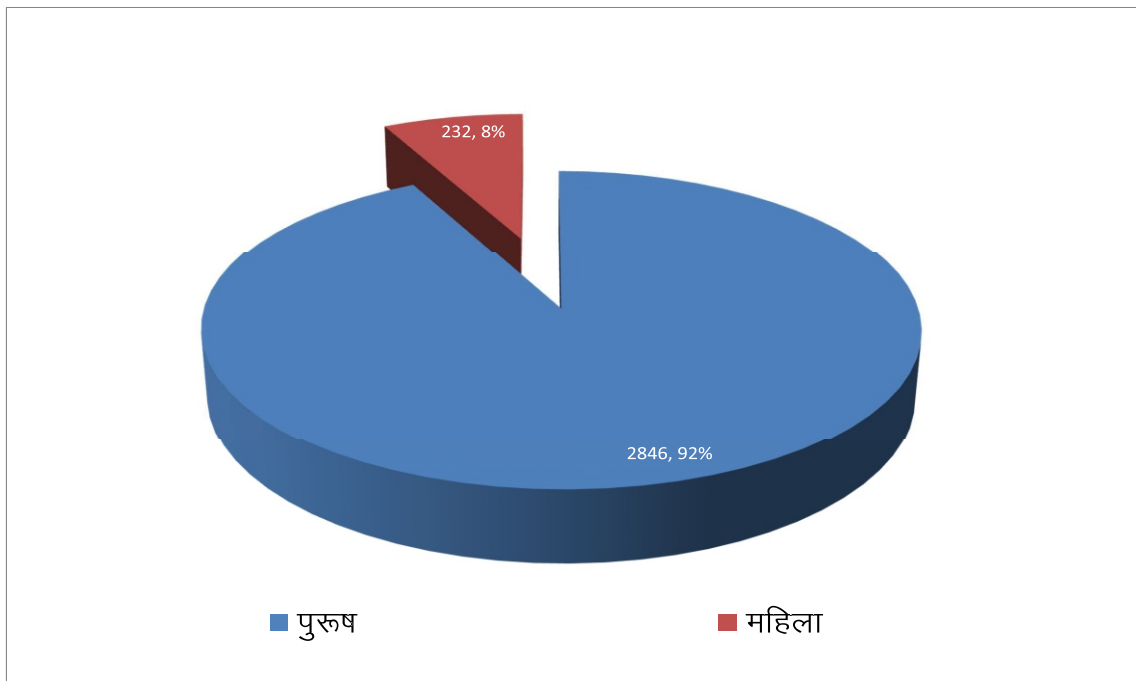
■ प्राप्त ■ निस्तारित ■ अवशेष



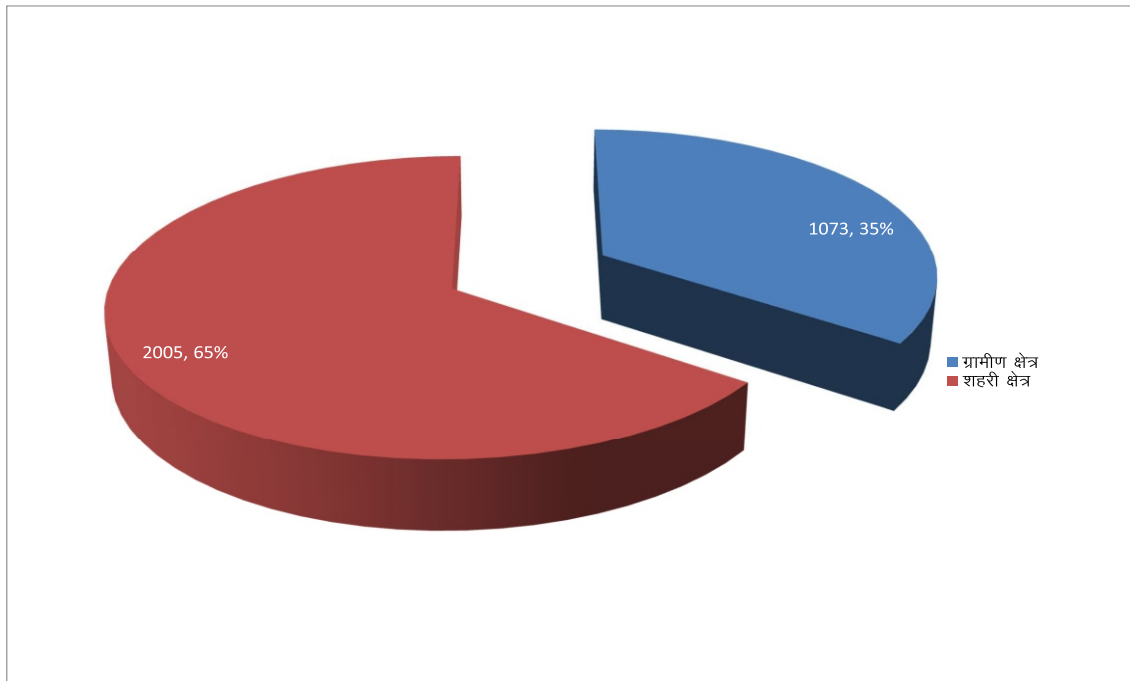
4.6 जनपदवार पंजीकृत द्वितीय अपीलों की संख्या (प्रतिशत में) (वर्ष 2023-24)



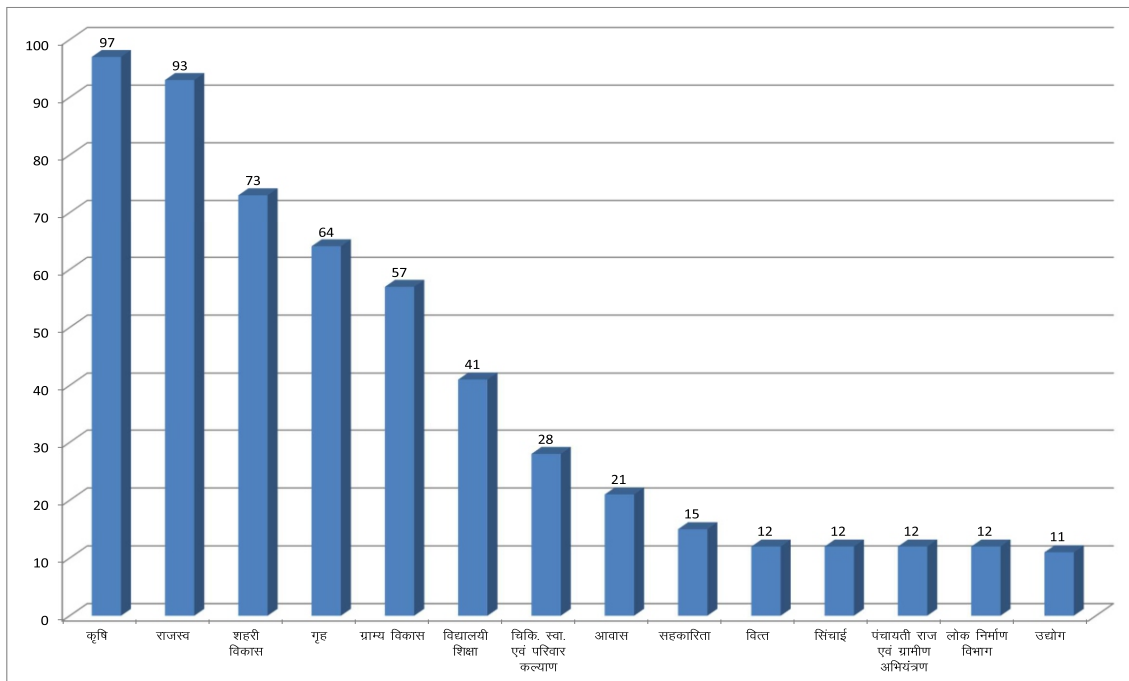
4.7 पंजीकृत द्वितीय अपीलों में महिला-पुरुष का अनुपात (वर्ष 2023-24)



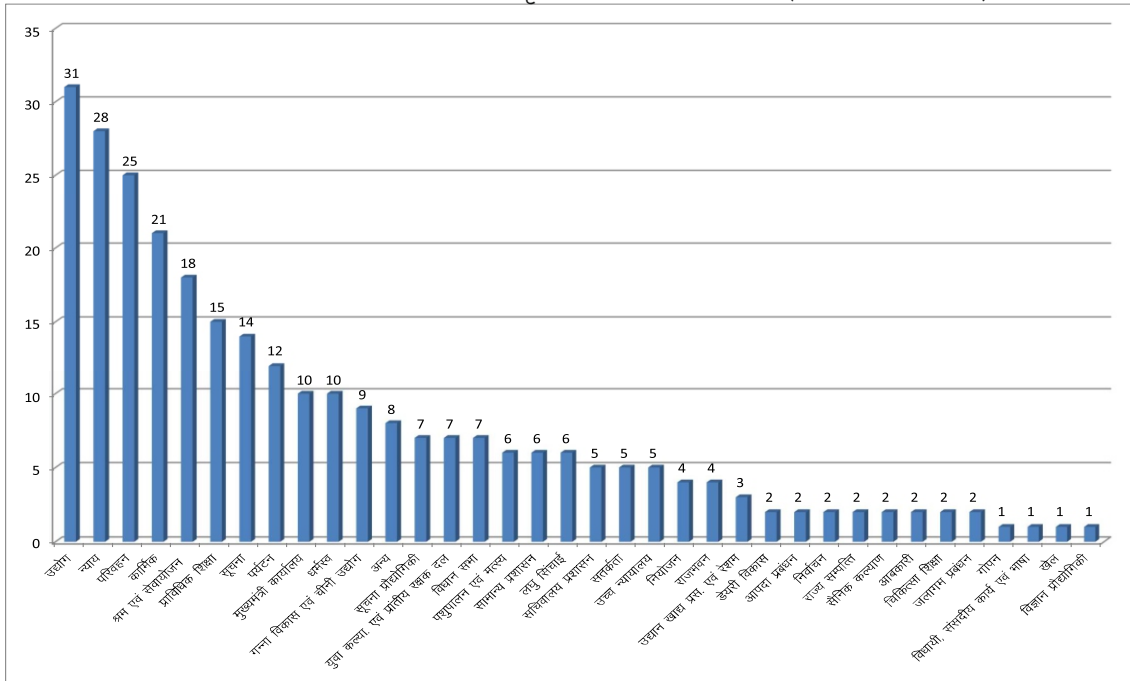
4.8 पंजीकृत द्वितीय अपीलों का ग्रामीण-शहरी क्षेत्र का अनुपात (वर्ष 2023-24)



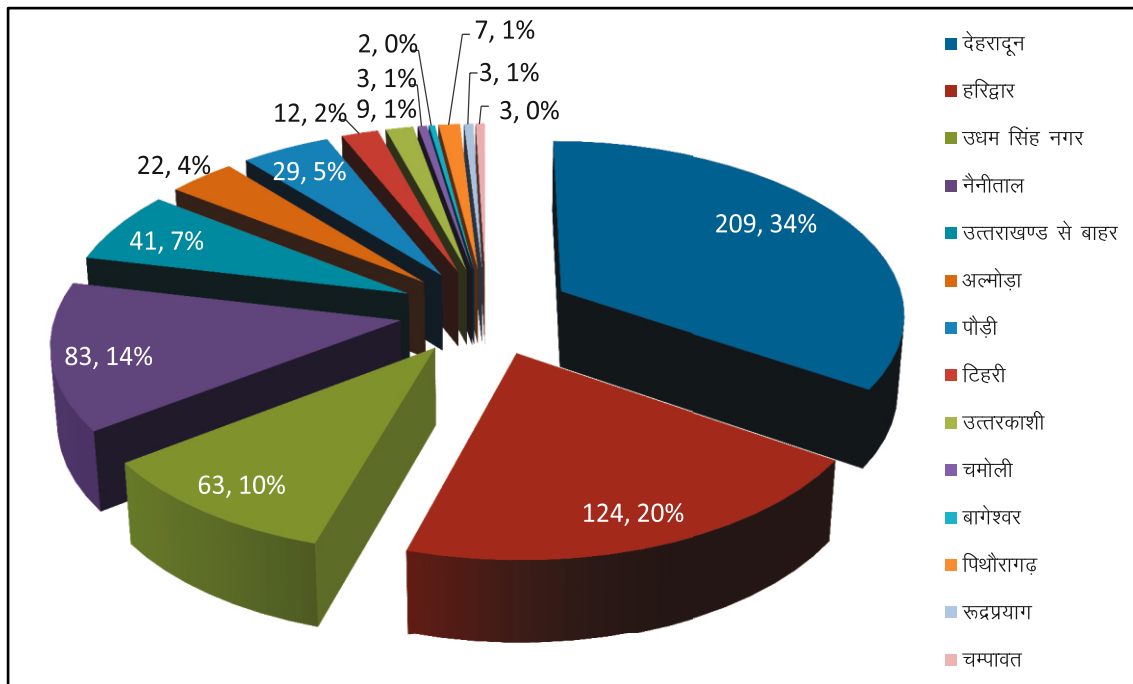
4.9 लोक प्राधिकारीवार आयोग में पंजीकृत शिकायतों की संख्या (2023-24)



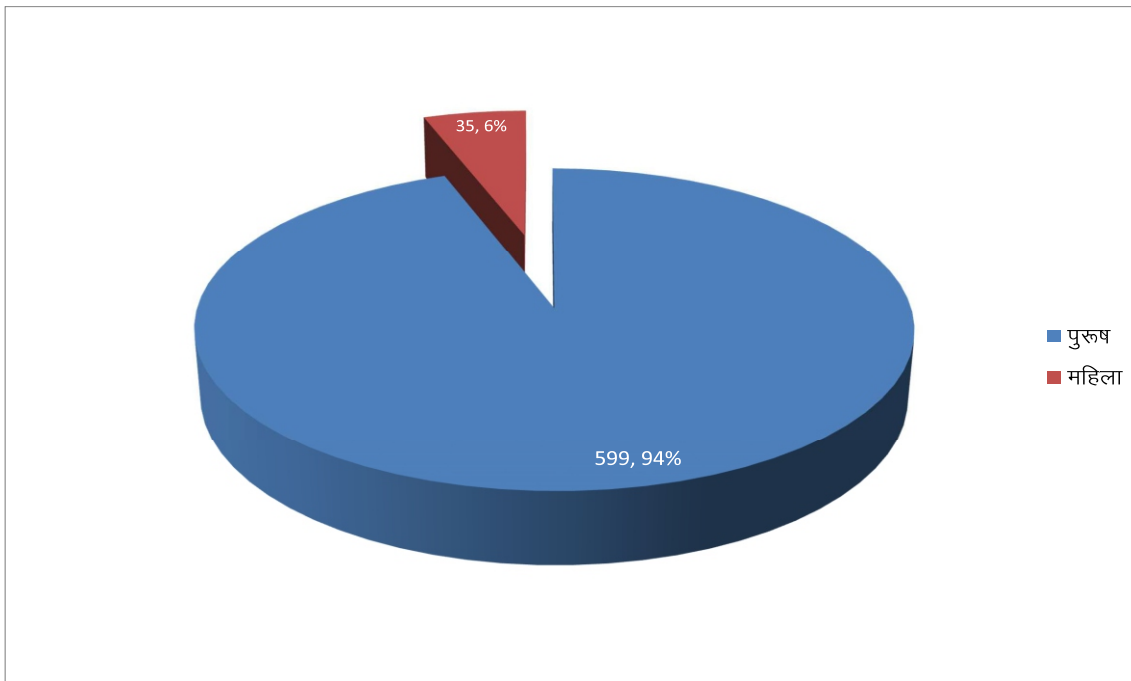
लोक प्राधिकारीवार आयोग में पंजीकृत शिकायतों की संख्या (वर्ष 2023-24)



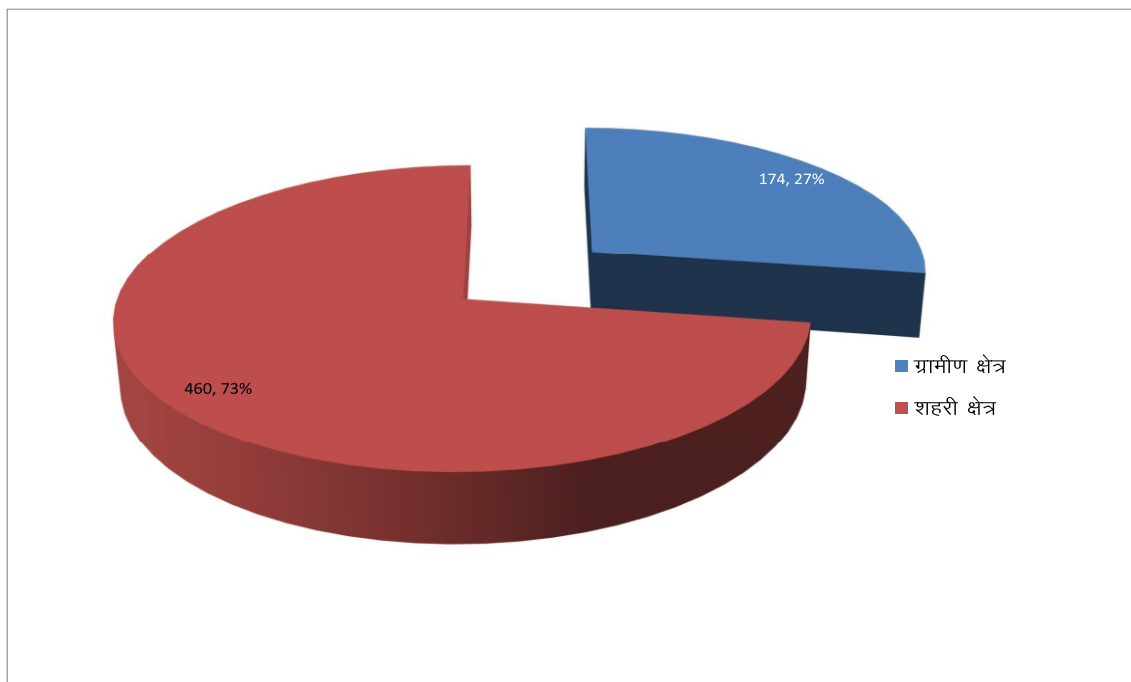
4.10 जनपदवार पंजीकृत शिकायतें (प्रतिशत में) (वर्ष 2023-24)



4.1 1 पंजीकृत शिकायतों में महिला- पुरुष अनुपात (वर्ष 2023-24)



4.1 2 पंजीकृत शिकायतों का ग्रामीण – शहरी क्षेत्र अनुपात (वर्ष 2023-24)





आयोग की संस्तुतियां

आयोग की संस्तुतियाँ

इस वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा निम्नलिखित 01 संस्तुति राज्य सरकार के विचारार्थ प्रेषित की जा रही है:

संस्तुति : 1

रिट पिटीशन (सिविल) संख्या 990/2021 किशन चन्द्र जैन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य के आदेश दिनांक 17.08.2023 में मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग और समस्त राज्य सूचना आयोगों को आदेशित किया गया है कि समस्त लोक प्राधिकारियों के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 का अनुपालन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है या नहीं, की मॉनीटरिंग करेंगे।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार ने समस्त लोक प्राधिकारियों के द्वारा तैयार मैनुअल का प्रतिवर्ष तृतीय पक्ष ऑडिट कराये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.08.2023 के अनुपालन में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 04 के तहत राज्य के समस्त लोक प्राधिकारियों के द्वारा तैयार मैनुअल का तृतीय पक्ष से ऑडिट कराये जाने हेतु डॉ0 आर0एस0 टोलिया प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल अथवा ऐसे किसी अन्य राजकीय प्रशिक्षण संस्थान को नामित किये जाने की संस्तुति आयोग द्वारा की जाती है।



सूचना का
अधिकार



आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम



डॉ. आर.एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी
आर्डवेल कैम्प, नैनीताल - 263001

Dr. R. S. Tolia Uttarakhand Academy of Administration
Ardwell Camp, Nainital - 263001

Phone : 235014
फोन : 235068
204
: 236149
Fax : 237642
FAX : 237642
STD एलडीसी : 05942
E-Mail :
uscansinital@gmail.com

सेवा में,

सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सूचना का अधिकार भवन,
लाडपुर, रिंग रोड देहसदून।

पत्रांक: 667 /IV-32(2023)TCU

दिनांक: 28 मार्च, 2024

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अकादमी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उक्त विषयक आयोग के पत्रांक 13366/उ0सू0अ0/2022-23 दिनांक 21.03.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा राज्य सूचना आयोग से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से सम्बन्धित प्रशिक्षण आयोजित कराये जाने हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि रु. 3.00 लाख (रु. तीन लाख मात्र) एवं अकादमी स्तर से सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सम्पादित कराये गये प्रशिक्षणों के सम्बन्ध में सूचना चाही गयी है।

उक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि राज्य सूचना आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि रु. 3.00 लाख एवं अकादमी द्वारा राजकीय बजट के साथ-साथ डी0ओ0पी0टी0 भारत सरकार से प्राप्त धनराशि से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 सम्बन्धी प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रमों का विवरण संलग्नानुसार आपकी सेवा में प्रेषित है।

अग्रेत्तर यह भी अवगत कराना है कि अकादमी द्वारा मुख्यालय स्तर से अन्यत्र सुदूरवर्ती जनपदों में प्रशिक्षण का आयोजन कराये जाने हेतु तत्समय 09 जनपदों हेतु धनराशि की माँग की गई थी। जबकि आयोग द्वारा उनके पास उपलब्ध धनराशि रु. 3.00 लाख मात्र ही अकादमी को प्रेषित की गई है। अकादमी द्वारा डी0ओ0पी0टी0 भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि के समानानुसार जनपद स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किये गये हैं।

अतः उक्तानुसार सूचना सेवा में प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(डॉ० महेश कुमार)
संयुक्त निदेशक

उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि रू. 3.00 लाख (रू. तीन लाख मात्र) के सापेक्ष आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण वर्ष 2023-2024

क्र०सं०	जनपद	प्रतिभागियों की संख्या	अवधि
1	हरिद्वार	75	19 दिसम्बर, 2023
2	उधमसिंह नगर	47	06 जनवरी, 2024
3	उत्तरकाशी	78	31 जनवरी, 2024

भवदीय,

(डॉ० महेश कुमार)
संयुक्त निदेशक

उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल द्वारा प्रशिक्षण मद के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि के सापेक्ष आयोजित Outreach प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण
वर्ष 2023-2024

क्र०सं०	जनपद	प्रतिभागियों की संख्या	अवधि
1	बागेश्वर	39	07 जुलाई, 2023
2	रूद्रप्रयाग	91	14 सितम्बर, 2023
3	चमोली	59	19 अक्टूबर, 2023
4	पिथौरागढ़	64	16 दिसम्बर, 2023
5	पौड़ी गढ़वाल	84	06 अक्टूबर, 2023
6	टिहरी गढ़वाल	54	12 दिसम्बर, 2023

डी०ओ०पी०टी० भारत सरकार से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य कार्यक्रमों का विवरण
वर्ष 2023-2024

क्र०सं०	जनपद	प्रतिभागियों की संख्या	अवधि
1	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत "प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण"	21	20-22 नवम्बर, 2023
2	जनपद स्तरीय दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम		
(i)	चम्पावत	25	14 मार्च, 2024
		25	15 मार्च, 2024
(ii)	पौड़ी गढ़वाल	51	23 जनवरी, 2024
		66	24 जनवरी, 2024
(iii)	नैनीताल	45	31 जनवरी एवं 01 फरवरी, 2024
(iv)	चमोली	50	30-31 जनवरी, 2024
(v)	बागेश्वर	50	29-30 जनवरी, 2024
(vi)	पिथौरागढ़	50	08-09 फरवरी, 2024
3	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की मार्गदर्शिका (Guide book)		1000 नग

भवदीय,
(डॉ० महेश कुमार)
संयुक्त निदेशक

**जनसामान्य के उपयोगार्थ
प्रारम्भ की गयी
ऑनलाईन सुविधायें**

जनसामान्य के उपयोगार्थ प्रारम्भ की गयी ऑनलाईन सुविधायें

जनसामान्य को ऑनलाईन सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की दिशा में वर्ष 2023-24 बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है।

दिनांक 15.01.2024 को सचिवालय सभागार में मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड ऑनलाईन आर.टी.आई. पोर्टल तथा ऑनलाईन द्वितीय अपील/शिकायत प्रेषण एवं हाईब्रिड माध्यम से सुनवायी की व्यवस्था को जनसामान्य के उपयोगार्थ लॉन्च किया गया।



मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन W.P. (C) No. 360 of 2021 Kishan Chand Jain बनाम Union of India & Others में दिनांक 09.10.2023 को आदेश पारित करते हुये देश के समस्त सूचना आयोगों को निर्देशित किया गया कि अपीलकर्ताओं/शिकायतकर्ताओं को ऑनलाईन द्वितीय अपील/शिकायत प्रेषण एवं हाईब्रिड रूप से आयोग में सुनवायी की सुविधा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

इसके अतिरिक्त एक अन्य याचिका में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सूचना अनुरोध पत्रों तथा प्रथम अपीलों के ऑनलाईन प्रेषण की सुविधा भी जनसामान्य को उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेशित किया गया था।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों के ऑनलाईन प्रेषण तथा उनकी हाईब्रिड मोड से सुनवायी में भाग लेने हेतु ऑनलाईन सुविधा प्रदान कर दी गयी है।

इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सूचना अनुरोध पत्रों तथा प्रथम अपीलों के ऑनलाईन प्रेषण हेतु तैयार एक पोर्टल को भी जनसामान्य के उपयोगार्थ उपलब्ध कराया गया।

आयोग द्वारा प्रारम्भ की गयी ऑनलाईन सुविधाओं का सबसे अधिक लाभ उत्तराखण्ड राज्य के दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों को प्राप्त होगा तथा उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन एवं प्रथम अपील ऑनलाईन रूप से किये जाने की सुविधा प्राप्त होने के साथ-साथ द्वितीय अपील में भी अपने स्थान से ही प्रतिभाग करने की सुविधा प्राप्त होगी। इस सुविधा के प्रयोग से उनके समय, श्रम तथा धन की बचत भी होगी।

जनसामान्य के साथ-साथ प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के विभिन्न कार्यालयों में नामित लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा भी हाईब्रिड रूप से आयोग में सुनवायी की सुविधा का प्रयोग कर अपने कार्य-स्थल से ही आयोग की सुनवाईयों में प्रतिभाग किया जाना संभव होगा। इसके फलस्वरूप उनके समय व धन तथा यात्रा भत्ते में होने वाले राजकीय व्यय को नियंत्रित करने में भी सफलता प्राप्त होगी।

प्रारम्भ होने के समय से ही जनसामान्य एवं राजकीय कार्मिकों के द्वारा उक्त सुविधाओं का उपयोग शुरू कर दिया गया है तथा उनका अधिक से अधिक लाभ उठाया जा रहा है।



**लोक सूचना अधिकारियों
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों
की समीक्षा बैठकें / प्रशिक्षण कार्यक्रम**

लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों की समीक्षा बैठकें/प्रशिक्षण कार्यक्रम

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा अपने गठन के समय से ही प्रदेश के विभिन्न लोक प्राधिकारी कार्यालयों द्वारा नामित लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों के प्रशिक्षण तथा उनके कार्य की निरन्तर समीक्षा किये जाने पर विशेष बल दिया गया है।

लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों तथा उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु आयोग द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों की अध्यक्षता में प्रदेश के विभिन्न जनपद एवं तहसील मुख्यालयों में विभिन्न समीक्षा/जागरूकता बैठकों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनका विवरण निम्नवत् है :

क्र. सं.	दिनांक	तहसील/जनपद मुख्यालय	बैठक स्थान	अध्यक्षता
1	06.05.2023	नैनीताल	नगर पालिका परिषद , राम नगर	श्री योगेश भट्ट राज्य सूचना आयुक्त
2	05.06.2023	हरिद्वार	नगर निगम रूडकी	श्री योगेश भट्ट राज्य सूचना आयुक्त
3	12.06.2023	पौड़ी	जिला कार्यालय पौड़ी	श्री अनिल चन्द्र पुनेठा मुख्य सूचना आयुक्त
4	15.06.2023	उत्तकाशी	कलेक्ट्रेट सभागार	श्री अनिल चन्द्र पुनेठा मुख्य सूचना आयुक्त
5	19.07.2023	उद्यमसिंह नगर	नगर निगम रूद्रपुर	श्री योगेश भट्ट राज्य सूचना आयुक्त
6	16.08.2023	अल्मोड़ा	नगर पालिका परिषद , अल्मोड़ा	श्री योगेश भट्ट राज्य सूचना आयुक्त
7	18.08.2023	नैनीताल	नगर पालिका परिषद , भीमताल	श्री योगेश भट्ट राज्य सूचना आयुक्त
8	18.11.2023	देहरादून	नगर निगम ऋषिकेश	श्री योगेश भट्ट राज्य सूचना आयुक्त
9	21.11.2023	उद्यमसिंह नगर	नगर पालिका बाजपुर	श्री योगेश भट्ट राज्य सूचना आयुक्त
10	06.01.2024	टिहरी गढ़वाल	नगर पालिका परिषद देवप्रयाग	श्री योगेश भट्ट राज्य सूचना आयुक्त
11	09.02.2024	लोहाघाट	तहसील लोहाघाट	श्री अनिल चन्द्र पुनेठा मुख्य सूचना आयुक्त
12	10.02.2024	काशीपुर	तहसील काशीपुर	श्री अनिल चन्द्र पुनेठा मुख्य सूचना आयुक्त
13	16.03.2024	रूडकी	तहसील रूडकी	श्री अनिल चन्द्र पुनेठा मुख्य सूचना आयुक्त
14	27.04.2024	चम्पावत	तहसील चम्पावत	श्री अनिल चन्द्र पुनेठा मुख्य सूचना आयुक्त

**आयोग द्वारा
द्वितीय अपीलें / शिकायतों में
आरोपित शास्तियां**

आयोग द्वारा द्वितीय अपीलें / शिकायतों में आरोपित शास्तियां

क्रम	वर्ष		कुल द्वितीय अपील और शिकायत जिन पर श्रास्ति/क्षतिपूर्ति/विमानय कटवावटो दी गयी	श्रास्ति							क्षतिपूर्ति								विभागीय कार्यवाही की				
				कुल आरोपित श्रास्ति की संख्या	कुल वसूली की संख्या	कुल वसूली की धनराशि	मा10 उच्च न्यायालय में विचारधीन	मा10 उच्च न्यायालय में विचारधीन	संख्या (वसूली नहीं हुई)	धनराशि जिसकी वसूली की जानी है	कुल आरोपित क्षतिपूर्ति की संख्या	कुल आरोपित क्षतिपूर्ति की धनराशि	कुल भुगतान क्षतिपूर्ति की संख्या	कुल क्षतिपूर्ति की धनराशि जिसका भुगतान कर दिया गया है	मा10 उच्च न्यायालय में विचारधीन	मा10 उच्च न्यायालय में विचारधीन	कुल क्षतिपूर्ति की धनराशि जिसका भुगतान किया जाना है	धनराशि जिसकी वसूली की जानी है	कुल संख्या	अनुमान की संख्या	मा10 उच्च न्यायालय में विचारधीन	संख्या जिन का अनुमान नहीं हुआ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2005-06		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2006-07		14	5	60000	4	55000	1	5000	0	0	1	3000	1	3000	0	0	0	0	8	2	1	5
3	2007-08		12	8	137000	5	39500	1	25000	2	72500	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	1
4	2008-09		88	54	302500	34	157500	13	110000	7	35000	11	265000	1	5000	5	170000	5	90000	23	3	5	15
5	2009-10		112	54	502000	25	161674	22	277900	7	62426	43	528525	10	74850	14	347950	19	105725	15	0	5	10
6	2010-11		204	94	693250	28	138100	43	368000	23	187150	97	445400	45	141200	14	187200	38	117000	13	0	7	6
7	2011-12		170	108	845000	50	299500	36	351000	22	194500	56	323500	34	163000	22	131500	0	29000	6	1	3	2
8	2012-13		142	125	1000000	72	459500	33	427000	20	113500	14	63500	9	25500	2	20000	3	18000	3	0	1	2
9	2013-14		148	141	1621500	70	733250	32	492000	39	396250	3	58000	2	10000	1	50000	0	2000	4	0	2	2
10	2014-15		198	191	2627064	113	1438996	33	625750	45	562318	5	53500	3	31000	1	20000	1	2500	2	0	0	2
11	2015-16		152	151	2615572	73	1093322	48	1054750	30	467500	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
12	2016-17		206	206	4599750	88	1868500	52	1232000	66	1499250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2017-18		157	153	3247750	53	1098000	38	896250	62	1253500	4	20000	3	15000	1	0	0	5000	0	0	0	0
14	2018-19		101	94	1723000	34	580750	17	383500	43	758750	1	2500	1	2500	1	0	1	0	6	2	1	3
15	2019-20		213	188	2836500	63	890500	24	481250	101	1464750	15	89000	7	37000	2	35000	6	17000	10	1	1	8
16	2020-21		70	62	803500	15	183000	5	90000	42	530500	7	44500	2	3000	1	0	4	41500	1	0	0	1
17	2021-22		48	43	504749	18	238000	3	55000	22	211749	3	50000	1	25000	1	20000	1	5000	2	0	0	2
18	2022-23		145	132	1395500	47	383750	20	250000	65	761750	9	24500	2	11000	4	8000	3	5500	4	0	1	3
19	2023-24		168	160	1464750	55	505750	5	82500	100	876500	4	57000	1	25000	2	0	1	32000	4	0	1	3
योग			2348	1969	26979385	847	10324592	426	7206900	696	9447893	273	2027925	122	572050	71	989650	80	466225	106	12	29	65

क्रम संख्या	अपील(I)/ शिकायत संख्या (6)	निर्णय दिनांक	अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण	आदेश का संक्षिप्त विवरण	शास्ति	क्षतिपूर्ति	विभागीय कार्यवाही
1	C-14679	06.04.2023	सुश्री रंजन बाला, बनाम लोक सूचना अधिकारी, वास्तुविद् नियोजक, सिडकुल, आई0टी0 पार्क, सहस्रधारा रोड देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी कम्पनी सचिव, सिडकुल मुख्यालय, देहरादून एवं प्रबंध निदेशक, सिडकुल, मुख्यालय, देहरादून	श्री वाई0एस0 पुण्डीर, लोक सूचना अधिकारी/वास्तुविद् नियोजक, सिडकुल, आई0टी0 पार्क, सहस्रधारा रोड देहरादून पर 25000 रु0 की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000		
2	A-36269	10.04.2023	श्री केशर सिंह पुत्र स्व0 श्री जयराम सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी पूर्ति निरीक्षक, चकराता/कालसी/त्यूणी, जिला देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून	श्री सुखवीर सिंह नेगी, लोक सूचना अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक, चकराता/लाखामण्डल, देहरादून पर रु0 25000/- की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000		
3	A-35786	10.04.2023	श्री रणजीत सिंह, पुत्र स्व0 सरदार कस्तार सिंह, बनाम लोक सूचना अधिकारी कर अधीक्षक (भूमि) नगर निगम, देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून एवं श्री विनय प्रताप चौहान, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी द्वारा वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून	श्री विनय प्रताप चौहान, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी पर 25000/- की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000		
4	A-35734	12.04.2023	श्री गभीर सिंह खरोला, पुत्र स्व0 श्री तोता सिंह, बनाम लोक सूचना अधिकारी अधिशासी अभियंता, अवस्थापना (पुनर्वास खण्ड) नई टिहरी और विभागीय अपीलीय अधिकारी अधीक्षण अभियंता सिंचाई कार्य पुनर्वास मंडल ऋषिकेश, 26 ई0सी0 जिला देहरादून	श्री डी.सी. नेगी, लोक सूचना अधिकारी/अधिशासी अभियंता, अवस्थापना (पुनर्वास खण्ड) नई टिहरी पर 10000 रु0 की शास्ति आरोपित की गयी है।	10000		

5	A-36068	11.04.2023	श्री सुधीर कुमार पुत्र श्री रविदास बनाम लोक सूचना अधिकारी खण्ड शिक्षा अधिकारी, भगवानपुर, हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी, मा0शि0, हरिद्वार एवं सुश्री अजली चौहान, डीमड लोक सूचना अधिकारी/प्रधानाचार्य, सी0एम0डी0 इण्टर कालेज, चुड़ियाला, जिला हरिद्वार	सुश्री अजली चौहान, डीमड लोक सूचना अधिकारी/प्रधानाचार्य, सी0एम0डी0 इण्टर कालेज, चुड़ियाला, जिला हरिद्वार पर 5000 ₹0 की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000		
6	A-36197	17.04.2023	श्री कुलदीप सिंह, बनाम लोक सूचना अधिकारी मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून एवं डा0 अविनाश खन्ना, लोक सूचना अधिकारी/मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम देहरादून	डा0 अविनाश खन्ना, लोक सूचना अधिकारी/मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम देहरादून पर 25000 ₹0 की शास्ति आरोपित की गयी	25000		
7	C-14877	19.04.2023	श्री दीपक कुमार पुत्र श्री शीशराम, बनाम लोक सूचना अधिकारी खण्ड शिक्षा अधिकारी, लक्सर, हरिद्वार एवं प्रधानाचार्य के0वी0 इण्टर कालेज, लक्सर हरिद्वार और श्री पीतम सिंह लोहिया, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/प्रधानाचार्य, के0वी0इण्टर कालेज लक्सर, हरिद्वार	श्री पीतम सिंह लोहिया, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/प्रधानाचार्य, के0वी0इण्टर कालेज लक्सर, हरिद्वार पर 10000/- ₹0 की शास्ति आरोपित की गयी	10000		

8	A-36180	12.04.2023	श्री राकेश वर्मा, पुत्र श्री रूप चन्द्र वर्मा बनाम लोक सूचना अधिकारी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून एवं श्री निशान्त कुकरेती, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/सहायक अभियन्ता मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून पर रू0 10000/- एवं डीमंड लिपिक मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून पर रू0 5000/- शास्ति आरोपित की गयी	15000		
9	A-34626	19.04.2023	श्री नितिन सलूजा बनाम लोक सूचना अधिकारी चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भगवानपुर, हरिद्वार एवं डा0 विक्रान्त सिरोही, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भगवानपुर, हरिद्वार पर रू0 5000/- की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000		
10	C-14909	27.04.2023	श्री सह्रान पुत्र श्री हसन अली बनाम लोक सूचना अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, हरिद्वार और श्री नरेश कुमार हल्लियानी, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी	10000		

11	A-36182	26.04.2023	श्री बी0एस0 नामड् बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री निशान्त कुकरेती, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/सहायक अभियन्ता मसूरी देहरादून सहरानपुर रोड, देहरादून और विभागीय अपीलीय विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट नगर, सहरानपुर अधिकारी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट रोड, देहरादून पर रू0 6000/- की शास्ति आरोपित की गयी।	6000		
12	A-35824	24.04.2023	श्री रोशन लाल सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक बनाम लोक सूचना अधिकारी कार्यालय कोषाधिकारी, कोषागार, हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी मुख्य कोषाधिकारी, हरिद्वार एवं सुश्री परवीर कौर, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय कोषाधिकारी, कोषागार, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून	5000		
13	A-36200	28.04.2023	श्री राकेश कुमार पुत्र श्री धन प्रकाश बनाम लोक सूचना अधिकारी खण्ड शिक्षा अधिकारी, रुडकी, जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी, मा0शि0, हरिद्वार एवं श्री विजेन्द्र कुमार, प्रधानाचार्य, डीम्ड लोक सूचना अधिकारी/प्रधानाचार्य, नेशनल इण्टर कॉलेज धनौरी, जिला हरिद्वार पर रू0 10000/- की शास्ति आरोपित की गयी।	10000		

14	C-14910	25.04.2023	श्री नत्थू सिंह पुत्र श्री कुन्दन लाल बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री बाल स्वरूप, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत विकास खण्ड भगवानपुर, जिला हरिद्वार एवं सुश्री सुरुची मैनाली, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी सुश्री सुरुची मैनाली, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी वर्तमान में सहायक विकास अधिकारी पंचायत रायपुर देहरादून एवं श्री बिजेन्द्र कुमार, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत, विकास खण्ड भगवानपुर हरिद्वार	श्री बाल स्वरूप, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत विकास खण्ड भगवानपुर, जिला हरिद्वार एवं सुश्री सुरुची मैनाली, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी सुश्री सुरुची मैनाली, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी वर्तमान में सहायक विकास अधिकारी पंचायत रायपुर देहरादून एवं श्री बिजेन्द्र कुमार, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत, विकास खण्ड भगवानपुर हरिद्वार पर ₹0 1000-1000 की शांति आरोपित की गयी है।	3000		
15	C-14912	28.04.2023	श्री राज किशोर वर्मा, बनाम लोक सूचना अधिकारी उप शिक्षा अधिकारी, भगवानपुर, हरिद्वार और श्री कुन्दन सिंह, उप शिक्षा अधिकारी, भगवानपुर, जिला हरिद्वार	श्री कुन्दन सिंह तत्कालीन उप शिक्षा अधिकारी, भगवानपुर, जिला हरिद्वार वर्तमान में उप शिक्षा अधिकारी, सहसपुर, जिला देहरादून पर ₹0 10000/- की शांति आरोपित की गयी	10000		
16	A-36248	25.04.2023	श्री सुभाष चन्द्रा पुत्र स्व0 श्री सालिगराम बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री सूर्यभूषण नेगी, प्रभारी निरीक्षक, थाना पटेलनगर, जिला देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी क्षेत्राधिकारी, पुलिस सदर जिला देहरादून एवं श्री रविन्द्र यादव, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/प्रभारी निरीक्षक, थाना पटेलनगर, देहरादून	श्री रविन्द्र यादव, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/प्रभारी निरीक्षक, थाना पटेलनगर, देहरादून पर ₹0 5000/- की शांति आरोपित की गयी	5000		
17	C-14829	25.04.2023	श्री नत्थू सिंह पुत्र श्री कुन्दन लाल बनाम लोक सूचना अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी, बहादुराबाद, हरिद्वार और समतुल्य लोक सूचना अधिकारी/जिला पंचायत राज्य अधिकारी हरिद्वार एवं जयेंद्र भारद्वाज, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, बहादुराबाद, वर्तमान में खण्ड विकास अधिकारी, भगवानपुर, हरिद्वार	जयेंद्र भारद्वाज, तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी, बहादुराबाद, वर्तमान में खण्ड विकास अधिकारी, भगवानपुर, हरिद्वार पर ₹0 1000/- की शांति आरोपित की गयी	1000		

18	A-36215	02.03.2023	श्री रिकू पुत्र श्री बादाम सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रजपुरा नं0-02 एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, रजपुरा नं0-02 और विभागीय अपीलीय अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी, बाजपुर, ऊधमसिंहनगर	ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रजपुरा नं0-02 एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, रजपुरा नं0-02 पर रू0 2000- 2000 की शास्ति आरोपित की गयी	4000		
19	A-35900	20.04.2023	श्री शैलेश कुमार गुजराल, बनाम लोक सूचना अधिकारी उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, राजीव गांधी बहुउद्देशीय काम्पलेक्स, डिस्पेंसरी रोड, देहरादून एवं नगर विकास प्राधिकरण, राजीव गांधी बहुउद्देशीय काम्पलेक्स, डिस्पेंसरी रोड, देहरादून एवं तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आनन्द राम अभियन्ता एवं श्री विनोद कुमार चौहान, सहायक अभियन्ता, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, राजीव गांधी बहुउद्देशीय काम्पलेक्स, डिस्पेंसरी रोड, देहरादून	तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आनन्द राम अभियन्ता एवं श्री विनोद कुमार चौहान, सहायक अभियन्ता, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, राजीव गांधी बहुउद्देशीय काम्पलेक्स, डिस्पेंसरी रोड, देहरादून पर रू0 5000 /- कुल 10000 की शास्ति आरोपित की गयी	10000		
20	A-36495	18.05.2023	श्री निरंजन विश्वास पुत्र स्वर्गीय श्री नीलरतन विश्वास बनाम लोक सूचना अधिकारी अभियन्ता, नगर पंचायत, शक्तिगढ़, जिला ऊधमसिंहनगर और विभागीय अपीलीय अधिकारी उप जिलाधिकारी, सितारगंज, ऊधमसिंहनगर एवं श्री आर0पी0 बेंजवाल, तत्कालीन अभियन्ता, नगर पंचायत, शक्तिगढ़, जिला ऊधमसिंहनगर	श्री आर0पी0 बेंजवाल, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, नगर पंचायत, शक्तिगढ़, जिला ऊधमसिंहनगर पर रू0 5000 /- की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000		

21	A-36168	23.05.2023	श्री कालूराम पुत्र स्व0 श्री बारू सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी कार्यालय नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार श्रीनगर तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/नगर निगम, हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी निगम, हरिद्वार पर रु0 25000/- की शास्ति सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार एवं श्री दिगम्बर सिंह, लेखाधिकारी, नगर निगम श्रीनगर तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/नगर निगम, हरिद्वार	श्री दिगम्बर सिंह, लेखाधिकारी, नगर निगम श्रीनगर तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/नगर निगम, हरिद्वार पर रु0 25000/- की शास्ति आरोपित की गयी है।	25000		
22	A-35404	22.05.2023	श्री अनित कुमार पुत्र श्री श्रीशपाल बनाम लोक सूचना अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत नागल पलूनी, विकास खण्ड भगवानपुर, हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी विकास अधिकारी, भगवानपुर, हरिद्वार	श्री सुशील कुमार लोक सूचना अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत नागल पलूनी, विकास खण्ड भगवानपुर, हरिद्वार पर रु0 2000/- की शास्ति आरोपित की गयी।	2000		
23	A-36427	19.05.2023	श्री अमजद पुत्र सहीद बनाम लोक सूचना अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मखियाली कलां, विकास खण्ड लक्सर, जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी विकास अधिकारी, लक्सर, हरिद्वार	श्री विरेन्द्र कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मखियाली कलां, विकास खण्ड लक्सर, जिला हरिद्वार पर रु0 5000 की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000		
24	A-35811	18.05.2023	श्री अब्दुल रहमान पुत्र श्री जिम्मू बनाम लोक सूचना अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मखियाली कलां, विकास खण्ड भगवानपुर, जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी विकास अधिकारी, भगवानपुर, हरिद्वार एवं श्री तुला राम, लोक सूचना अधिकारी/लेखाकार, विकासखण्ड, भगवानपुर, जिला हरिद्वार	श्री तुला राम, लोक सूचना अधिकारी/लेखाकार, विकासखण्ड, भगवानपुर, जिला हरिद्वार पर रु0 5000/- की शास्ति आरोपित की गयी है।	5000		

25	A-35537	16.05.2023	श्रीमती विभा नामदेव बनाम लोक सूचना अधिकारी नगर निगम हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी नगर निगम हरिद्वार एवं डॉ० हिमवत बुद्धियाल, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी नगर निगम हरिद्वार एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ज्वालापुर, हरिद्वार एवं श्री दिगम्बर सिंह, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी नगर निगम हरिद्वार एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ज्वालापुर, हरिद्वार वर्तमान में नगर निगम, श्रीनगर, पौड़ी शांति आरोपित की गयी।	डॉ० हिमवत बुद्धियाल, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी नगर निगम हरिद्वार एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ज्वालापुर, हरिद्वार एवं श्री दिगम्बर सिंह, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी नगर निगम, श्रीनगर, पौड़ी पर ₹0 5000-5000 की शांति आरोपित की गयी।	10000		
26	A-36351	03.05.2023	श्री शेखर कुमार पुत्र श्री सुखवीर सिंह, बनाम लोक सूचना अधिकारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, तहसील, हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी तहसीलदार हरिद्वार एवं श्री बिजेन्द्र कुमार डीमड लोक सूचना अधिकारी/तत्कालीन रजिस्ट्रार कानूनों, वर्तमान में रजिस्ट्रार कानूनों, रुड़की	श्री बिजेन्द्र कुमार डीमड लोक सूचना अधिकारी/तत्कालीन रजिस्ट्रार कानूनों, वर्तमान में रजिस्ट्रार कानूनों, रुड़की पर ₹0 2000/- की शांति आरोपित की गयी है।	2000		
27	A-36447	01.05.2023	श्री जगदीश चन्द्र काण्डपाल बनाम लोक सूचना अधिकारी प्रभारी निरीक्षक, पुलिस कोतवाली, कैट जिला देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी क्षेत्राधिकारी, पुलिस मसूरी, कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून एवं श्री शंकर सिंह बिष्ट, तत्कालीन, लोक सूचना अधिकारी/प्रभारी निरीक्षक, पुलिस कोतवाली, कैट जिला देहरादून	श्री शंकर सिंह बिष्ट, तत्कालीन, लोक सूचना अधिकारी/प्रभारी निरीक्षक, पुलिस कोतवाली, कैट जिला देहरादून पर ₹0 10000/- की शांति आरोपित की गयी।	10000		
28	A-34240	01.05.2023	श्री प्रभात कुमार अग्रवाल बनाम लोक सूचना अधिकारी नगर निगम रुड़की हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी नगर निगम रुड़की हरिद्वार एवं श्री जगदीश प्यारे लाल, अवर अभियन्ता, तत्कालीन रुड़की लोक सूचना अधिकारी/नगर निगम रुड़की	श्री जगदीश प्यारे लाल, अवर अभियन्ता, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/नगर निगम रुड़की पर ₹0 5000/- की शांति आरोपित की गयी।	5000		

29	A-36013	03.05.2023	श्री तरुण गुप्ता बनाम लोक सूचना अधिकारी कर अधीक्षक (भूमि) नगर निगम, देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून एवं श्री विनय प्रताप सिंह, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/नगर निगम देहरादून वर्तमान कर अधीक्षक, नगर पालिस परिषद मसूरी, देहरादून	श्री विनय प्रताप सिंह, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/नगर निगम देहरादून वर्तमान कर अधीक्षक, नगर पालिका परिषद मसूरी, देहरादून पर रू0 2750/- की शास्ति आरोपित की गयी।	2750		
30	A-35146	01.05.2023	श्री अजय कुमार गौड बनाम लोक सूचना अधिकारी कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया, जिला देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया, जिला देहरादून	लोक सूचना अधिकारी/ कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया, जिला देहरादून पर रू0 5000/- की शास्ति आरोपित की गयी।	5000		
31	A-35556	17.05.2023	श्री शिव कुमार शर्मा पुत्र श्री सूरजमल शर्मा, बनाम लोक सूचना अधिकारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, तहसील, रुड़की, जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी तहसीलदार, रुड़की जनपद हरिद्वार एवं श्री रोहित, डीम्ड लोक सूचना अधिकारी/तहसीलदार, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार	श्री रोहित, डीम्ड लोक सूचना अधिकारी/तहसीलदार, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार पर रू0 5000/- की शास्ति आरोपित की गयी।	5000		
32	A-35812	18.05.2023	श्री अब्दुल रहमान पुत्र श्री जिम्मू बनाम लोक सूचना अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सिसौना विकास खण्ड, भगवानपुर, हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी, भगवानपुर, हरिद्वार	श्री योगेश सैनी, लोक सूचना अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सिसौना विकास खण्ड भगवानपुर, हरिद्वार पर रू0 5000 की शास्ति आरोपित की गयी।	5000		

33	A-36416	22.05.2023	श्री शेरपाल पुत्र स्व0 श्री तिलकराम, बनाम लोक सूचना अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी, जिला हरिद्वार	श्री टी0आर0 मलेठा, लोक सूचना अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला हरिद्वार पर रु0 5000/- की शास्ति आरोपित की गयी।	5000		
34	A-36208	23.05.2023	श्री रतनमणी डोमाल, बनाम लोक सूचना अधिकारी राजस्व निरीक्षक (राजस्व उप निरीक्षक), क्षेत्र शेखपुरा, उर्फ कनखल द्वारा तहसीलदार, हरिद्वार	श्री विजेन्द्र निरी, लोक सूचना अधिकारी/राजस्व उप निरीक्षक, शेखपुरा, पर रु0 1000/- की शास्ति आरोपित की गयी।	1000		
35	A-36435	25.05.2023	श्री नरेश कुमार पुत्र श्री बसंत बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री टी0एस0 रावत, उप प्रबंधक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0 देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0 देहरादून एवं लोक प्राधिकारी निबंधक, सहकारी, समितियां, उत्तराखण्ड मियांवाला, देहरादून	श्री टी0एस0 रावत, लोक सूचना अधिकारी/ उप प्रबंधक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0 देहरादून पर रु0 5000 की शास्ति आरोपित की गयी।	5000		
36	A-34421	24.05.2023	श्री इन्तियाज अली पुत्र स्व0 फजल अहमद बनाम लोक सूचना अधिकारी सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम हरिद्वार एवं श्री चन्द्र शेखर शर्मा, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/नगर निगम हरिद्वार वर्तमान में अधिशासी अधिकारी, कार्यालय नगर पालिका परिषद लक्सर, जिला हरिद्वार	श्री चन्द्र शेखर शर्मा, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/नगर निगम हरिद्वार वर्तमान में अधिशासी अधिकारी, कार्यालय नगर पालिका परिषद लक्सर, जिला हरिद्वार पर रु0 10000 की शास्ति आरोपित की गयी।	10000		

37	A-36362	31.05.2023	श्री सतिन्द्र कुमार बढेरा, बनाम लोक सूचना अधिकारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा0शि0) नैनीताल और विभागीय अपीलीय अधिकारी मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल एवं श्री एच0बी0 चन्द्र तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) नैनीताल	श्री एच0बी0 चन्द्र तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) नैनीताल पर रू0 10000/- की शास्ति आरोपित की गयी।	10000		
38	A-36585	26.05.2023	श्री मयूर गुप्ता बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री सूर्यभूषण नेगी, प्रभारी निरीक्षक, थाना पटेलनगर, जिला देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी क्षेत्राधिकारी, पुलिस सदर जिला देहरादून एवं श्री रविन्द्र यादव, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/प्रभारी निरीक्षक, थाना पटेलनगर, देहरादून व श्री योगेश दत्त, निरीक्षक, थाना पटेलनगर	श्री श्री रविन्द्र यादव, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/प्रभारी निरीक्षक, थाना पटेलनगर, देहरादून पर रू0 10000 की शास्ति व श्री योगेश दत्त, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी निरीक्षक, थाना पटेलनगर को कठोर चेतावनी निर्गत की गयी।	10000		चेतावनी
39	A-36550	31.05.2023	श्री धर्मपाल बनाम लोक सूचना अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी, कालसी/ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, लाच्छा, कालसी, देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी जिला विकास अधिकारी, देहरादून	खण्ड विकास अधिकारी, कालसी पर रू0 5000 की शास्ति आरोपित की गयी।	5000		
40	C-14577	31.05.2023	श्री रतनमणी डोभाल, बनाम लोक सूचना अधिकारी सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार और डां0 हिमवन्त बुद्धियाल, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/नगर निगम हरिद्वार वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ज्वालापुर, हरिद्वार पर रू0 2000/- व श्री दिगम्बर सिंह, नगर निगम स्वास्थ्य केन्द्र, ज्वालापुर, हरिद्वार व श्री दिगम्बर सिंह, नगर निगम श्रीनगर पर रू0 3000/- की शास्ति आरोपित की गयी।	डां0 हिमवन्त बुद्धियाल, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/नगर निगम हरिद्वार वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ज्वालापुर, हरिद्वार पर रू0 2000/- व श्री दिगम्बर सिंह, नगर निगम श्रीनगर पर रू0 3000/- की शास्ति आरोपित की गयी।	5000		

41	A-35754	01.06.2023	श्री जितेन्द्र सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी श्रीमती वर्षा गुप्ता तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/सचिव कृषि उत्पादन मंडी समिति, काशीपुर, उधमसिंहनगर और विभागीय अपीलीय अधिकारी महाप्रबन्धक (प्रशासन) निदेशालय, राज्य कृषि विपणन मंडी समिति, नवीन मण्डी, स्थल ज्वालापुर, बोर्ड, मंडी भवन, रुद्रपुर, उधमसिंहनगर एवं श्रीमती हरिद्वार पर रु० 10000 की शास्ति आरोपित की वर्षा गुप्ता तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/सचिव कृषि उत्पादन मंडी समिति, काशीपुर, उधमसिंहनगर वर्तमान में कृषि उत्पादन मंडी समिति नवीन मण्डी श्री शमीम अहमद बनाम लोक सूचना अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी, लक्सर, जिला हरिद्वार और श्री जोनी कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई, द्वारा रु० 5000 की शास्ति आरोपित की गयी। खण्ड विकास अधिकारी, लक्सर, हरिद्वार	10000		
42	C-14969	01.06.2023	श्री शमीम अहमद बनाम लोक सूचना अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी, लक्सर, जिला हरिद्वार और श्री जोनी कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, लघु सिंचाई, द्वारा रु० 5000 की शास्ति आरोपित की गयी। खण्ड विकास अधिकारी, लक्सर, हरिद्वार	5000		
43	A-35995	06.06.2023	श्री करुणेश कुमार गौतम बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री आर०एस० सविता, जिला शिक्षा अधिकारी (मा०शि०), हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार एवं श्री नरेश कुमार हल्लियानी, तत्कालीन, लोक सूचना अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मा०शि०, हरिद्वार पर रु० 5000 – वर्तमान में खण्ड शिक्षा अधिकारी, चम्बा, टिहरी	10000		
44	A-36699	07.06.2023	श्री राकेश कुमार पुत्र श्री धन प्रकाश बनाम लोक सूचना अधिकारी खण्ड शिक्षा अधिकारी, रुड़की, जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी, मा०शि०, हरिद्वार एवं डीमड लोक सूचना अधिकारी/श्री विजेन्द्र कुमार, प्रधानाचार्य, नेशनल इण्टर कालेज, धनौरी, रुड़की, जिला हरिद्वार पर रु० 10,000 / – की शास्ति आरोपित की गयी।	10000		

45	A-35367	09.06.2023	श्री अशोक सैनी, बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री अनुज शर्मा, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, अनुज शर्मा, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत नौकरा ग्रांट उर्फ बुग्गावाला तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार, श्री दीपक राणा, ग्राम विकास अधिकारी, , ग्राम पंचायत नौकरा ग्रांट उर्फ बुग्गावाला तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार, , ग्राम पंचायत नौकरा ग्रांट उर्फ बुग्गावाला तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार एवं श्री विशाल चौहान, तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी , ग्राम पंचायत नौकरा ग्रांट उर्फ बुग्गावाला तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार और विभागीय अपील अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी, भगवानपुर, हरिद्वार		9000	श्री श्री अनुज शर्मा, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत नौकरा ग्रांट उर्फ बुग्गावाला तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार, श्री दीपक राणा, ग्राम विकास अधिकारी, , ग्राम पंचायत नौकरा ग्रांट उर्फ बुग्गावाला तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार एवं श्री विशाल चौहान, तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी , ग्राम पंचायत नौकरा ग्रांट उर्फ बुग्गावाला तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार पर रू 3000-3000 की शास्ति आरोपित की गयी।	
46	A-34341	09.06.2023	श्री शम्सुद्दीन अंसारी बनाम लोक सूचना अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी, चकरता देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी जिला विकास अधिकारी, देहरादून एवं सुश्री अनीता पंवार तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी /खण्ड विकास अधिकारी, चकरता देहरादून वर्तमान में चम्बा, टिहरी		5000	सुश्री अनीता पंवार तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी, चकरता देहरादून वर्तमान में चम्बा, टिहरी पर रू 5000/- की शास्ति आरोपित की गयी।	
47	A-36652	13.06.2023	श्री जगदीश प्रसाद सैनी बनाम लोक सूचना अधिकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी, भगवानपुर, हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, हरिद्वार		1000	श्री ज्ञानेन्द्र पाल सिंह मीणा, बाल विकास परियोजना अधिकारी, भगवानपुर, हरिद्वार पर रू 1000 की शास्ति आरोपित की गयी।	
48	A-36653	13.06.2023	श्री जगदीश प्रसाद सैनी बनाम लोक सूचना अधिकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी, भगवानपुर, हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, हरिद्वार		1000	श्री ज्ञानेन्द्र पाल सिंह मीणा, बाल विकास परियोजना अधिकारी, भगवानपुर, हरिद्वार पर रू 1000 की शास्ति आरोपित की गयी।	

49	A-36693	13.06.2023	श्री जगदीश प्रसाद सैनी बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र पाल सिंह मीणा, बाल विकास बाल विकास परियोजना अधिकारी, भगवानपुर, हरिद्वार पर रू0 और विभागीय अपीलीय अधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, हरिद्वार	श्री ज्ञानेन्द्र पाल सिंह मीणा, बाल विकास परियोजना अधिकारी, भगवानपुर, हरिद्वार पर रू0 1000 की शास्ति आरोपित की गयी।	1000		
50	A-36388	14.06.2023	श्री बिजेन्द्र सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी राजस्व उप निरीक्षक पट्टी डबरालस्यू 04, तहसील लैन्सडौन, पौड़ी और विभागीय अपीलीय अधिकारी राजस्व निरीक्षक गूमखाल, तहसील लैन्सडौन, पौड़ी	श्री योगेन्द्र सिंह रावत, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी राजस्व उप निरीक्षक पट्टी डबरालस्यू 04, तहसील लैन्सडौन, पौड़ी पर रू0 15000/- की शास्ति आरोपित की गयी।	15000		
51	C-14550	16.06.2023	श्री हुकुम सिंह बसेड़ा बनाम लोक सूचना अधिकारी कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0, कपकोट, बागेश्वर और विभागीय अपीलीय अधिकारी अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0, कपकोट, बागेश्वर	लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0, कपकोट, बागेश्वर पर रू0 5000/- की शास्ति आरोपित की गयी।	5000		
52	A-35435	20.06.2023	श्री राकेश अग्रवाल बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री राजेश नैथानी, अधिशासी अधिकारी, नगर राजेश नैथानी, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद मसूरी, देहरादून व श्री यू0डी0 परिषद मसूरी, देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी उप जिलाधिकारी, मसूरी, देहरादून एवं श्री यू0डी0 तिवारी, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, चम्बा, टिहरी	श्री राजेश नैथानी, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद मसूरी, देहरादून व श्री यू0डी0 तिवारी, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, चम्बा, टिहरी पर रू0 5000-5000 की शास्ति आरोपित की गयी।	10000		

53	A-35066	21.06.2023	श्री तजिन्द्र सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय तहसीलदार, सदर जिला देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी तहसीलदार, देहरादून एवं श्री कुंवर सिंह सैनी, समतुल्य लोक सूचना अधिकारी/राजस्व उप निरीक्षक द्वारा लोक सूचना अधिकारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, तहसील देहरादून	श्री कुंवर सिंह सैनी, समतुल्य लोक सूचना अधिकारी/राजस्व उप निरीक्षक पर ₹0 1000 की शांति आरोपित की गयी।	1000		
54	C-14926	22.06.2023	श्री वलबीर सिंह नेगी बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री अक्षय कुमार भट्ट, तहसील बाजपुर, श्री देवेन्द्र सिंह बिष्ट नायब तहसीलदार, गढ़पुर, श्री राजेन्द्र सनवाल नायब तहसीलदार, श्री यूसुफ अली, प्रभारी तहसील नानकमत्ता, काशीपुर तहसीलदार, काशीपुर	श्री अक्षय कुमार भट्ट, तहसीलदार, तहसील बाजपुर, श्री देवेन्द्र सिंह बिष्ट नायब तहसीलदार, गढ़पुर, श्री राजेन्द्र सनवाल नायब तहसीलदार, श्री यूसुफ अली, प्रभारी तहसील नानकमत्ता, काशीपुर पर ₹0 2500-2500 / - की शांति आरोपित की गयी।	10000		
55	A-36759	23.06.2023	श्री धर्मानन्द भट्ट, सिताबपुर, बनाम लोक सूचना अधिकारी अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, पौड़ी, राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार, जिला पौड़ी और विभागीय अपीलीय अधिकारी मुख्य चिकित्साधिकारी, पौड़ी, एवं श्री विनय थपलियाल, डीमड लोक सूचना अधिकारी/लेखा अनुभाग, कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, पौड़ी	श्री विनय थपलियाल, डीमड लोक सूचना अधिकारी/लेखा अनुभाग, कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, पौड़ी पर ₹0 5000 की शांति आरोपित की गयी।	5000		

56	A-36715	26.06.2023	श्रीमती हेमलता, बनाम लोक सूचना अधिकारी अपर जिला सहकारी अधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहकारी समिति उत्तराखण्ड देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी उप निबंधक, सहकारी समिति उत्तराखण्ड देहरादून एवं सुश्री सरिता पासी, डीम्ड लोक सूचना अधिकारी, पटल प्रमारी, अधिकोषण कार्यालय निबंधक, सहकारी समिति उत्तराखण्ड देहरादून	सुश्री सरिता पासी, डीम्ड लोक सूचना अधिकारी, पटल प्रमारी, अधिकोषण कार्यालय निबंधक, सहकारी समिति उत्तराखण्ड देहरादून पर ₹0 5000/- की शास्ति आरोपित की गयी।	5000		
57	A-36392+36848	30.06.2023	श्रीमती विमा नामदेव बनाम लोक सूचना अधिकारी अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून एवं डीम्ड लोक सूचना अधिकारी/अधिष्ठान अनुभाग, कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून	डीम्ड लोक सूचना अधिकारी/अधिष्ठान अनुभाग, कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून पर ₹0 5000/- की शास्ति आरोपित की गयी।	5000		
58	A-36602	03.07.2023	श्री दीपक सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी अधिशासी अभियंता, नगर पालिका परिषद गोचर, चमोली और विभागीय अपीलीय अधिकारी उप जिलाधिकारी, कर्णप्रयाग, चमोली एवं श्री एच0एस0 रैतेला, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/अधिशासी अभियंता, नगर पालिका परिषद गोचर, चमोली वर्तमान में नगर पंचायत लम्बागांव टिहरी गढ़वाल	श्री एच0एस0 रैतेला, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/अधिशासी अभियंता, नगर पालिका परिषद गोचर, चमोली वर्तमान में नगर पंचायत लम्बागांव टिहरी गढ़वाल पर ₹0 25000/- की शास्ति आरोपित की गयी।	25000		
59	A-36333	05.07.2023	श्री जयपाल सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री दीर्पोकर घिल्डियाल, जिला समाज कल्याण नैनीताल और विभागीय अपीलीय अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी, जिला नैनीताल	श्री दीर्पोकर घिल्डियाल, जिला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल पर ₹0 5000 की शास्ति आरोपित की गयी।	5000		

60	C-14931	07.07.2023	श्री हरजिन्दर सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी कर अधीक्षक (भूमि) नगर निगम, देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्रीमती एकता अरोड़ा लोक सूचना अधिकारी/अनु सचिव, मसूरी देहरादून पर रू0 प्राधिकरण ट्रांसपोर्ट नगर, देहरादून	श्रीमती एकता अरोड़ा लोक सूचना अधिकारी/अनु सचिव, मसूरी देहरादून पर रू0 प्राधिकरण ट्रांसपोर्ट नगर, देहरादून पर रू0 5000/- की शास्ति आरोपित की गयी।	5000		
61	C-15074	14.07.2023	श्री नानक चन्द्र लोहिया बनाम लोक सूचना अधिकारी अधिशासी अभियन्ता, पंचायती राज निदेशालय, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून	श्री संजय सिंह, लोक सूचना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, पंचायती राज निदेशालय, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून पर रू0 5000 की शास्ति आरोपित की गयी।	5000		
62	A-36656	20.07.2023	श्री विनोद कुमार बनाम लोक सूचना अधिकारी श्रीमती दीप्ति यादव, उप शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0, खानपुर, हरिद्वार	श्रीमती दीप्ति यादव, उप शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0, खानपुर, हरिद्वार पर रू0 5000/- की शास्ति आरोपित की गयी	5000		
63	A-36716	21-07-2023	श्री खजान चन्द्र भट्ट बनाम लोक सूचना अधिकारी अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भवाली, जिला नैनीताल और विभागीय अपीलीय अधिकारी अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भवाली, जिला नैनीताल	श्री प्रमोद कुमार वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, भवाली, जिला नैनीताल तथा तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री बी0सी0 जोशी सहायक अभियन्ता पर रू0 5000- 5000 की शास्ति आरोपित की गयी।	10000		
64	C-15011	24.07.2023	श्री हरीश कुमार बंसल बनाम लोक सूचना अधिकारी वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आर्युविज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर जिला पौड़ी गढ़वाल और विभागीय अपीलीय अधिकारी वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आर्युविज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर जिला पौड़ी गढ़वाल	श्री सचान भट्ट, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आर्युविज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर जिला पौड़ी गढ़वाल पर रू0 5000 की शास्ति आरोपित की गयी।	5000		

65	A-36014	31.07.2023	श्री तरुण गुप्ता बनाम लोक सूचना अधिकारी कर अधीक्षक (भूमि) नगर निगम, देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून	श्री विनय प्रताप चौहान, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/नगर निगम देहरादून वर्तमान कर अधीक्षक, नगर पालिका परिषद मसूरी, देहरादून पर ₹0 4000 एवं श्री धर्मेन्द्र पेंचुली पर ₹0 4000 एवं श्री सुशील भट्ट लिपिक पर 2000 एवं श्री राकेश पाण्डेय रिकोड कीपर पर ₹0 2000 कुल 12000 की शास्ति आरोपित की गयी।	12000		
66	A-37268	02.08.2023	श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल बनाम लोक सूचना अधिकारी सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम कोटद्वारा, पौड़ी गढ़वाल और विभागीय अपीलीय अधिकारी नगर आयुक्त, नगर निगम कोटद्वारा, जिला पौड़ी एवं डीम्ड लोक सूचना अधिकारी/ श्री नवीन जयमल सिंह, सजवाण (वरिष्ठ सहायक/नजूल लिपिक) निगम कण्वनगरी कोटद्वारा, जिला पौड़ी गढ़वाल	डीम्ड लोक सूचन अधिकारी / श्री नवीन जयमल सिंह, सजवाण (वरिष्ठ सहायक/नजूल लिपिक) नगर निगम कण्वनगरी कोटद्वारा, जिला पौड़ी गढ़वाल पर ₹0 17500/- की शास्ति आरोपित की गयी तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।	17500		DA
67	C-15152	03.08.2023	श्री एच. सिंह, बनाम लोक सूचना अधिकारी अधिशासी अभियंता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून एवं श्री निशांत कुकरेती, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/सहायक अभियंता मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून	श्री निशांत कुकरेती, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/सहायक अभियंता मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून पर ₹0 5000/- की शास्ति आरोपित की गयी।	5000		

72	A-37169	07.08.2023	श्री शेखर कुमार, पुत्र श्री सुखवीर सिंह, बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री टी0आर0 मलेठा, जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार	श्री टी0आर0 मलेठा, जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार पर रु0 5000/- की शास्ति आरोपित की गयी।	5000		
73	C-14980	08.08.2023	श्री राजेन्द्र शर्मा बनाम लोक सूचना अधिकारी कार्यालय तहसीलदार, हरिद्वार और श्री सन्दीप कुमार सैनी, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/राजस्व उप निरीक्षक, क्षेत्र बहादुराबाद, हरिद्वार	श्री सन्दीप कुमार सैनी, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/राजस्व उप निरीक्षक, क्षेत्र बहादुराबाद, हरिद्वार पर रु0 1000/- की शास्ति आरोपित की गयी।	1000		
74	A-36767	08.08.2023	श्री राज किशोर वर्मा, बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री आशुतोष भण्डारी, जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा 0 शि 0) हरिद्वार जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार एवं एस0पी0 सेमवाल, तत्कालीन, जिला शिक्षा (प्रा 0 शि 0) हरिद्वार जिला हरिद्वार	श्री एस0पी0 सेमवाल, तत्कालीन, जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा 0 शि 0) हरिद्वार जिला हरिद्वार पर रु0 10000/- की शास्ति आरोपित की गयी।	10000		
75	A-35769	10.08.2023	श्री राकेश अग्रवाल, बनाम लोक सूचना अधिकारी अधिशासी अभियंता, नगर पालिका परिषद मसूरी, जिला देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी उप जिलाधिकारी, मसूरी, जिला देहरादून एवं श्री यू0डी0 तिवारी, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी अधिशासी अभियंता, नगर पालिका परिषद मसूरी, जिला देहरादून	तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/श्री यू0डी0 तिवारी, अधिशासी अभियंता, नगर पालिका परिषद मसूरी, जिला देहरादून वर्तमान में नगर पालिका परिषद चम्बा, टिहरी पर रु0 13250/- की शास्ति आरोपित की गयी।	13250		

76	A-36366	10.08.2023	श्री प्र दीप भंडारी, बनाम लोक सूचना अधिकारी अधिशासी अभियंता, नगर पालिका मसूरी, जिला देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी उप जिलाधिकारी, मसूरी, जिला देहरादून एवं श्री यू0डी0 तिवारी, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी अधिशासी अभियंता, नगर पालिका मसूरी, जिला देहरादून	तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी / श्री यू0डी0 तिवारी, अधिशासी अभियंता, नगर पालिका मसूरी, जिला देहरादून वर्तमान में नगर पालिका परिसर चम्बा, टिहरी पर रु0 10750/- की शास्ति आरोपित की गयी।	10750		
77	A-36674	11.08.2023	श्री रमेश चन्द्र शर्मा, बनाम लोक सूचना अधिकारी मुख्यालय, उपाकाली विक्टोरिया क्रॉस विजेता, गबर सिंह ऊर्जा भवन कांवली रोड देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता मुख्यालय, उपाकाली विक्टोरिया क्रॉस विजेता, गबर सिंह ऊर्जा भवन कांवली रोड देहरादून एवं श्री अनूप कुमार, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड नगरीय हरिद्वार	श्री अनूप कुमार, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड नगरीय हरिद्वार पर रु0 10000/- की शास्ति आरोपित की गयी।	10000		
78	A-37152	14.08.2023	श्रीमती मंजू कुकरेती, पत्नी श्री जी.एम. कुकरेती, बनाम लोक सूचना अधिकारी सहायक अभियन्ता (मैपसैल एस -4) मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी संयुक्त सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड देहरादून एवं श्री निशांत कुकरेती, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी सहायक अभियन्ता मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड देहरादून	श्री निशांत कुकरेती, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी सहायक अभियन्ता मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड देहरादून पर रु0 10000/- की शास्ति आरोपित की गयी एवं वर्तमान लोक सूचना अधिकारी श्री शान्ति सिंह रावत को कठोर चेतावनी निर्गत की गयी।	10000		चेतावनी

79	A-37405	17.08.2023	श्री आदेश कुमार गुप्ता, बनाम लोक सूचना अधिकारी परीक्षा नियंत्रक, वीर माधो सिंह प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सुद्धोवाला, प्रेमनगर, चकराता रोड देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी कुल सचिव वीर माधो सिंह प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सुद्धोवाला, प्रेमनगर, चकराता रोड देहरादून एवं समतुल्य लोक सूचना अधिकारी/श्री मुकेश कुमार पाण्डेय स्टोर कीपर, वीर माधो सिंह प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सुद्धोवाला, प्रेमनगर, चकराता रोड देहरादून	समतुल्य लोक सूचना अधिकारी/श्री मुकेश कुमार पाण्डेय स्टोर कीपर, वीर माधो सिंह प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सुद्धोवाला, प्रेमनगर, चकराता रोड देहरादून पर रु0 1000/- की शक्ति आरोपित की गयी।	1000		
80	C-14970	23.08.2023	श्री विरपाल सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, नगर क्षेत्र जिला हरिद्वार और श्रीमती पूनम सैनी, लोक सूचना अधिकारी/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, ब्लॉक बहादुराबाद, हरिद्वार	श्रीमती पूनम सैनी, लोक सूचना अधिकारी/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, ब्लॉक बहादुराबाद, हरिद्वार पर रु0 10000 की शक्ति आरोपित की गयी।	10000		
81	C-15190	23.08.2023	श्री कालिका प्रसाद सेमवाल बनाम लोक सूचना अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, रुद्रप्रयाग और तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/श्री एल0एस0 दानू, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, रुद्रप्रयाग	तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/श्री एल0एस0 दानू, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, रुद्रप्रयाग पर रु0 5000/- की शक्ति आरोपित की गयी।	5000		
82	A-37059	25.08.2023	श्री गोपाल सिंह चौहान, बनाम लोक सूचना अधिकारी खंड विकास अधिकारी, रामनगर, जिला नैनीताल और विभागीय अपीलीय अधिकारी जिला विकास अधिकारी, नैनीताल एवं श्री खुशाल सिंह मर्तोल्या, समतुल्य लोक सूचना अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जिला विकास अधिकारी, नैनीताल	श्री खुशाल सिंह मर्तोल्या, समतुल्य लोक सूचना अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी पर रु0 5000/- की शक्ति आरोपित की गयी।	5000		

83	A-36657	25.08.2023	श्री महेशदत्त गौतम, बनाम लोक सूचना अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी रुड़की हरिद्वार और जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0 हरिद्वारडीन्ड लो0सू0अधि0/श्रीमती अंजु सिंघल, प्रधानाचार्य श्री सनातन धर्म प्रकाश चंद्र कन्या अण्डर कौलेज रुड़की जिला हरिद्वार पर रू0 25000/- की शास्ति आरोपित की जाती है।	डीन्ड लो0सू0अधि0/श्रीमती अंजु सिंघल, प्रधानाचार्य श्री सनातन धर्म प्रकाश चंद्र कन्या अण्डर कौलेज रुड़की जिला हरिद्वार पर रू0 25000/- की शास्ति आरोपित की जाती है।	25000		
84	A-37060	25.08.2023	श्री गोपाल सिंह चौहान, बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री उमाकान्त पंत, खंड विकास अधिकारी, रामनगर जिला नैनीताल	श्री उमाकान्त पंत, खंड विकास अधिकारी, रामनगर जिला नैनीताल पर रू0 5000/- की शास्ति आरोपित की गयी।	5000		
85	C-14920	29.08.2023	श्री अशोक चौधरी पुत्र स्व0 श्री चौधरी कंचन सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री चन्द्रकांत भट्ट, सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, ऋषिकेश एवं श्री रमेश सिंह रावत, विभागीय अपीलीय अधिकारी नगर आयुक्त, नगर निगम ऋषिकेश, एवं श्री रमेश सिंह रावत, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/नगर निगम ऋषिकेश,	श्री चन्द्रकांत भट्ट, सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, ऋषिकेश एवं श्री रमेश सिंह रावत, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/नगर निगम ऋषिकेश, पर रू0 2500-2500 की शास्ति आरोपित की गयी।	5000		
86	A-36766	12.09.2023	श्री राज किशोर वर्मा, बनाम लोक सूचना अधिकारी उप शिक्षा अधिकारी, (प्रा 0 शि 0) लक्सर, जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा 0 शि 0) हरिद्वार, जिला हरिद्वार एवं श्री मेराज अहमद, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, (प्रा 0 शि 0) लक्सर, जिला हरिद्वार वर्तमान में उप शिक्षा अधिकारी, (प्रा 0 शि 0) नारसन जिला हरिद्वार	श्री मेराज अहमद, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, (प्रा 0 शि 0) लक्सर, जिला हरिद्वार वर्तमान में उप शिक्षा अधिकारी, (प्रा 0 शि 0) नारसन जिला हरिद्वार पर रू0 25000/- की शास्ति आरोपित की गयी।	25000		

87	A-37154	12.09.2023	श्री दीप चन्द वर्मा, बनाम लोक सूचना अधिकारी सहायक अभियंता (एस-२) मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी संयुक्त सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड देहरादून एवं श्री दिग्विजय नाथ तिवारी, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/सहायक अभियंता मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड देहरादून पर शांति आरोपित की गयी।	श्री दिग्विजय नाथ तिवारी, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/सहायक अभियंता मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड देहरादून पर शांति आरोपित की गयी।	10000		
88	A-37097	13.09.2023	श्री रहीम अहमद, बनाम लोक सूचना अधिकारी प्रभारी, निरीक्षक, कोतवाली पटेलनगर, जिला देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी क्षेत्राधिकारी, सदर, जिला देहरादून	श्री सूर्य भूषण नेगी, प्रभारी, निरीक्षक, कोतवाली पटेलनगर, जिला देहरादून पर शांति आरोपित की गयी।	10000		
89	A-37270	13.09.2023	श्रीमती पलविंदर कौर बनाम लोक सूचना अधिकारी लेखाधिकारी, / सहायक अभियंता, (निर्माण अनुभाग) नगर निगम हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार	तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री दिगम्बर सिंह एवं श्री आनन्द सिंह मिश्रवाण पर शांति आरोपित की जाती है।	10000		
90	A-36946	14.09.2023	श्री सतिन्दर कुमार बड़ेरा, बनाम लोक सूचना अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी, (प्र I शिक्षा) नैनीताल और विभागीय अपीलीय अधिकारी जिला नैनीताल मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल, जिला नैनीताल एवं श्री एच0बी0 चन्द्र तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) नैनीताल	श्री एच0बी0 चन्द्र तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) नैनीताल पर शांति आरोपित की गयी।	25000		

91	A-37681	15.09.2023	श्री विनोद कुमार बनाम लोक सूचना अधिकारी पूर्ति निरीक्षक, विकास खंड नारसन, जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी जिला पूर्ति अधिकारी, हरिद्वार जिला हरिद्वार एवं श्रीमती सुश्री रुबी खातून, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी रुड़की खानान गोदाम रुड़की हरिद्वार	श्रीमती सुश्री रुबी खातून, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी वर्तमान में वरिष्ठ विपणन अधिकारी रुड़की राजकीय खाद्यान गोदाम रुड़की हरिद्वार पर रु० 25000/- की शास्ति आरोपित की गयी।	25000		
92	A-37578	20.09.2023	श्री पवन कुमार, पोददार, बनाम लोक सूचना अधिकारी सहायक अभियंता (ऋषिकेश) शाखा कार्यालय एम ० डी ० एच -21 ऋषिलोक कालोनी ऋषिकेश देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी सयुक्त सचिव एम ० डी ० एच ० देहरादून एवं श्री राजेन्द्र बहुगुणा, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी सहायक अभियंता एम ० डी ० एच ० देहरादून एवं श्री प्रेम पाल सिंह, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी सहायक अभियंता एम ० डी ० एच ० देहरादून	श्री राजेन्द्र बहुगुणा, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी सहायक अभियंता एम ० डी ० एच ० देहरादून एवं श्री प्रेम पाल सिंह, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी सहायक अभियंता एम ० डी ० एच ० देहरादून पर क्रमशः रु० 5000/- और रु० 3000/- कुल रु० 8000 की शास्ति आरोपित की गयी।	8000		
93	C-15189	21.09.2023	श्री करुणेश कुमार गौतम बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री जय प्रकाश, प्रधानाचार्य, के०वि० इण्टर कालेज लक्सर, हरिद्वार	श्री जय प्रकाश, प्रधानाचार्य, के०वि० इण्टर कालेज लक्सर, हरिद्वार पर रु० 1000/- की शास्ति आरोपित की गयी।	1000		
94	A-36294	26.09.2023	श्री सोबत सिंह रावत, बनाम लोक सूचना अधिकारी अधिशासी अभियंता, अवस्थापना (पुनर्वास खंड) नई टिहरी और विभागीय अपीलीय अधिकारी अधीक्षण अभियंता, सिचाई कार्य मंडल, (पुनर्वास) ऋषिकेश, २६ ई० सी० रोड देहरादून	श्री डी०एस० नेगी, अधिशासी अभियंता, अवस्थापना (पुनर्वास खंड) नई टिहरी पर रु० 5000/- की शास्ति आरोपित की गयी।	5000		

95	A-37541	26.09.2023	श्री वचन कुमार, बनाम लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत डुंगरपुर, विकास खंड लक्सर जिला हरिद्वार पंचायत विकास अधिकारी एवं श्री अकिता गयी। और विभागीय अपीलीय अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी, लक्सर जिला हरिद्वार एवं श्री अकिता राठी, तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अमर दीप तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत डुंगरपुर	श्री अकिता राठी, तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं श्री अमर दीप तत्कालीन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत डुंगरपुर पर ₹0 5000-5000 की शास्ति आरोपित की गयी।	10000		
96	C-15319	26.09.2023	श्री हेमन्त सिंह गोनिया, बनाम लोक सूचना अधिकारी सहायक अभियन्ता, नगर निगम, हल्द्वानी, (काठगोदाम) जिला नैनीताल और तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/ श्री प्रेम सिंह रातेला, कनिष्ठ लिपिक, नगर निगम हल्द्वानी	तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/ श्री प्रेम सिंह रातेला, कनिष्ठ लिपिक, नगर निगम हल्द्वानी पर ₹0 5000/- की शास्ति आरोपित की गयी।	5000		
97	A-36810	29.09.2023	श्री शेखर कुमार, बनाम लोक सूचना अधिकारी सहायक कृषि अधिकारी, विकास खंड लक्सर, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, हरिद्वार स्थित बहादुराबाद, जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार, जिला हरिद्वार एवं लोक सूचना अधिकारी/तहसील लक्सर, हरिद्वार	श्री वीरेन्द्र दत्त शर्मा, लोक सूचना अधिकारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, तहसील लक्सर, पर ₹0 5000/- की शास्ति आरोपित की गयी।	5000		
98	A-37726	03.10.2023	श्री श्याम सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी सुश्री मीनू आर्य, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम खेरना विकास खण्ड सितारगंज, जिला ऊधमसिंहनगर और विभागीय अपीलीय अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सितारगंज, ऊधमसिंहनगर	सुश्री मीनू आर्य, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम खेरना विकास खण्ड सितारगंज, जिला ऊधमसिंहनगर पर ₹0 2000 की शास्ति आरोपित की जाती है।	2000		

[illegible]

102	A-37058	06.10.2023	श्रीमती पूनम अग्रवाल, बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री सुरेश चन्द्र बुढलाकोटी नायव तहसीलदार तहसील, किच्छा जिला उधम सिंह नगर और विभागीय अपीलीय अधिकारी उप जिला अधिकारी, किच्छा जिला उधम सिंह नगर एवं श्री भूवन चन्द्र भण्डारी, तत्कालीन नायब तहसीलदार, किच्छा व श्री सुरेश चन्द्र बुढलाकोटी नायव तहसीलदार तहसील, किच्छा जिला उधम सिंह नगर	श्री भूवन चन्द्र भण्डारी, तत्कालीन नायब तहसीलदार, किच्छा व श्री सुरेश चन्द्र बुढलाकोटी नायव तहसीलदार तहसील, किच्छा जिला उधम सिंह नगर पर 1000-1000 की शास्ति आरोपित की गयी।	2000		
103	C-15439	13.10.2023	श्री प्रकाश चन्द्र, बनाम लोक सूचना अधिकारी पुलिस अधीक्षक, नगर हरिद्वार जिला हरिद्वार और लोक प्राधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार	लोक प्राधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार को ₹0 2000 की क्षतिपूर्ति अनुरोधकर्ता को प्रदान किये जाने के आदेश दिए गए।	2000		
104	A-37770	16.10.2023	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद बमराड़ा, बनाम लोक सूचना अधिकारी प्रधानाचार्य, राजकीय इंटर कालेज कुलान्देश्वर, विकास खंड स्याल्दे, जिला अल्मोड़ा और विभागीय अपीलीय अधिकारी खंड शिक्षाधिकारी, स्याल्दे, जिला अल्मोड़ा एवं श्री राजेन्द्र कुमार अहरिवार, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी वर्तमान में प्रधानाचार्य, राजकीय इंटर कालेज गंगामोगपुर, विकास खंड यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल	श्री राजेन्द्र कुमार अहरिवार, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी वर्तमान में प्रधानाचार्य, राजकीय इंटर कालेज गंगामोगपुर, विकास खंड यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल पर ₹0 15000 की शास्ति आरोपित की गयी।	15000		

105	A-37772	17.10.2023	श्री बलवन्त सिंह पवार, बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक शिक्षा) टिहरी गढ़वाल और विभागीय अपीलीय अधिकारी मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल	श्री प्रमोद शर्मा, लोक सूचना अधिकारी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक शिक्षा) टिहरी गढ़वाल पर रु0 2000 की शक्ति आरोपित की गयी। श्रीमती उमा पवार जिला शिक्षा अधिकारी (मा0शि0) टिहरी गढ़वाल और श्री एस0पी0 सेमवाल, मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल पर विभागीय कार्यवाही के आदेश किये गये।	2000		DA
106	A-37830	20.10.2023	श्री राकेश प्रसाद भट्ट, बनाम लोक सूचना अधिकारी सहायक अभियंता, प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग नई टिहरी, जिला टिहरी गढ़वाल और विभागीय अपीलीय अधिकारी अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग नई टिहरी, जिला टिहरी गढ़वाल एवं श्री पुष्कर सिंह बुटोला, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी	श्री पुष्कर सिंह बुटोला, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी पर रु0 5000 की शक्ति आरोपित की गयी।	5000		
107	A-37654	25.10.2023	श्री अरविन्द सिंह रावत, बनाम लोक सूचना अधिकारी मुख्य सहायक, कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल और विभागीय अपीलीय अधिकारी अधीक्षण अभियंता सिंचाई कार्य (पुनर्वास) मंडल ऋषिकेश २६ ई० सी० रोड देहरादून	श्रीमती बीना सेमवाल, लोक सूचना अधिकारी/मुख्य सहायक पर रु0 5000 की शक्ति आरोपित की गयी।	5000		
108	C-15339	26.10.2023	श्री सुनय कुकसाल बनाम लोक सूचना अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी, कीर्तिनगर, जिला टिहरी गढ़वाल और विभागीय अपीलीय अधिकारी जिला विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल एवं डीमड लोक सूचना अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला टिहरी गढ़वाल	श्रीमती सुमनलता, लोक सूचना अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, कीर्तिनगर और डीमड लोक सूचना अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल पर रु0 3000- रु0 3000 की शक्ति आरोपित की गयी।	6000		

109	C-15024	30.10.2023	श्री गुणानंद जखमोला , बनाम लोक सूचना अधिकारी अनु सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-०३, उत्तराखण्ड हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय धेद गांव पौड़ी शरसन देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय धेद गांव पौड़ी अधिकारी/महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय धेद गांव पौड़ी गढ़वाल	लोक सूचना अधिकारी/महाराजा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय धेद गांव पौड़ी गढ़वाल पर रु० 10000 की शास्ति आरोपित की गयी।	10000		
110	C-14896	31.10.2023	श्री जगदीश चन्द्र काण्डपाल, बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री राकेशधर द्विवेदी, अनुभाग अधिकारी, वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, वित्त अनुभाग-7, वर्तमान में अनु सचिव, संस्कृति एवं धर्मस्व कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन पर रु० 5000 की शास्ति व क्षतिपूर्ति रुपये 5000 / - आरोपित की गयी।	5000		
111	A-37798	06.11.2023	श्री कैलाश चन्द्र गडकोटी बनाम लोक सूचना अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी, मा०श० चम्पावत और विभागीय अपीलीय अधिकारी मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत, जिला चम्पावत	श्री चन्दन सिंह बिष्ट , खण्ड शिक्षा अधिकारी, चौखुटिया, अल्मोडा पर रु. 20000 की शास्ति आरोपित की गयी।	20000	5000	
112	A-37804	07.11.2023	श्री गुलफाम, एडवोकेट बनाम लोक सूचना अधिकारी श्रीमती दीप्ति यादव, उप शिक्षा अधिकारी (प्रा. शि.) बहादुराबाद, जिला हरिद्वार/प्रधानाध्यापक उत्तरांचल पब्लिक जूनियर हाई स्कूल बहादुराबाद जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा. शि.) हरिद्वार जिला हरिद्वार	लोक सूचना अधिकारी/श्रीमती दीप्ति यादव, उप शिक्षा अधिकारी (प्रा. शि.) बहादुराबाद, जिला हरिद्वार पर रु. 10000 की शास्ति आरोपित की गयी।	10000		

113	A-36529	16.11.2023	सुश्री रंजना बाला बनाम लोक सूचना अधिकारी सिडकुल मुख्यालय, आई.टी.पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी कंपनी सचिव, आई.टी.पार्क, सहस्त्रधारा रोड देहरादून एवं लोक प्राधिकारी/प्रबंध निदेशक, सिडकुल मुख्यालय, देहरादून	श्री नरेश कुमार कांरोरा, डीम्ड लोक सूचना अधिकारी/उपमहाप्रबंधक (वाणिज्य) आई.टी.पार्क, पर रु. 10000 की शास्ति आरोपित की गयी।	10000		
114	A-35280	22.11.2023	श्री सुरेश दीक्षित बनाम लोक सूचना अधिकारी सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, ऋषिकेश, जिला देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश जिला देहरादून	तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री आनन्द सिंह मिश्रवाण पर रु0 500/-, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री रमेश सिंह रावत एवं श्री बी0पी0 भट्ट पर रु0 500-500 एवं श्री वर्तमान लोक सूचना अधिकारी पर रु0 500/-की शास्ति आरोपित की गयी।	2000		
115	A-38114	28.11.2023	श्री अभिषेक बनाम लोक सूचना अधिकारी निदेशालय कर्मचारी राज्य बीमा योजना, देहरादून, 22 ई.सी. रोड सर्वे चौक, देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी मुख्य चिकित्साधिकारी, निदेशालय कर्मचारी राज्य बीमा योजना, देहरादून, 22 ई.सी.रोड देहरादून एवं श्री गिरीश चन्द्र नौटियाल, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी,द्वारा वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/निदेशालय कर्मचारी राज्य बीमा योजना, देहरादून 22ई.सी. रोड देहरादून पर रु. 5000 की शास्ति आरोपित की गयी।	श्री गिरीश चन्द्र नौटियाल, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी,द्वारा वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/निदेशालय कर्मचारी राज्य बीमा योजना, देहरादून 22ई.सी. रोड देहरादून पर रु. 5000 की शास्ति आरोपित की गयी।	5000		

116	A-38081	30.11.2023	श्री रिजवान पुत्र श्री हनीफ बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री जे. पी. काला, उप शिक्षा अधिकारी (प्रा. शि.) लक्खर, जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा. शि.) हरिद्वार एवं श्री मेराज अहमद, उप शिक्षा अधिकारी (प्रा. शि.) नारसन जिला हरिद्वार	श्री मेराज अहमद, उप शिक्षा अधिकारी (प्रा. शि.) लक्खर जिला हरिद्वार, वर्तमान में उप शिक्षा अधिकारी (प्रा. शि.) नारसन जिला हरिद्वार पर रु. 10000 की शास्ति आरोपित की गयी।	10000		
117	A-37800	30.11.2023	श्री महेशदत्त गौतम बनाम लोक सूचना अधिकारी खण्ड शिक्षा अधिकारी, रुड़की जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी, मा. शि. जिला हरिद्वार एवं डीम्ड लोक सूचना अधिकारी/श्रीमती अंजु सिंघल प्रधानाचार्या, श्री सनातन धर्म प्रकाश चंद्र कन्या इण्टर कॉलेज रुड़की, जिला हरिद्वार	डीम्ड लोक सूचना अधिकारी/श्रीमती अंजु सिंघल प्रधानाचार्या, श्री सनातन धर्म प्रकाश चंद्र कन्या इण्टर कॉलेज रुड़की हरिद्वार पर रु. 16750 की शास्ति अधिरोपित की गयी।	16750		
118	A-36604	04.12.2023	श्री यशपाल सिंह खोखर बनाम लोक सूचना अधिकारी नगर निगम रुड़की जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी नगर आयुक्त, नगर निगम रुड़की जिला हरिद्वार	डीम्ड लोक सूचना अधिकारी/श्री मामचन्द तत्कालीन स्टोर कीपर द्वारा लोक सूचना अधिकारी/नगर निगम रुड़की, जिला हरिद्वार पर रु. 15000 की शास्ति आरोपित की गयी।	15000		
119	A-36522	05.12.2023	श्री हरी शंकर पाण्डेय बनाम लोक सूचना अधिकारी कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी, काशीपुर जिला उधम सिंह नगर और विभागीय अपीलीय अधिकारी मुख्य कृषि अधिकारी, उधम सिंह नगर	श्री मामचन्द/तत्कालीन डीम्ड लोक सूचना अधिकारी कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी काशीपुर जिला उधम सिंह नगर पर रु. 25000 की शास्ति आरोपित की गयी।	25000		
120	A-38011	06.12.2023	श्री विनोद कुमार पुत्र स्व. श्री नेपाल सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नारसन, जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार जिला हरिद्वार	डॉ. अचिन्तन गर्ग, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नारसन द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार पर रु. 25000 की शास्ति आरोपित की गयी।	25000		

121	A-38210	6.12.2023	डॉ. राजेश पाण्डे, बनाम लोक सूचना अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि.पिथौरागढ़, जिला पिथौरागढ़ और विभागीय अपीलीय अधिकारी मुख्य शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़, जिला पिथौरागढ़	लोक सूचना अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि.पिथौरागढ़, जिला पिथौरागढ़ पर रु. 5000 की शास्ति आरोपित की गयी।	5000		
122	A-38500	12.12.2023	श्री सच्येन्द्र सिंह गुसाई बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री डी.एस. नेगी, अधिशासी अभियंता, अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड नई टिहरी, कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, नई टिहरी, जिला टिहरी और विभागीय अपीलीय अधिकारी अभियंता सिंचाई कार्य मण्डल ऋषिकेश, 26 ई.सी. रोड देहरादून	श्री डी.एस. नेगी, लोक सूचना अधिकारी/अधिशासी अभियंता, अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड नई टिहरी, कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, नई टिहरी, जिला टिहरी गडवाल पर रु. 5000 की शास्ति आरोपित की गयी।	5000		
123	A-38132	12.12.2023	श्री सुदर्शन कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री टी.पी. नौटियाल, सहायक अभियंता, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी सचिव हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार	श्री टी.पी. नौटियाल, लोक सूचना अधिकारी/सहायक अभियंता, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार पर रु. 5000 की शास्ति आरोपित की गयी।	5000		
124	A-38335	13.12.2023	श्री महानंद, पुत्र श्री ओम प्रकाश बनाम लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत उमरखुर्द, विकास खण्ड खटीमा जिला उधम सिंह नगर और विभागीय अपीलीय अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी, विकासखण्ड खटीमा, जिला उधम सिंह नगर	श्री निरीश चन्द्र जोशी, उप जिला कार्यक्रम अधिकारी (मा. गा. नरेगा) विकासखण्ड खटीमा जिला उधम सिंह नगर पर रु. 2000 की शास्ति आरोपित की गयी।	2000		
125	A-37855	20.12.2023	श्री मातंग मलासी बनाम लोक सूचना अधिकारी सावेद आलम खण्ड शिक्षा अधिकारी पौड़ी गडवाल और विभागीय अपीलीय अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी, मा. शि. पौड़ी गडवाल	श्री सुमन्त सिंह डीम्ड लोक सूचना अधिकारी/श्री प्रधानाचार्य, डी.ए.वी. इंटर कालेज, पौड़ी गडवाल पर रु. 5000 की शास्ति आरोपित की गयी।	5000		

126	c-14593	20.12.2023	डी.के. अग्रवाल बनाम लोक सूचना अधिकारी नगर निगम हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी नगर निगम, हरिद्वार	श्री दिनेश उनियाल, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी वर्तमान में नगर निगम ऋषिकेश पर रु.25000 की शास्ति आरोपित की गयी और नगर निगम पर रु.0 25000 की क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी।	25000	25000	
127	C-14966	20.12.2023	श्री वी.के.अग्रवाल बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री दिगम्बर सिंह, लेखाधिकारी, नगर निगम श्रीनगर	लोक सूचना अधिकारी/श्री दिगम्बर सिंह, लेखाधिकारी, नगर निगम हरिद्वार, श्री राहुल कैथोला तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, श्री अविनाश खन्ना, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी व लोकसूचना अधिकारी श्रीमती अमरजीत कौर पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी। नगर निगम पर रु.0 25000 की क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी।	25000		DA
128	A-37715	20.12.2023	डॉ. ललित जोशी बनाम लोक सूचना अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा. शि.) नैनीताल और विभागीय अपीलीय अधिकारी मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल	श्री एच.बी.चन्द, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल पर रु.0 5000 / - की शास्ति आरोपित की गयी।	5000		
129	A-37876	21.12.2023	श्री ओमप्रकाश शर्मा पुत्र स्व.श्री रामदयाल शर्मा बनाम लोक सूचना अधिकारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी राजाजी टाईगर रिजर्व देहरादून, 5/1 अंसारी मार्ग देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी उप वन संरक्षक, राजाजी, टाईगर रिजर्व देहरादून, 5/1 अंसारी मार्ग, देहरादून	लोक सूचना अधिकारी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी राजाजी टाईगर रिजर्व देहरादून, 5/1 अंसारी मार्ग देहरादून पर रु. 10000 की शास्ति आरोपित की गयी।	10000		

130	A-38136	22.12.2023	श्री एम.एस.नेगी बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री शैलेन्द्र सिंह रावत, तत्कालीन लोक सूचना सहायक अभियन्ता, (मैप सैल) एस-7 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी संयुक्त सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड देहरादून	श्री शैलेन्द्र सिंह रावत, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/सहायक अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड देहरादून पर रु. 5000 की शास्ति आरोपित की गयी।	5000		
131	A-38217	27.12.2023	श्री शिवांश पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी उप शिक्षा अधिकारी, नारसन, जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा.शि.) हरिद्वार जिला हरिद्वार	श्री मेराज अहमद, लोक सूचना अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, नारसन, जिला हरिद्वार पर रु. 15000 की शास्ति आरोपित की गयी।	15000		
132	c-15221	27.12.2023	श्री डुकुम सिंह बसेड़ा बनाम लोक सूचना अधिकारी कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पी.एम.जी.एस.वाई. कपकोट जिला बागेश्वर और विभागीय अपीलीय अधिकारी अधिशासी अभियन्ता, ग्राम निर्माण विभाग, पी.एम.जी.एस.वाई. कपकोट, जिला वागेश्वर	श्री अमरीश रावत, समतुल्य लोक सूचना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, ग्रा. नि.वि. पी. एम.जी.एस.वाई. कपकोट रु. 25000/- की शास्ति आरोपित की गयी।	25000		
133	A-37781	29.12.2023	श्री शेरपाल पुत्र स्व. श्री तिलकराम, बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश, प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खानपुर हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला हरिद्वार	लोक सूचना अधिकारी/श्री चन्द्र प्रकाश, प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खानपुर जिला हरिद्वार पर रु. 6000 की शास्ति आरोपित की गयी।	6000		

134	A-37782	29.12.2023	श्री अकित कुमार पुत्र श्री चन्द्रपाल , ग्राम पण्डित पूरी, पो. रायसी तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार लोक सूचना अधिकारी श्री चन्द्र प्रकाश, प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खानपुर, जिला हरिद्वार पर रु. 6000 शास्ति आरोपित की गयी।	6000		
135	A-38465	09.01.2024	श्री गोविन्द सिंह नेगी पुत्र स्व. कौर सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी श्रीमती यशोदा बिष्ट, बाल विकास विभाग, जिला उत्तरकाशी, जिला उत्तरकाशी और विभागीय अपीलीय अधिकारी मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला हरिद्वार	8000		
136	A-38587	24.01.2024	श्री शेर सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी अधिशासी अभियन्ता, मसूरी देहरादून प्राधिकरण, ट्रान्सपोर्ट नगर, देहरादून पर अपीलीय अधिकारी संयुक्त सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रान्सपोर्ट नगर, सहरनपुर रोड देहरादून	12750		
137	A-37962	24.01.2024	श्री नरेश चन्द्र जोशी पुत्र श्री पानदेव जोशी बनाम लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, विडोरा, मझोला, विकास खण्ड सितारगंज, जिला उधम सिंह नगर और विभागीय अपीलीय अधिकारी विकास अधिकारी, सितारगंज जिला उधम सिंह नगर	5000		

138	A-38712	29.01.2024	श्री देवेन्द्र सिंह गुसाई बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री अधिशासी अभियन्ता अवस्थापना टिहरी, टिहरी गढवाल और विभागीय अपीलीय अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता, सिचाई कार्य (पुनर्वास) मण्डल ऋषिकेश, 26 ई.सी.रोड, देहरीदून	श्री धीरेन्द्र सिंह नेनी, लोक सूचना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड नई टिहरी, टिहरी गढवाल पर रु.10000 की शास्ति आरोपित की गयी।	10000		
139	A-38064	29.01.2024	श्री महफूज अली पुत्र श्री मकबूल बनाम लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी,ग्राम पंचायत बरखेडा पाण्डेय, विकासखण्ड काशीपुर जिला उधम सिंह नगर और विभागीय अपीलीय अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी, विकासखण्ड काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर	श्री सतीष सिंह सैनी, लोक सूचना अधिकारी/ग्राम पंचायतबरखेडा पाण्डेय, विकासखण्ड काशीपुर जिला उधम सिंह नगर पर रु. 2000 की शास्ति आरोपित की गयी।	2000		
140	A-38063	29.01.2024	मौ. सरफराज पुत्र श्री फकीर बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री सतीश सिंह सेनी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बरखेडा पाण्डेय,विकास खण्ड, काशीपुर जिला उधम सिंह नगर और विभागीय अपीलीय अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी, विकासखण्ड काशीपुर जिला उधम सिंह नगर	श्री सतीश सिंह सैनी, लोक सूचना अधिकारी/ग्राम पंचायत बरखेडा पाण्डेय, विकासखण्ड काशीपुर जिला उधम सिंह नगर पर रु. 2000 की शास्ति आरोपित की गयी।	2000		
141	A-38067	29.01.2024	श्री नदीम पुत्र मकबूल बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री सतीश सिंह सेनी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बरखेडा पाण्डेय, विकासखण्ड, काशीपुर जिला उधम सिंह नगर और विभागीय अपीलीय अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी, विकासखण्ड काशीपुर जिला उधमसिंहनगर	श्री सतीश सिंह सैनी, लोक सूचना अधिकारी/ग्राम पंचायतबरखेडा पाण्डेय, विकासखण्ड काशीपुर जिला उधम सिंह नगर पर रु. 2000 की शास्ति आरोपित की गयी।	2000		

142	A-38068	29.01.2024	मौ. सरफराज पुत्र श्री फकीर बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री सतीश सिंह सेनी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बरखेडा पाण्डेय, विकासखण्ड काशीपुर जिला उधम सिंह नगर पर काशीपुर जिला उधम सिंह नगर और विभागीय अपीलीय अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी, विकासखण्ड काशीपुर जिला उधम सिंह नगर	श्री सतीश सिंह सेनी, लोक सूचना अधिकारी/ग्राम पंचायतबरखेडा पाण्डेय, विकासखण्ड काशीपुर जिला उधम सिंह नगर पर रु. 2000 की शास्ति आरोपित की गयी।	2000		
143	A-38560	06.02.2024	श्री कमल सिंह राव बनाम लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, तहसील यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल और विभागीय अपीलीय अधिकारी उप जिलाधिकारी, यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल	सुश्री सुधा डोभाल, वर्तमान, लोक सूचना अधिकारी/ तहसील यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल पर रु. 5000 की शास्ति आरोपित की गयी।	5000		
144	A-38559	06.02.2024	श्री कमल सिंह रावत बनाम लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, तहसील यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल और विभागीय अपीलीय अधिकारी उप जिलाधिकारी, यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल	सुश्री सुधा डोभाल, वर्तमान, लोक सूचना अधिकारी/ तहसीलदार, तहसील यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल पर रु. 5000 की शास्ति आरोपित की गयी।	5000		
145	A-38196	06.02.2024	सुश्री लोकेश कुमारी बनाम लोक सूचना अधिकारी श्रीमती दीप्ति, उप शिक्षा अधिकारी, खानपुर, और विभागीय अपीलीय अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0, हरिद्वार	श्रीमती दीप्ति, उप शिक्षा अधिकारी, खानपुर, रु. 10000 की शास्ति आरोपित की गयी।	10000		
146	A-38839	15.02.2024	श्री शाहनवाज पुत्र श्री सरवर बनाम लोक सूचना अधिकारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी तहसीलदार, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार एवं	विभागीय अपीलीय अधिकारी/तहसीलदार, रुड़की के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाये एवं श्री सुधीर कुमार शर्मा, तत्कालीन डीम्ड लोक सूचना अधिकारी/राजस्व उप निरीक्षक पर रु. 5000 की शास्ति आरोपित की गयी।	5000		DA

147	C-15555	26.02.2024	श्री बी0डी0 जोशी बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री चन्द्र किशोर, लोक सूचना अधिकारी/अधिकासी प्रमुख अभियंता, कार्मिक-1, कार्यालय प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, देहरादून	श्री चन्द्र किशोर, लोक सूचना अधिकारी/अधिकासी प्रमुख अभियंता, कार्मिक-1, कार्यालय प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून, जिला देहरादून, पर रू. 5000 की शास्ति आरोपित की गयी।	5000		
148	A-38607	28.02.2024	श्री राजकिशोर गुप्ता, एडवोकेट बनाम लोक सूचना अधिकारी सहायक अभियन्ता, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार, जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी सचिव, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार, जिला हरिद्वार	श्री पंकज पाठक, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, सहायक अभियन्ता, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार, जिला हरिद्वार पर रू. 15000 की शास्ति आरोपित की गयी।	15000		
149	A-38606	28.02.2024	श्रीमती मधु वार्णेय पत्नी श्री राकेश कुमार वार्णेय बनाम लोक सूचना अधिकारी सहायक अभियन्ता, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार, जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी सचिव, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार, जिला हरिद्वार	श्री पंकज पाठक, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, सहायक अभियन्ता, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार, जिला हरिद्वार पर रू. 10000 की शास्ति आरोपित की गयी।	10000		
150	A-38297	29.02.2024	श्री हरी शंकर पाण्डेय बनाम लोक सूचना अधिकारी कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी, कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल और विभागीय अपीलीय अधिकारी मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल, जिला पौड़ी गढ़वाल	तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री अरविन्द भट्ट पर रुपये 25000 की शास्ति आरोपित की गयी।	25000		
151	A-38934	05.03.2024	श्री चैतन्य कुमार सिंह, एडवोकेट बनाम लोक सूचना अधिकारी मुख्य बीज उत्पादन अधिकारी, उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास नि0लि0 पंतनगर, जिला उधमसिंहनगर और विभागीय अपीलीय अधिकारी महामंडल, उत्तराखण्ड सीड्स एवं तराई विकास निगम लि0 पंतनगर, जिला उधमसिंहनगर	डा0 दीपक पाण्डेय, लोक सूचना अधिकारी, मुख्य उत्तराखण्ड बीज उत्पादन अधिकारी, उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास नि0लि0 पंतनगर, जिला उधमसिंहनगर, पर रू. 10000 की शास्ति आरोपित की गयी।	10000		

152	A-39029	06.03.2024	श्री शिव भगवान मिश्र बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री दलेल सिंह राजपूत, जिला शिक्षा अधिकारी (मा0शि0), ऊधम सिंह नगर, जिला ऊधम सिंह नगर, पर रू. 5000 की शास्ति आरोपित की गयी।	श्री दलेल सिंह राजपूत, जिला शिक्षा अधिकारी (मा0शि0), ऊधम सिंह नगर, जिला ऊधम सिंह नगर, पर रू. 5000 की शास्ति आरोपित की गयी।	5000		
153	A-38682	06.03.2024	श्री विजय सिंह परमार बनाम लोक सूचना अधिकारी विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल और विभागीय अपीलीय अधिकारी मुख्य शिक्षा अधिकारी ऊधम सिंह नगर, जिला ऊधम सिंह नगर	श्रीमती बीना सेमवाल, लोक सूचना अधिकारी / विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल, पर रू. 25000 की शास्ति आरोपित की गयी।	25000		
154	A-39036	06.03.2024	श्री उमेश चन्द्र शर्मा, पुत्र स्व0 श्री नारायण दत्त शर्मा बनाम लोक सूचना अधिकारी उप शिक्षा अधिकारी रामनगर नैनीताल / श्री तारा चन्द्र, राजकीय प्रा0वि0 कंजरपड़ाव रामनगर, नैनीताल, जिला नैनीताल और शास्ति आरोपित की गयी।	श्री तारा चन्द्र, डीन्ड लोक सूचना अधिकारी, श्री तारा चन्द्र, राजकीय प्रा0वि0 कंजरपड़ाव रामनगर, नैनीताल, जिला नैनीताल, पर रू. 1000 की शास्ति आरोपित की गयी।	1000		
155	A-38681	06.03.2024	सुश्री शिल्पी नेगी, एडवोकेट बनाम लोक सूचना अधिकारी अधिशासी अभियन्ता, अवस्थापना पुनर्वास खण्ड नई टिहरी, जिला टिहरी गढ़वाल और विभागीय अपीलीय अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता, सिचाई कार्य (पुनर्वास) मण्डल द्वितीय तल, केदार भवन, टी0एच0डी0सी0 लि0 परिसर, केदारपुरम देहरादून	श्री धीरेन्द्र सिंह नेगी, लोक सूचना अधिकारी / अधिशासी अभियन्ता अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल पर रू.15000 की शास्ति आरोपित की गयी।	15000		
156	A-38779	12.03.2024	डॉ0 सुनील कट्यार बनाम लोक सूचना अधिकारी उप निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, नवाइखेडा गौलापार, हल्द्वानी जिला नैनीताल और विभागीय अपीलीय अधिकारी प्रमारी निदेशक, उच्च शिक्षा, निदेशालय नवाइखेडा गौलापार, हल्द्वानी, जिला नैनीताल	डा0 नागेन्द्र द्विवेदी / लोक सूचना अधिकारी पर रू.25000 की शास्ति आरोपित की गयी।	25000		

157	A-37686	14.03.2024	मौ0 आरिफ, बनाम लोक सूचना अधिकारी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, जसपुर, जिला- ऊधमसिंहनगर और विभागीय अपीलीय अधिकारी जिला पूर्ति अधिकारी, जिला-ऊधमसिंहनगर	तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/श्री विनोद चन्द्र तिवारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी पर रु.25000 की शास्ति आरोपित की गयी।	25000		
158	A-15159	15.03.2024	श्रीमती पिकी पत्नी स्व0 श्री केवल सिंह, बनाम लोक सूचना अधिकारी सहायक अभियंता, एस-6, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून।	श्री शैलन्द्र सिंह रावत, लोक सूचना अधिकारी/सहायक अभियंता मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून पर एकमुश्त रु.5000 की शास्ति आरोपित की गयी।	5000		
159	A-38868	20.03.2024	श्री नवनीत त्यागी बनाम लोक सूचना अधिकारी उप जिलाधिकारी, विकासनगर, जिला देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), देहरादून, जिला देहरादून	लोक सूचना अधिकारी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय तहसील विकासनगर, जिला देहरादून पर सांकेतिक रूप से रु. 1000, श्री सजय कुमार वर्मा, तत्कालीन डीम्ड लोक सूचना अधिकारी/राजस्व उप निरीक्षक, से0हो0टा0 पर सांकेतिक रूप से रु. 1000 एवं श्री मानव चन्द्र मुण्डेपी, वर्तमान डीम्ड लोक सूचना अधिकारी/राजस्व उप निरीक्षक, से0हो0टा0 पर सांकेतिक रूप से रु. 1000/- की शास्ति आरोपित की जाती है।	3000		
160	A-37450	26.03.2024	श्री समीर सरदाना बनाम लोक सूचना अधिकारी थानाध्यक्ष, थाना नेहरू कॉलोनी, देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी क्षेत्राधिकारी, जालनवाला, जिला देहरादून	श्री लोकेन्द्र बहुगुणा, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/थानाध्यक्ष, थाना नेहरू कॉलोनी, देहरादून, पर रु. 10000 की शास्ति आरोपित की गयी।	10000		

161	A-39136	27.03.2024	श्रीमती विभा नामदेव बनाम लोक सूचना अधिकारी श्रीमती पायल पेन्वली, पूर्ति निरीक्षक, कार्यालय पूर्ति निरीक्षक, (राशन कार्ड अनुभाग) कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून पर रु. 25000 की पूर्ति अधिकारी, देहरादून और विभागीय अपीलीय शास्ति आरोपित की गयी। अधिकारी जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून	25000		
162	A-38461	27.03.2024	श्री संदीप शर्मा बनाम लोक सूचना अधिकारी श्रीमती लोक सूचना अधिकारी / श्री शंशाक सक्सेना, एकता अरोड़ा, अनु सचिव (सम्पत्ति), मसूरी देहरादून सहायक अभियन्ता, (आई0एस0बी0टी0 हाउसिंग विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, स्कीम/पी0एम0यू0 सैल) मसूरी देहरादून विकास देहरादून। और विभागीय अपीलीय अधिकारी अधिशासी प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट देहरादून पर रु. 22000 की शास्ति आरोपित की गयी। नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून	22000		



अयोग को प्राप्त बजट

Budget Manual - 08 For The Month Of - [Mar-2024]
(See Paragraphs 107)

Monthly Expenditure Statement to Administrative Department by Controlling Officer / Head Of The Department

Filters: Treasury - All DDO - All

अनुदान संख्या-006 - राजस्व एवं सामान्य प्रशासन

लेखा शीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ
800-अन्य व्यय
00-सूचना आयोग की स्थापना

00--
13-सूचना आयोग की स्थापना

2070008001300

मानक मद	आवंटित धनराशि (एच. ओ. डी.)	आवंटित धनराशि (डी. ओ)	वर्तमान माह का व्यय	वर्तमान माह तक का व्यय	प्रतिशत व्यय	शेष	टिप्पणी
01-वेतन	1,54,49,540	1,54,49,540	76,200	1,54,49,540	100%	-	
02-मजदूरी	-	-	-	-	0%	-	
03-महंगाई भत्ता	78,61,374	78,61,374	35,052	69,87,084	88.88%	8,74,290	
04-यात्रा व्यय	2,73,233	2,73,233	43,966	2,73,233	100%	-	
06-अन्य भत्ते	22,00,000	22,00,000	8,690	30,74,290	139.74%	-8,74,290	
07-मानदेय	-	-	-	-	0%	-	
08-पारिश्रमिक	1,37,39,766	1,37,39,766	10,66,810	1,37,39,766	100%	-	
09-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1,13,418	1,13,418	34,928	1,13,418	100%	-	
10-प्रशिक्षण व्यय	3,00,000	3,00,000	-	3,00,000	100%	-	
11-अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय	24,93,774	24,93,774	-	24,93,774	100%	-	
20-लेखन सामग्री एवं छपाई	5,29,364	5,29,364	42,918	5,29,364	100%	-	
21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5,84,668	5,84,668	-	5,84,668	100%	-	
22-कार्यालय व्यय	19,86,447	19,86,447	3,84,610	19,86,447	100%	-	
23-किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	-	-	-	-	0%	-	
24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	57,980	57,980	7,464	57,980	100%	-	
25-उपयोगिता बिलों का भुगतान	8,29,717	8,29,717	98,793	8,29,717	100%	-	
26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	28,14,231	28,14,231	1,34,510	28,14,231	100%	-	
27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	19,80,902	19,80,902	1,56,530	19,80,902	100%	-	
29-गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	30,99,708	30,99,708	5,00,375	30,99,708	100%	-	
30-आतिथ्य व्यय	99,200	99,200	-	99,200	100%	-	
40-मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र	-	-	-	-	0%	-	
42-अन्य विभागीय व्यय	1,00,000	1,00,000	-	1,00,000	100%	-	
51-अनुरक्षण	4,96,200	4,96,200	-	4,96,200	100%	-	
कुल योग	5,50,09,522	5,50,09,522	25,90,846	5,50,09,522		-	

4/8/24, 2:58 PM

about:blank

Budget Manual - 08 For The Month Of - [Mar-2024]
(See Paragraphs 107)

Monthly Expenditure Statement to Administrative Department by Controlling Officer / Head Of The Department

Filters: Treasury - All DDO - All

अनुदान संख्या-006 - राजस्व एवं सामान्य प्रशासन

लेखा शीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ
800-अन्य व्यय
00-सूचना आयोग की स्थापना

00--
13-सूचना आयोग की स्थापना

2070008001300

मानक मद	आवंटित धनराशि (एच. ओ. डी.)	आवंटित धनराशि (डी. डी. ओ)	वर्तमान माह का व्यय	वर्तमान माह तक का व्यय	प्रतिशत व्यय	शेष	टिप्पणी
01-वेतन	1,54,49,540	1,54,49,540	76,200	1,54,49,540	100%	-	
02-मजदूरी	-	-	-	-	0%	-	
03-महंगाई भत्ता	78,61,374	78,61,374	35,052	69,87,084	88.88%	8,74,290	
04-यात्रा व्यय	2,73,233	2,73,233	43,966	2,73,233	100%	-	
06-अन्य भत्ते	22,00,000	22,00,000	8,690	30,74,290	139.74%	-8,74,290	
07-मानदेय	-	-	-	-	0%	-	
08-पारिश्रमिक	1,37,39,766	1,37,39,766	10,66,810	1,37,39,766	100%	-	
09-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1,13,418	1,13,418	34,928	1,13,418	100%	-	
10-प्रशिक्षण व्यय	3,00,000	3,00,000	-	3,00,000	100%	-	
11-अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय	24,93,774	24,93,774	-	24,93,774	100%	-	
20-लेखन सामग्री एवं छपाई	5,29,364	5,29,364	42,918	5,29,364	100%	-	
21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5,84,668	5,84,668	-	5,84,668	100%	-	
22-कार्यालय व्यय	19,86,447	19,86,447	3,84,610	19,86,447	100%	-	
23-किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	-	-	-	-	0%	-	
24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	57,980	57,980	7,464	57,980	100%	-	
25-उपयोगिता बिलों का भुगतान	8,29,717	8,29,717	98,793	8,29,717	100%	-	
26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	28,14,231	28,14,231	1,34,510	28,14,231	100%	-	
27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	19,80,902	19,80,902	1,56,530	19,80,902	100%	-	
29-गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	30,99,708	30,99,708	5,00,375	30,99,708	100%	-	
30-आतिथ्य व्यय	99,200	99,200	-	99,200	100%	-	
40-मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र	-	-	-	-	0%	-	
42-अन्य विभागीय व्यय	1,00,000	1,00,000	-	1,00,000	100%	-	
51-अनुरक्षण	4,96,200	4,96,200	-	4,96,200	100%	-	
कुल योग	5,50,09,522	5,50,09,522	25,90,846	5,50,09,522		-	

**उत्तराखण्ड सूचना आयोग के आयुक्तों, अधिकारियों
और कर्मचारियों की सूची (वर्ष 2023-24)**

क्र.सं.	नाम	पद
1	श्री अनिल चन्द पुनेठा	मुख्य सूचना आयुक्त
2	श्री विवेक शर्मा	राज्य सूचना आयुक्त
3	श्री विपिन चन्द्र	राज्य सूचना आयुक्त
4	श्री अर्जुन सिंह	राज्य सूचना आयुक्त
5	श्री योगेश भट्ट	राज्य सूचना आयुक्त
6	श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय	सचिव
7	श्री रज़ा अब्बास	उप सचिव (11/12/2023 तक)
8	श्रीमती स्मृता परमार	उप सचिव (20/12/2023 से 15/01/2024 तक)
9.	सुश्री युक्ता मिश्रा	उप सचिव (02/02/2024 से 28/03/2024 तक)
10	श्री राजेश नैथानी	निजी सचिव, मुख्य सूचना आयुक्त
11	श्री एस.के. गुप्ता	विधि सलाहकार
12	श्री चन्द्र शेखर जोशी	सहायक लेखाधिकारी
13	श्रीमती हीरा रावत	समीक्षा अधिकारी
14	श्री भूपेन्द्र चन्द्र पपनै	समीक्षा अधिकारी
15	श्री उमेश चन्द्र सिंह	समीक्षा अधिकारी
16	श्री सौरभ कुमार	समीक्षा अधिकारी
17	श्री महेश आर्य	लेखाकार
18	श्री अनिल कुमार	सहायक लेखाकार
19	श्री जितेन्द्र पाण्डे,	निजी सचिव
20	श्री नरेश चन्द्र बिजलवाण	निजी सचिव
21	श्रीमती चन्द्रा गुसांई	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
22	श्रीमती सुब्रोतिका जोशी	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
23	श्रीमती अनुराधा	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
24	कृ. रेशमा फर्स्वाण	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
25	श्री सुमन सिंह रावत	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
26	श्री पंकज कुमार	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
27	श्रीमती रेखा रिल्कोटिया	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
28	श्री शैलेन्द्र हटवाल	व्यैक्तिक सहायक
29	श्रीमती अमृता गुरुंग	व्यैक्तिक सहायक
30	श्रीमती रजनी देवी	कम्प्यूटर आपरेटर
31	श्री नरेन्द्र सिंह गनघरिया	कम्प्यूटर आपरेटर
32	श्री मनोज सिंह	कम्प्यूटर ऑपरेटर
33	श्री पंकज कुमार	कम्प्यूटर ऑपरेटर

क्र.सं.	नाम	एवं पदनाम
31	श्रीमती ममता पंचपाल	कम्प्यूटर ऑपरेटर
32	श्री प्रदीप सिंह,	सुरक्षा गार्ड
33	श्री सर्वेश्वर दत्त,	सुरक्षा गार्ड
34	श्री दरबान सिंह	सुरक्षा गार्ड (14 / 03 / 2024 से)
35	श्री मोहन सिंह नेगी,	सुरक्षा गार्ड (31 / 05 / 2023 तक)
36	श्री सोहन सिंह	सुरक्षा गार्ड (01 / 06 / 2023 से)
36	श्री फकीर सिंह,	अनुसेवक
37	श्री मनोज कुमार,	अनुसेवक
38	श्री चंचल राम,	अनुसेवक
39	श्री सुरेन्द्र पाल,	अनुसेवक
40	श्री नंदन सिंह खोलिया,	अनुसेवक
41	श्री हरपाल सिंह,	अनुसेवक
42	श्री त्रिलोक सिंह,	अनुसेवक
43	श्री प्रदीप रावत,	अनुसेवक
44	श्री गौरव बडोनी,	अनुसेवक
46	श्री प्रकाश सिंह,	अनुसेवक
47	श्री अमित बडोनी,	अनुसेवक
48	श्री प्रदीप खत्री,	अनुसेवक
49	श्री नागेन्द्र भट्ट,	वाहन चालक
50	श्री धारा सिंह,	वाहन चालक
51	श्री बृजमोहन सिंह,	वाहन चालक
52	श्री नन्दू सिंह,	वाहन चालक
53	श्री अमित कुमार,	वाहन चालक
55	श्री अमर ठाकुर,	वाहन चालक
56	श्री रविन्द्र सिंह,	वाहन चालक



सूचना का
अधिकार

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून
दूरभाष : 0135 - 2662021, 2662180, ईमेल : secy-uic@gov.in वेबसाईट : <https://uic.uk.gov.in>